

रोज़गार और निर्माण

प्रति सोमवार को प्रकाशित, भोपाल 06.01.2025 से 12.01.2025

▶ वर्ष-42 ▶ अंक-02 ▶ मूल्य ₹ 10.00

संक्षिप्त खबर

प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में विकास यात्रा को मिलेगा नया आयाम
भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नये वर्ष के आगमन पर प्रदेश के नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में वर्ष-2024 भारत के साथ मध्यप्रदेश के समग्र विकास का पर्याय बना वहीं वर्ष-2025 निश्चित ही विकसित भारत के श्रेय को गति देगा, भारत की विकास यात्रा को नया आयाम मिलेगा और नया आयाम गढ़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष-2024 प्रदेश में जनकल्याण की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। राज्य सरकार आने वाले वर्ष में भी जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का भरसक प्रयास करेगी।

दिव्यांगजन चिह्नकन के लिए 7 से 13 जनवरी तक लगोगा शिविर
भोपाल, मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान के तहत सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा भोपाल शहर के दिव्यांगों के चिह्नकन, परीक्षण और कुत्रिम अंग उपलब्ध कराने के लिए विशेष शिविर 7 जनवरी से 13 जनवरी 2025 तक आयोजित किये जायेंगे। अनुसूचित सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण डॉ. आर.आर. भोसले ने बताया कि एडीआरजी योजना के तहत इन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। दिव्यांगजनों को शत-प्रतिशत चिह्नकन कर उन्हें सहायक उपकरण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के अन्य जिलों में भी शिविर आयोजित होंगे।

लाइली लक्ष्मी योजना की छात्रवृत्ति का भुगतान अब UNIPAY से होगा
भोपाल, महिला बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला पुरीया ने कहा कि नव वर्ष से मुख्यमंत्री लाइली लक्ष्मी योजना के तहत प्रसिद्ध पात्र बालिकाओं को छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन राशि का भुगतान UNIPAY के माध्यम से किया जायेगा। यह व्यवस्था लागू हो जाने से अब छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन राशि का भुगतान बालिका के खाते में सीधे UNIPAY के माध्यम से हो सकेगा। मुख्यमंत्री लाइली लक्ष्मी योजना में बालिका को कक्षा 6वीं कक्षा 9वीं, कक्षा 11वीं एवं कक्षा 12वीं में छात्रवृत्ति देने एवं स्नातक प्रथम एवं अंतिम वर्ष में प्रोत्साहन राशि दिव्य देने का प्रावधान है। अब तक लगभग 29 लाख से अधिक बालिकाओं को ₹ 813.64 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जा चुकी है।

भीतर के पृष्ठों पर

- पिछला सप्ताह - देश-विदेश की सामाजिक खबरों का संक्षिप्त विवरण
- चर्चा में - चर्चित व्यक्तियों और घटना आकांक्षित करने वाली खबरों की चर्चा
- खेल चर्चा - प्रमुख खेल गतिविधियों का विवरण
- सामयिकी - देश-विदेश की प्रमुख घटनाएं

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंघ विभाग मध्यप्रदेश से सहाय)

मध्यप्रदेश को वर्ष-2024 में मिले कई पुरस्कार, अनेक क्षेत्रों में फहराया परचम

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की दूरदृष्टि और मन में विकास की लालच से वर्ष-2024 में अनेक ऐसे अतुल्य कार्यों हुए हैं, जिससे मध्यप्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान बनाकर उभरा है। प्रदेश ने अनेक क्षेत्रों में कई राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने के साथ केन्द्र सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी अग्रणी भूमिका निभाई है।

राष्ट्रीय पुरस्कार

- देश में सर्वाधिक खनिज क्लॉक की नीलामी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान।
- म.प्र. दूरिज बोर्ड को देश के बेस्ट दूरिज बोर्ड के रूप में सम्मानित किया गया है।
- राष्ट्रीय स्टार्ट-अप पुरस्कार के अंतर्गत मध्यप्रदेश "लीडर" के रूप में चयनित।
- एक जिला-एक उत्सव के लिए नरुखानपुर को केला प्रसंगकर्मण में राष्ट्रीय सम्मान।
- हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार।
- मध्यप्रदेश पर्वटन को 'बेस्ट स्ट्रेटेजिकल स्टेट दूरिज' श्रेणी में 'ग्लोबल दूरिज अवॉर्ड'।

- थरपपुर (बंदी) साबरवाणी एवं लाहपुर ख़ास को सर्वश्रेष्ठ पर्वटन ग्राम पुरस्कार।
- '5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार' में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शिवित का पुरस्कार।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (राष्ट्री) के लिये मध्यप्रदेश को बेस्ट परफार्मिंग स्टेट अवॉर्ड में दूसरा स्थान।
- कला-संस्कृति एवं खेल के क्षेत्रों में 4 हस्तियों को मिला पंचराष्ट्रीय पुरस्कार।
- मध्यप्रदेश टाइगर और चीता स्टेट के बाद बना 'लेडिज स्टेट'।
- देशभर के 10 सर्वश्रेष्ठ धानों में देवास के सिविल लाइन धान का चयन हुआ।

योजनाओं के क्रियान्वयन में अग्रणी
मध्यप्रदेश केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में भी देश में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। पीएम स्व-निधि योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम आवास योजना, कृषि अवसरचना निधि, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वामित्व योजना, नशा मुक्त भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना, मछुआ क्रेडिट कार्ड योजना, राष्ट्रीय पर्यटन विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन में भी राज्य अग्रणी है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की इंदौर संभाषण में चल रही विकास गतिविधियों एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा

विज्ञान आधारित रोडमैप तैयार कर कार्यों की करें समीक्षा - मुख्यमंत्री

- जल जीवन मिशन के कार्यों में लाए तेजी।
- जल जीवन मिशन सीधा जनता से जुड़ा अभियान है।
- इंदौर-उज्जैन वर्तमान फोरलेन सड़क को बनाया जाएगा सिक्स लेन।
- परिसीमन आयुग को दे सकते हैं सुझाव।



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समत्व भवन में इंदौर की संभाषण समीक्षा बैठक की

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर संभाषण में चल रही विकास गतिविधियों एवं वृहद निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को अपने क्षेत्र के विकास का विज्ञान डॉक्यूमेंट (रोडमैप) बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी विभागक क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ जन समस्यारों के

निराकरण के लिये जन-संवाद करें। जन कल्याण अभियान के मिल रहे परिणामों का आकलन करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्तिकर कार्यों की योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। इसके लिए जरूरी है कि जनता के बीच जाएं, उनसे संवाद करें, उनकी समस्याएं जानें और निराकरण के लिए तुरंत कदम उठाएं।

गांव में रात्रि विश्राम केंद्र अधिकारी
मुख्यमंत्री ने मंत्रांग, सांघ, विधायक एवं जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे सरकारी योजनाओं के फीडबैक के लिए अधिकाधिक फील्ड टूर को जन-प्रतिनिधि, क्षेत्रीय अधिकारियों के गांव (विशेषकर जनजातीय ग्राम) में रात्रि विश्राम करी वहां ग्रामीणों से बात कर कठिनताओं का समाधान करें।

ताप्ती-चिल्लूर वृहद परियोजना पर होगी चर्चा
जल संसाधन विभाग की समीक्षा में खंडवा जिले की ताप्ती-चिल्लूर वृहद सिंचाई परियोजना के बारे में जानकारी दी गई। इस पर खंडवा जिले के हस्तु से विधायक एवं जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने मुख्यमंत्री से इस परियोजना को जल्द से जल्द मंजूरी देना का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द से जल्द इस पर काम शुरू किया जाएगा। यदि आवश्यकता हुई, तो वे स्वयं महाराष्ट्र शासन से भी इस परियोजना के संबंध में चर्चा करेंगे। उल्लेखनीय है कि करीब 26 हजार 279 करोड़ रुपये लागत वाली इस वृहद सिंचाई परियोजना के पूरा होने पर संबंधित क्षेत्र के 81 हजार 600 हेक्टेयर (एकड़) में फसल सिंचाई एवं वाटर रिचार्जिंग की स्थानीय सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण के हित में लिए गए फैसले पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का माना आभार

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 'पीएम फसल बीमा योजना' अंतर्गत 69,515.71 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत करने पर उनका आभार माना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय कैबिनेट ने यह राशि स्वीकृत की है। साथ ही ₹24.77 करोड़ रुपये की लागत से फंड फॉर इनेवेशन एण्ड टेक्नोलॉजी को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि विकास और किसान कल्याण के लिए संकल्पित प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्ष 2024 की शुरुआत अन्वतगत के हित में

पेरिफेरलिक महत्व के साथ की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में डीएपी की कीमतों में वृद्धि होने पर भी किसानों को अतिरिक्त सिम्बिडी से उचित मुच्य पर ही डीएपी उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मिनिमिडल ने डीएपी की निरन्तर उपलब्धता के लिए एक जनवरी 2025 से अगले आदेश तक की अवधि के लिए एनबीएए सस्मिडी (पीपक तत्व आधारित पैकेज) के परे डीएपी पर एकसुत्र विशेष सस्मिडी को 3 हजार प्रति मीट्रिक टन की दर से बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

समाधान ऑनलाइन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सुनी नागरिकों की समस्याएं, लखित प्रकरण हुए हल

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समाधान ऑनलाइन में विभिन्न जिलों के नागरिकों के लखित प्रकरणों का समाधान करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों की समस्याएं लंबे समय तक लखित रहने वाले दोषी अधिकारी-कर्मचारी दंडित किए जाएंगे। आज्ञांक का कल्याण ही राज्य सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। राजस्व, छात्रवृत्ति वितरण सहित अन्य योजनाओं की स्वीकृति और योजनाओं की राशि वितरण संबंधी भी कोई भी कार्य लखित नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सीएम

हेल्पलाइन में हुए लखित शिकायतों के निराकरण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों और सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जन-कल्याण के कार्य को गति देने के लिए अभियान चल रहा है। आगामी 26 जनवरी तक एक-एक जाकर नागरिकों को योजनाओं का पार पहुंचाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य संबंधी कार्य पूरे क्रियान्वयन के साथ पूर्ण हों। वितरण संबंधी भी लंबे समय में लखित रहे 11 दिस्तंबर से प्रदेश में चल रहा है।

जनता की शंकाओं को दूर कर सावधानीपूर्वक किया जायेगा करके का विनिधीकरण

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में मीडिया प्रतिनिधियों से युनिवर्सल कांफ्रेंस के करके के विनिधीकरण पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि करके का निष्पादन जनता की शंकाओं को दूर कर सावधानीपूर्वक किया जायेगा। जनता के सरोकार प्राथमिकता में रखे जाएंगे, करके के विनिधीकरण की कार्यवाई सतत निगरानी में की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के 40 वर्ष बीतने के बाद भोपाल में रखा लगभग 337 मीट्रिक टन करके का हानिकारक प्रभाव खस हो गया



है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बचे हुए शेष करके में 60 प्रतिशत से अधिक केवल स्थानीय रिमिडियुज, 40 प्रतिशत में 7-नेथॉल, रिफरेंट रिमिडियुज और सेमी प्रोसेड पेस्टीसाइड्स का अपशिष्ट है। इसमें मौजूद 7-नेथॉल 'रेसिड्यूस मूलतः मिथाइल आइसो साइनेट के कीटाणुनाशक के बनने की प्रक्रिया का सह-उत्पाद होता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने बताया कि ट्रायल के निष्कर्षों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रैल, 2014 में यूसीआइएल के 10 मीट्रिक टन करके का एक और ट्रायल न भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की निर्देशों में ट्रायल/डीएफ पीथमपुर में किये जाने के निर्देश दिये। सर्वोच्च न्यायालय ने इस ट्रायल के भी वीडियोग्राफी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये थे।



28 दिसम्बर

सीबीएसई ने बढ़ाई सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के आवेदन की तारीख

● केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सिंगल गर्ल चाइल्ड




स्कॉलरशिप-2024 के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब छात्राएँ इस स्कॉलरशिप के लिए 10 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकती हैं। इसके साथ ही सीबीएसई ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप-2023 (नवीनीकरण) की तारीख भी बढ़ाकर 10 जनवरी कर दी है। सीबीएसई ने कहा कि सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप आवेदन का सत्यापन 17 जनवरी तक किया जा सकता है। इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को बैंक का नाम, खाता संख्या, आरटीजीएस एवं एनईएफटी जानकारी और आईएफएससी कोड सहित पुरा बैंक विवरण आवेदन में दर्शाना होगा।

● अमेरिका ने भारतीय नगरों को लिए लगातार दूसरे वर्ष 10 लाख से अधिक गैर-आप्रवासनी वीजा जारी किए हैं, इनमें एरिज़ोना संस्था में पर्यटक वीजा भी शामिल हैं। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास की ओर से जारी बयान में कहा गया कि शैक्षणिक वर्ष 2008-2009 के बाद भारत वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को भेजने वाला शीर्ष देश बन गया है। इस वर्ष 3 लाख 31 हजार से अधिक छात्र अमेरिका में पढ़ाई करने गए हैं। अमेरिकी दूतावास ने कहा कि इस वर्ष अमेरिकी राज्यों में एच-1बी वीजा को नवीनीकृत करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट पर काम किया गया जो सफल रहा। उल्लेखनीय है कि अमेरिका में गैर-आप्रवासनी वीजा उन विदेशी नगरियों को जारी किया जाता है, जो अस्थायी आधार पर अमेरिका में प्रवेश चाहते हैं।

29 दिसम्बर

ई-श्रम पोर्टल पर हुए 30 करोड़ से अधिक पंजीकरण

● देश में इस वर्ष ई-श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के पंजीकरण का आंकड़ा 30 करोड़ के



वर्ष 42, अंक 02 06.01.2025 से 12.01.2025

रोजगार और निर्माण

www.rojgaraurinirman.in

पार पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर श्रमिकों का पंजीवन लगातार जारी है। इस वर्ष पंजीकरण की संख्या 30 करोड़ से अधिक हो गई है, जो असांगठित श्रमिकों के बीच इसके तेजी और व्यापक रूप से इसे अपनाना जाने को दर्शाता है। सरकार ने असांगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। अब तक 12 सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं को ई-श्रम पोर्टल के साथ जोड़ा गया है।

● बार कारजिल ऑफ इंडिया ने 19वीं अंतिम इंडिया ब्राज एजामिनेशन (एआईबीई) की आंसर की जारी की है। यह परीक्षा 22 दिसंबर को आयोजित की गई थी। बार कारजिल ने कहा कि संबंधित अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट allindiarbar-examination.com से आंसर शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। यह आंसर शीट चारों सेट-ए, बी, सी और डी के लिए जारी की गई है। बार कारजिल ने कहा कि इसके माध्यम से अभ्यर्थी अपने अंकों का आकलन कर सकते हैं, इसमें गलत उत्तरों के लिए नेगेटिव मार्किंग की गई है।

30 दिसम्बर

डिजिटल करंसी की टेस्टिंग करना आरबीआई

● भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने क्रिप्टोकरंसी जैसी डिजिटल करंसी का



मुकाबला करने के लिए देशी डिजिटल करंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करंसी (सीबीडीसी) बनाई है। आरबीआई ने सीबीडीसी की टेस्टिंग शुरू कर दी है। हाल ही में आरबीआई ने अपने अधिकारियों के सीबीडीसी वॉलेट में अलाउंस का एक हिस्सा जमा किया है। सीबीडीसी को केंद्रीय बैंकों की ओर से सुरक्षित और स्मार्ट पेमेंट ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है।

● दक्षिण कोरिया में एक विमान हादसे में 179 लोगों की मृत्यु हो गई। यह विमान हादसा दक्षिण कोरिया के मुआन बाहर में हुआ, जहां एक विमान का लैंडिंग गियर नहीं खुलने से विमान रनवे से फिसलकर हवाईअड्डे की बाउंड्रीवॉल से जा टकराया और उसमें विस्फोट के बाद आग लग गई। इस विमान में चालक दल सहित कुल 181 लोग सवार थे, इनमें 179 लोगों की मौत हो गई। जबकि चालक दल के दो सदस्यों को बचा लिया गया है। दक्षिण कोरियाई सरकार ने बताया कि जेयु एयर का विमान 751-2216 थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से आया था।

● चीन ने अपनी आई स्पीड बुलेट ट्रेन के अपडेटेड किंग गॉडों को सार्वजनिक कर दिया है। चीन ने दावा किया है कि परीक्षण के दौरान इस ट्रेन की गति 450 किलोमीटर प्रतिघंटा तक पहुंची। इसे दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन बताया जा रहा है। चाइना रेलवे ने कहा कि सीआर 450 प्रोटोटाइप के रूप में पहचाने जाने वाले इस प्रोटोटाइप मॉडल से बेहतर कम समय में यात्रा करना संभव होगा।

31 दिसम्बर

आरटीजीएस से राशि ट्रांसफर करते समय दिखेगा लाभार्थी का नाम

● देश में एक अप्रैल 2025 से सभी बैंकों में आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सेलेंटमेंट) और एनईएफटी (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) पेमेंट में रसीदों (लाभार्थी) का नाम देखा जा सकेगा। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेन-देन से पहले खाते का नाम सत्यापित करने की सुविधा विकसित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि उपभोक्ताओं को साइबर धोखाधड़ी से बचाया जा सके। आरबीआई ने इसमें सभी बैंकों को शामिल करने की सलाह दी है। अभी तक आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए राशि ट्रांसफर करते समय अकाउंट नंबर और लाभार्थी का नाम स्वयं डालना पड़ता था, लेकिन अब एक अप्रैल से अकाउंट नंबर डालते ही लाभार्थी का नाम दिखने लगेगा।

● रक्षा मंत्रालय ने नौसेना की पनडुब्बियों की क्षमता बढ़ाने के लिए 2867 करोड़ रुपये के दो रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पहला समझौता मुंबई स्थित महंगांव डॉक शिपविल्डर्स लिमिटेड के साथ किया गया है, जबकि 877 करोड़ रुपये का दूसरा समझौता प्रोस के नेवल यूए के साथ किया गया है। इन दोनों समझौतों पर रक्षा सचिव राजेश कुमार की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों से पारंपरिक पनडुब्बियों की पानी के अंदर रहने की अवधि को बढ़ाने की क्षमता विकसित की जाएगी।

1 जनवरी

भारत में व्हाट्सएप पे यूपीआई सर्विस का करण विस्तार

● नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने व्हाट्सएप पे पर लगी



यूपीआई यूजर की सीमा तकाला प्रभाव से हटा दी है। एनपीसीआई ने एक बयान में कहा कि इस सीमा को हटाए जाने के साथ

Liberal College Rau, Indore

Affiliated to D.A.V.V., Indore, M.P. Higher Education Board, NCTE, B.E. New Delhi
Application are invited for the following

Department of Education

Principal/HOD, Professor, Asso. Professor, Asst. Professor for Perspective Education, Pedagogy Subject, Fine Arts, Performing Arts, Health & Physical Education
Eligibility as per NCTE/UGC Regulation & DAVV College Code 28 norms

Department of Law and Traditional Courses

Principal/HOD, Professor, Asso. Professor, Asst. Professor for Political Science, History, Economics, English Literature, Law Subjects, MSW, Commerce, Sociology, Computer Science.
Eligibility as per UGC/BC/DVVV College Code 28 norms

Call CV with Photo at: liberalcollege11@gmail.com
Campus: Plot 11/13, Village Piggdam, Rau, Indore (M.P.) 911987858

ही व्हाट्सएप पे अब भारत में अपने सभी यूजर तक यूपीआई सर्विस का विस्तार कर सकता है। इससे पहले एनपीसीआई ने व्हाट्सएप पे को चरणबद्ध तरीके से अपने यूपीआई यूजर का विस्तार करने की अनुमति दी थी।

2 जनवरी

चीन ने बनाया दुनिया का पहला 5जी मोबाइल बेस मिलिट्री स्टेशन

● चीन ने अपनी नौसेना को आधुनिक करने के लिए दुनिया का पहला 5जी मोबाइल बेस मिलिट्री स्टेशन बनाया है। इस स्टेशन का उपयोग युद्ध जैसी परिस्थिति में किया जा सकता है। इस 5जी मोबाइल बेस मिलिट्री स्टेशन का निर्माण चाइना नौसेना और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने मिलकर किया है। यह 5जी मोबाइल बेस मिलिट्री स्टेशन 3 किलोमीटर तक 10 हजार यूजर को तेज और सुरक्षित डाटा प्रदान करेगा। इस स्टेशन को ऐसी जगहों के लिए बनाया गया है, जहां पहले से कोई बेस स्टेशन नहीं



है। यह सिस्टम ड्रोन की मदद से बिना किसी पोशानी के काम करता है।

● विमान यात्रियों को अब फोल्ड उड़ानों में भी वाई-फाई का इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी। देश की प्रमुख एयरलाइंस एयर इंडिया ने फोल्ड और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में वाई-फाई इंटरनेट कनेक्टिविटी सेवा शुरू करने की घोषणा की है। इसके पहले विस्तार एयरलाइंस ने जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में वाई-फाई सेवा शुरू की थी। यह अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में यह सुविधा देने वाली पहली भारतीय विमान कंपनी थी।

● भारतीय नौसेना जल्द ही देश में निर्मित

अत्याधुनिक हथियारों से लैस दो युद्ध जहाजों और डीजल इलेक्ट्रिक कलिक पनडुब्बियों को अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है। इन जहाजों और पनडुब्बियों के शामिल होने से नौसेना की क्षमता में काफी बूझाफा होगा। नौसेना ने बताया कि 15 जनवरी को मुंबई में युद्ध जहाज आईएनएस जयंत और आईएनएस नीलगिरि तथा पनडुब्बी आईएनएस वागशीर को नौसेना में शामिल किया जाएगा।

3 जनवरी

मध्यप्रदेश में अतिथि विद्वानों को आयु सीमा में मिलेगी 10 वर्षों की छूट

● मध्यप्रदेशी लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) के सहायक महाविद्यालयों में रिक्त सहायक प्राध्यापकों पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की है। इस प्रक्रिया के तहत सहायक प्राध्यापकों के 1925 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की है। इस प्रक्रिया में अतिथि विद्वानों के लिए 25 प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं, साथ ही अतिथि विद्वानों को आयु सीमा में भी 10 वर्ष तक छूट मिलेगी। इसके लिए उच्च शिक्षण विभाग ने मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीय शाखा) शर्तों नियम-1990 में संशोधन किया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के महाविद्यालयों में लगभग 4500 अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं।

● विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूसीसी) ने उच्च शिक्षण संस्थानों में रिक्त बजट कोर्स के संचालन के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी किया है। इस एसओपी के अनुसार नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत क्रेडिट एलोकेशन किया जाएगा। इसका स्ट्रक्चर भी जारी कर दिया गया है। इसमें छात्रों में 15 घंटे के मान से एक क्रेडिट रहेगा, वही क्रेडिट दराना में 30 घंटे के मान से एक क्रेडिट रहेगा।

(स्रोत: संगठकीय टीम द्वारा संकलित फोटो: एयूस से साभार)

Applications Invited

Applications are invited for the Teaching & Non-Teaching Positions (Teaching Positions Under College Code-28 & Code-30 UGC/AICTE Norms)

Astral Institute of Professional Studies (Old Name Astral Inst. of Business Studies) (Under Code-28)
Principal/Professor/Asst. Professor/Asst. Professor for Perspective Education, Pedagogy Subject, Fine Arts, Performing Arts, Health & Physical Education
Eligibility as per NCTE/UGC Regulation & DAVV College Code 28 norms

Astral Institute of Technology and Research (Under Code-28 & Code-30)
Principal/Professor/Asst. Professor/Asst. Professor for Perspective Education, Pedagogy Subject, Fine Arts, Performing Arts, Health & Physical Education
Eligibility as per NCTE/UGC Regulation & DAVV College Code 28 norms

Apply with CV and all xerox testimonials with 2 photographs by E-mail: hr@nptel.ac.in or Mob: 7999841238, 6282858555
HR Manager, Registrar, Admin Officer/Staff, Social/Organizing Marketing Executive, Graphic Designer, Supervisor, Accountant, Office Assistant, TPO, PD Trainer, Librarian, Sports Officer, Counsellor, Telecaller, Network Admin, Lab Technician, Computer Operator.

Campus : Kailod Kartaj, By Pass Road, Indore
Office: 104, College House Near Janajwala Square, Indore

MATA GUJRI COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES, INDORE

Approved by Govt. of Madhya Pradesh & AICTE & Affiliated to D.A.V.V. Indore
REQUIRES :- PROFESSORS, ASSOCIATE PROFESSORS & ASSISTANT PROFESSORS

For Management | Computer | Physics | Mathematics
Commerce | Hindi | English | Zoology | Chemistry
Qualifications as per UGC & AICTE Norms. Interested candidates may apply within 15 days, to the Principal along with the copy of Testimonials/Marksheet and a recent passport size photograph.
Mata Gujri Campus, Near KIA Car Showroom, Bhawarkuwa, A.B. Road, Indore-452017
PH. : 0731-4048833, 2764871, Email: mggc_indore@yahoo.co.in

F-50429/2025

वार्फिक सदस्य बनने के लिये रुपये 500/- (पाँच सौ) का डी.टी.सी. महीनाई अथवा पोस्टल ऑर्डर रोजगार और निर्माण, भारत के नाम बनवाकर निचे लिखे पत्र में भेजें :-
रोजगार और निर्माण, मध्यप्रदेश माध्यम, 40 प्रशासनिक क्षेत्र, अंतरा हिल्स, पोस्ट-462001।
फोन- 2760006, 2551330, 4281330, फैक्स- 4228409, e-mail : madhyam.nraj@gmail.com
रोजगार और निर्माण क्वार्टरल में गजट रजिस्ट्रार का फी 1000 की वार्फिक सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। रोजगार और निर्माण में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। इनसे संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र भारत छोड़ा जाएगा। रोजगार और निर्माण में निजी संस्थाओं के विज्ञापन भी प्रकाशित किये जाते हैं, इन विज्ञापनों में लिखे गए दावे और तथ्य निजी संस्थाओं के अपने होते हैं। इसका संपादन पत्र के प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है।

F-50429/2025

F-50411/2025

F-50412/2025

सम्पादकीय

प्रदेश सरकार के प्रयासों से स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनौं मध्यप्रदेश की महिलाएं

मध्यप्रदेश में महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनैतिक विकास को प्रोत्साहित करने और उन्हें सशक्त प्रदान करने की दृष्टि से निरंतर कार्य किया जा रहे हैं। सरकार ने महिलाओं के समग्र विकास को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। इस मिशन के तहत, महिलाओं को उच्चमिता, कौशल विकास, शिक्षा और रोजगार के अधिक अवसर दिये जा रहे हैं। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत गरीब परिवार के लगभग 62 लाख सदस्यों को, लगभग 5 लाख स्व-सहायता समूहों से जोड़ा गया है। इनमें से लगभग 15 लाख परिवारों की सालाना आय न्यूनतम 1 लाख से अधिक अथवा कम से कम 10-12 हजार वर्ष में बढ़ा रहे हैं। इस मिशन के तहत महिलाओं को स्व-सहायता समूह बनाकर कई प्रकार के व्यवसायों की शुरुआत करने का अवसर मिला। इन व्यवसायों में स्कूली ड्रेस सिलाई, जूता आधार का संभालना, टोपे टैक्स बैरियर प्रबंधन, रानन की दुकानों का संचालन, जल प्रबंधन, पंचायतों में कर संग्रहण और सड़कों के रख-रखाव जैसे गतिविधियाँ शामिल हैं। इससे महिला सशक्तिकरण के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली। वित्त एक वर्ष में मिशन के अंतर्गत 48,655 महिलाओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़ा जा चुका है। इसके साथ ही 479 ग्राम संगठन (व्ही.ओ.) और 35 संकुल स्तरीय संगठन (सी.एल.एफ.) स्थापित किए गए हैं, जो ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान में योगदान दे रहे हैं। मिशन ने 12,860 स्व-सहायता समूहों को कुल 43.57 करोड़ रुपये रैवालिंसिंग फंड और 14,657 समूहों को 129.92 करोड़ रुपये सापुदायिक निवेश निधि (सीआईएनएफ) प्रदान की है। इसके अलावा, विभिन्न बैंकों से 1,38,192 समूहों को 3,11,565 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त हुआ है, जो इन समूहों के आर्थिक विकास में सहायक बन रहा है।

स्व-सहायता समूहों को स्थायी व्यवसाय और आजीविका के उद्देश्य से नमो द्रोणी दी योजना प्रारम्भ की गयी। यह योजना महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि प्रयोजनों से लिए किताबों को ड्रोन किराए पर देने में सक्षम बनाती है, यह नये यूरिया और नैरो सीपीपी जैसे नवीन तंत्र उपकरणों के पतों पर छिड़काव के लिए ड्रोन के उपयोग से कृषि में उत्तम तकनीकी कृषि शुरुआत करती है। योजना में अब पूर्व प्रदेश की 80 मिलानों को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। कृषि, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन तथा गैर वानिकी लघु वनोपज क्षेत्रों में भी आजीविका मिशन द्वारा देहे पाने पर समूह सदस्यों को संगठित कर प्रोड्यूसर कंपनियों से जोड़कर लाभान्वित किया गया है। इससे प्रति 135 प्रोड्यूसर कंपनियों के माध्यम से कृषि, कुकुट पालन, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, लघु वनोपज आदि के क्षेत्र में नई क्रांति लाने में सफलता मिली है। मध्यप्रदेश में आजीविका मिशन द्वारा 2 लाख 84 हजार परिवारों को कृषि और पशुपालन आधारित आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है। किसानों के लिए न्यूनतम समर्पण मूल्य पर 10.83 लाख टन अनाज का उपार्जन किया गया है, जिससे किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिल सका है। इसके अलावा, 7 किसान उत्पादक कंपनियों का गठन किया गया है, जिन्होंने 928 समूह सदस्यों को जोड़ा गया है। केन्द्र सरकार के सी दिनों में स्वस्थ प्रति दीदी बना का लक्ष्य मिशन के बाद मध्यप्रदेश में 96.240 बहनें लखपति दीदी बनाईं। इनमें मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से विविध संस्थाएँ, बाजार सहायता एवं तकनीकी सहायता दी गई है। इनके स्व-सहायता समूहों के उत्पादों की पहुंच बढ़े बाजारों तक बनाने के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर ऑनलाइन मार्केटिंग की जा रही है। आजीविका माट, भोपाल द्वारा पिछले एक वर्ष में 9.73 करोड़ रुपये की बिक्री की गई है। जो ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को बाजार में स्थापित करके का एक सफल उदाहरण है।

दो छोटे अंतरिक्ष यान को एक साथ जोड़ने में सक्षम है अंतरिक्ष विज्ञान की स्पैडक्स तकनीक

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों को हाल ही में एक नई उपलब्धि मिली है। इसरो के वैज्ञानिकों ने स्पैडक्स स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग कर इतिहास बनाया है। डॉकिंग तकनीक के ज़रूरे इसरो ने यह कार्य कर दिखाया है जो अभी तक अमेरिका, अंतरिक्ष और चीन के वैज्ञानिक करने में सफल हुए। दरअसल इसरो डॉकिंग तकनीकी से अब दो स्पेसक्राफ्ट को आपस में जोड़ने का कार्य करेगा। आगामी दिनों में इसरो के वैज्ञानिक पीएसएलवी-सी60 के सफल लॉन्चिंग करेगे जो दोनों यानों की बीच की दूरी कम करे अंतरिक्ष में उन्हें पास लाकर जोड़ने का कार्य करेगा। विज्ञान और वैज्ञानिकों की दृष्टि से अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत द्वारा का किया जाने वाला यह प्रयोग सक्षम बढ़ा होगा। स्पैडक्स (स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट) एक ऐसा मिशन है जिसे इसरो द्वारा अंतरिक्ष में डॉकिंग प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने के लिए विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य दो छोटे अंतरिक्ष यान को एक साथ लाने, डॉक करना और अनडॉक करके की क्षमता का प्रदर्शन करना है। स्पैडक्स का प्राथमिक लक्ष्य, पृथ्वी की निचली कक्षा में दो छोटे अंतरिक्ष यान, एसडीएसपी 01 और एसडीएसपी 02 के लिए डॉकिंग तकनीक विकास प्रदर्शन है। जो हाइटेक संशोधन और प्रोपल्शन सिस्टम का उपयोग करते हुए स्वायत्त रूप से डॉकिंग करेगा। यह स्पेस प्रयोग के करीब 10 से 14 दिनों तक होने की उम्मीद है। 'डॉकिंग' और 'अनडॉकिंग' प्रयोगों की प्रदर्शन के बाद, दोनों स्पेसक्राफ्ट एसडीएसपी-02 साल तक अलग मिशन के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करना जारी रखेंगे। एसडीएसपी एक उपग्रह है। जेडोल्सयुन कैमरा (एचआरसी) से लैस है और एसडीएसपी-02 में दो पेलोड मिनिचर परमटैल्स्युड (एमएफएएस) पेलोड और रियेडिगन मॉड्यूल (रेडगन) हैं। यह मिशन दो अलग तक कक्षाओं। इसरो ने कहा कि ये पेलोड उच्च-निर्माणयुक्त सार्वजनिक, वनस्पति उत्पादन और कक्षा में विकिरण पर्यावरण माप प्रदान करेंगे, जिनके कई अनुप्रयोग हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार डॉकिंग अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी भारत के अंतरिक्ष-4 मिशन में काम आएगा। जिसमें यान चांद पर जाएगा और फिर वहां से चांद पर उतरना वाला हिस्सा वापस अंतरिक्ष में घूमते हुए उस रॉकेट से जुड़ना, जो पृथ्वी पर वापस भी आएगा।

बिज्ञान विचारों
(लेखक, प्रतिनिधी परिभाषाओं से जुड़े विचारों पर लेखन करते हैं)

भारत के सबसे समृद्ध मध्यप्रदेश के निर्माण की नींव रखने के साथ 'जनकल्याण पर्व' का समापन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भारत को विश्व में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मध्यप्रदेश को देश का सबसे समृद्ध प्रांत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए 'मध्यप्रदेश' ने दो अभियान चलाये पहा 'जनकल्याण पर्व' और दूसरा 'जनकल्याण अभियान'। जनकल्याण पर्व के अंतर्गत मध्यप्रदेश की उपलब्धियों तथा विकास योजना की सभी संबंधित हिताग्रहियों को जानकारी देने के साथ क्षेत्र और समय के अनुरूप भविष्य के विकास के लिए योजनाओं की शुरुआत की गई। जबकि जनकल्याण अभियान के अंतर्गत हिताग्रहियों की समस्याओं का मौके पर ही निवारण करना शामिल है। जनकल्याण पर्व का समापन हो गया है। जबकि जनकल्याण अभियान अभी चल रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नेतृत्व में कार्य कर रही मध्यप्रदेश सरकार अपने पहले दिन से एक ओर यदि नई योजनाएं बना रही हैं तो पुरानी योजनाओं के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन पर जोर दे रही हैं। यह सरकार विकास के साथ विचारों को साथ लेकर चल रही है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने 13 दिखकर को अपने कार्यकाल का एक वर्ष पूरा कर लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक वर्षीय कार्यकाल पूरा करने की तिथि पर केवल उच्च नई मानया अपितु अपने कार्यकाल में जनहिठी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा भी की। योजनाओं की जानकारी सभी को हो और सभी हिताग्रहियों तक लाभ पहुंचे, इसी बात को ध्यान में रखकर मध्यप्रदेश सरकार ने 'जनकल्याण पर्व' और 'जनकल्याण अभियान' का आयोजन किया। दोनों का शुभारंभ गीता बवंदरी से किया। जनकल्याण पर्व का समापन 26 दिसम्बर को हो गया जबकि जनकल्याण अभियान अभी चल रहा है। इसका समापन 26 जनवरी को होगा। दोनों का अपना उद्देश्य है। जनकल्याण पर्व के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अपने एक वर्षीय कार्यकाल में किये गये कार्यों से जन सामान्य को अवगत कराना और भविष्य में मध्यप्रदेश को समृद्ध स्वरूप देने के लिये आगामी योजनाओं के क्रियान्वयन और शिलान्यास हुये। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 11 दिसम्बर को गीता बवंदरी पर भोपाल के लाल परबट मैदान पर आयोजित एक विशाल समारोह में सितल कितक के माध्यम से प्रदेश की 1.28 करोड़ लाइली बहनें के खাতে में 1,572 करोड़ रुपये की राशि एवं समाजिक सुशासन योजना के अंतर्गत 55 लाख से अधिक हिताग्रहियों को 334 करोड़ रुपये से अधिक राशि का हस्तान्तरण करके इन दोनों अभियानों का शुभारंभ किया था। इस अवसर पर पांच हजार आचार्यों ने लाल परबट मैदान पर गीता का कर्म योग पाठ किया। यह निम्नीय वृक्ष का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। निम्नीय वृक्ष ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधि ने इसकी घोषणा मौके पर ही की और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट सौंपा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के सभी पर्यटन स्थलों पर गीता रखे जाने की घोषणा भी की।

दो नों आओजन करने के पीछे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का अपना एक संकल्प है। डॉ. मोहन यादव का प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'GYAN का समान' मंत्र को अपनी कार्यशैली का सूत्र बनाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि यदि भारत में गरीबी का उन्मूलन हो जाये,

प्रत्येक किसान समृद्ध हो, सभी युवाओं को उनकी प्रतिभा, क्षमता और सामर्थ्य विकसित करने का अवसर मिले और भारत की हर यात्री सुखी, समृद्ध एवं आत्मनिर्भर हो जाये तो नि:संदेह भारत विश्व का अग्रणी राष्ट्र बनेगा। मोदी जी ने भारत की इस समृद्धि के लिये स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ वर्ष 2047 का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य पूर्ति तभी संभव है जब भारत का प्रत्येक राज्य विकसित और आत्मनिर्भर बने। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मोदी जी के मंत्र के अनुरूप मध्यप्रदेश को देश के विकसित प्रांतों में अग्रणी बनाने का संकल्प लिया है। यह तभी होगा जब शासन की जनहित की योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। मध्यप्रदेश सरकार की योजनाओं का उद्देश्य प्रदेश की समृद्धि के साथ प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को आत्मनिर्भर बनाना है। इन योजनाओं के तहत-प्रतिशत क्रियान्वयन से ही प्रदेश समृद्ध और आत्मनिर्भर बनेगा। इसलिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपनी सरकार की वर्षगांठ मनाने के साथ प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन का बीड़ा उठाया। 'जनकल्याण पर्व' और 'जनकल्याण अभियान' के अंतर्गत भोपाल में आयोजित विशाल कार्यक्रम के अतिरिक्त प्रदेश के सभी जिला, तहसील, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर भी आयोजित किये गये अनेक प्रभारी मंत्रियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अतिरिक्त पूर्व प्रशासन की सहायता रही। इनमें शिविर, लाभकार जनसामान्य को शासन की योजनाओं की जानकारी दी गई तथा लक्षित प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया गया। यों तो मध्यप्रदेश सरकार अपने प्रत्येक नागरिक तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का पूरा प्रयत्न कर रही है, फिर भी मध्यप्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'GYAN का समान' मंत्र के अंतर्गत युवा, नारी, किसान और गरीब कल्याण को अपनी प्राथमिकता पर लिया है। मध्यप्रदेश सरकार इन वर्ष समूहों के लिये भी कुल 34 हिताग्रहियों, 11 लाख आधारित और 63 अन्न सेवा योजनाओं का संबंधित हिताग्रहियों तक शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाने का लक्ष्य बनाकर कार्य कर रही है।

जनकल्याण पर्व के अंतर्गत आयोजन

जनकल्याण पर्व के अंतर्गत यों प्रतिदिन महत्वपूर्ण आयोजन हुये। फिर भी कुछ आयोजन ऐसे हुये जिसे भविष्य के समृद्ध मध्यप्रदेश की नींव पड़ी अथवा आने वाली पीढ़ियों के लिये एक आदर्श उदाहरण होगा। विकास के साथ विचारित के अपने विचारों के अनुरूप ही पूर्व और अभियान का शुभारंभ गीता पाठ से हुआ था जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। कई विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विकास के साथ विचारित के सूत्र पर भी काम कर रहे हैं। इसकी झलक जनकल्याण पर्व के अंतर्गत लाभार्थ सभी कार्यक्रमों में दिखी। 16 दिसम्बर को भारत के विजय दिवस पर पुलिस बैठ की सुन्दर प्रस्तुति संभन हुई। पिछले काफ़ी वर्षों से पुलिस बैठ को पुनर्गठन की प्रतीक्षा थी। इसकी पहल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की और पुलिस बैठ का पुनर्गठन हुआ। पुलिस बैठ की प्रस्तुति 16 दिसम्बर को भोपाल के रवीन्द्र भवन में हुई। सोलह

दिसम्बर वह ऐतिहासिक तिथि है जब 1971 में भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी और संसार में एक नये देश 'बांग्लादेश' का उदय हुआ था। इस ऐतिहासिक तिथि पर मध्यप्रदेश जनकल्याण पर्व के अंतर्गत पुलिस बैठ की यह प्रस्तुति हुई।

जनकल्याण पर्व के अंतर्गत 25 दिसम्बर को केन-बेवा परिवोजना का शिलान्यास हुआ। उस दिन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी का सीवां जन्म जयंती दिवस था। भारत की नदियों को परस्पर जोड़कर पूरे देश को जल से समृद्ध बनाने का सपना अटलजी ने देखा था। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने जनकल्याण पर्व के अंतर्गत केन-बेवा जोड़ी परिवोजना का शुभारंभ करने के लिये इसी दिन का चयन किया। इसके लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी खजुराहो आये और उन्होंने 44,605 करोड़ रुपये की बहुप्रतीक्षित लाल किरण परिवोजना का शिलान्यास किया। इस परिवोजना के पूरा हो जाने के बाद बुंदेलखंड के सदैव लाल हैबेद पर काल से सिंचाई होगी एवं औद्योगिकीकरण को भी गति मिलेगी। भारत के विकसित प्रांतों में अग्रणी होने के लिये यह परिवोजना एक प्रकार से आधार बनेगी।

इस पर्व के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अपने जन हिताग्रहियों एवं उपलब्धियों पर प्रदर्शनीयां भी लगाई गईं। राजधानी भोपाल के साथ मध्यप्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर ऐसी प्रदर्शनीयां लगाई गईं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संपन्न हुये। सोलह दिन चले जनकल्याण पर्व के अंतर्गत इंदौर, व्हालियर, जबलपुर, शहडोल, सागर सहित सभी संभागों में मुख्यालयों पर विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित किये गये। पर्व की अवधि में अलिराजपुर की सौंडवा माइक्रो सिंचाई योजना का भूमिपूजन हुआ। प्रदेशभर में आयोजित अक्षयपात्र कार्यक्रम अंतर्गत बच्चों को पोषण आधारित का वितरण, व्हालियर में तातारन सिरको अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम, कनकन टेंटर का लोकार्पण और महाराज जीवाजीवार सिंघिया की मूर्ति का अनावरण, जबलपुर में सरदार वल्लभभाई पटेल की मूर्ति का अनावरण, उमरिया में गीशाला का भूमिपूजन, वृहद युवा संवाद के माध्यम से युवाओं को उनकी रुचि और प्रतिभा के अनुसार स्व-रोजगार एवं रोजगार पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किये गये। मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति सामाजिक जागरण के लिये साधु संन्यासों के साथ संवाद किया गया। प्रधानमंत्री स्वतंत्रिधियां सिंघिया के हिताग्रहियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। डॉ. आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी इंदौर में दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। खण्डवा-ऑकोरकर में सोलर पार्क का लोकार्पण हुआ। उज्जैन में साह्यी पार्क का भूमिपूजन, खेल प्रतियोगिता कार्यक्रम, विभिन्न योजनाओं के तहत हिताग्रहियों को वितरण, सागर में तालावा सीढीकरण का लोकार्पण, चिंतन शिविर का आयोजन संपन्न हुए।

जनकल्याण पर्व में होने वाले कार्यों और परिणाम के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह समृद्ध मध्यप्रदेश निर्माण की नींव रखने का सफल प्रयास है।

पत्रकार शर्मा
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तम्भकार हैं)



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

सहायक प्राध्यापक (संस्कृत साहित्य प्राच्य) परीक्षा-2022, दिनांक 17.11.2024 (रविवार)

परीक्षा परिणाम

इंदौर, दिनांक : 27.12.2024

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक (संस्कृत साहित्य प्राच्य) परीक्षा-2022 हेतु विज्ञापन जारी किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. विज्ञापन क्रमांक-46/2022/30.12.2022, ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 11.05.2023

1.	विज्ञप्ति क्रमांक-12656/2022/अनु-6, दिनांक 05.01.2023 (विज्ञापन के संबंध में केविएएड याचिका दायर करने के संबंध में सूचना)	
2.	शुद्धि पत्र क्रमांक-01/16/2022 से 53/2022, दिनांक 10.01.2023 (सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के विभिन्न विज्ञापनों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में संशोधन)	
3.	शुद्धि पत्र क्रमांक-02/16/2022 से 51/2022, दिनांक 15.03.2023 (अर्हकारी अंकों में 5 प्रतिशत अंकों की कट के संदर्भ में)	
4.	शुद्धि पत्र क्रमांक- 03/16/2022 से 53/2022, दिनांक 25.07.2023 सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के विभिन्न विज्ञापनों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में संशोधन)	
5.	शुद्धि पत्र क्रमांक-05/46/2022, दिनांक 18.12.2023 (सहायक प्राध्यापक संस्कृत साहित्य प्राच्य हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने संबंधी)	
6.	शुद्धि पत्र क्रमांक-07/16-53/2022, दिनांक 28.03.2024 (संशोधित तिथि विन्यास) (सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 (समस्त विज्ञापित विषयों हेतु) एवं ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के पदों के लिए अतिथि विद्वानों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की कट प्रदान किए जाने एवं समस्त अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने विषयक)	
7.	शुद्धि पत्र क्रमांक-08/18-53/2022, दिनांक 12.04.2024 (संशोधित तिथि विन्यास) (सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 (समस्त विज्ञापित विषयों हेतु) एवं ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के पदों के लिए अतिथि विद्वानों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की कट प्रदान किए जाने एवं समस्त अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने विषयक)	
8.	शुद्धि पत्र क्रमांक-10/19, 20, 22, 32, 43, 45/2022 दिनांक 02.09.2024 (सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022, 06 विषयों की ऑनलाइन आवेदन पत्र पुनः प्रारंभ करने की सूचना)	
9.	शुद्धि पत्र क्रमांक-13/16-53/2022, दिनांक 13.09.2024 (सहायक प्राध्यापक संस्कृत साहित्य प्राच्य हेतु परीक्षा आयोजन की सूचना संबंधी)	
10.	शुद्धि पत्र क्रमांक- 11/46/2022, दिनांक- 10.09.2024 सहायक प्राध्यापक संस्कृत साहित्य प्राच्य परीक्षा-2022 विज्ञापित पदों हेतु मुख्य भाग एवं प्राथमिक भाग की जानकारी	

02. उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक (संस्कृत साहित्य प्राच्य) परीक्षा-2022 जिला मुख्यालय इंदौर के केन्द्रों पर दिनांक 17.11.2024 (रविवार) को दो सत्रों प्रथम सत्र पर सामान्य अर्धघन प्रारंभ: 10:00 से 11:00 बजे तक एवं द्वितीय सत्र पर संस्कृत साहित्य प्राच्य दोपहर 01:00 से 04:00 बजे तक आयोजित की गई थी

03. उपरोक्तानुसार जारी विज्ञापन एवं शुद्धि पदों के माध्यम से विज्ञापित पदों की कुल संख्या निम्नानुसार है -

श्रेणीवार/वर्गवार कुल विज्ञापित							
क्र.	विवरण	UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL
(अ)	कुल रिक्तियों की संख्या (TOTAL POST)	1	-	-	-	-	1
(ब)	कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (FEMALE)	-	-	-	-	-	-
(स)	कुल रिक्तियों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (ExSer)	-	-	-	-	-	-
(द)	कुल रिक्तियों में से दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद रिक्तियों की संख्या (PH)				(PH-NA)		-

सहायक प्राध्यापक (संस्कृत साहित्य प्राच्य) परीक्षा-2022 के परीक्षा परिणाम में साक्षात्कार हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना + समान अंक प्राप्त प्राथमिक रूप से अर्ह कुल 3 अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची निम्नानुसार है :-

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION

ASSISTANT PROFESSOR EXAM 2022 (SANSKRIT LITERATURE PRACHYA)-PART A (MAIN)

ROLL NUMBER WISE LIST OF SELECTED CANDIDATES

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
1.	460003	2.	460007	3.	460032

साक्षात्कार के लिए अभिलेख प्रेषित करने के संबंध में निर्देश :-

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर परिशिष्ट प्रपत्र-01

विज्ञापन क्रमांक : 46/2022/30.12.2022	पद/परीक्षा का नाम : सहायक प्राध्यापक (संस्कृत साहित्य प्राच्य) परीक्षा- 2022
अनुक्रमांक:-	अभ्यर्थी का नाम :-

स.क्र.	दस्तावेज का विवरण	संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ क्रमांक	संलग्नक के पृष्ठों की कुल संख्या
1.	उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति	पृष्ठ क्रमांक से तक
2.	उपरोक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र की छायाप्रति	पृष्ठ क्रमांक से तक
3.	उपस्थिति पत्रक-1 मूल प्रति	पृष्ठ क्रमांक से तक
4.	व्यक्तित्व विवरण पत्रक-1 मूल प्रति एवं 5 छायाप्रतियाँ (केवल मूल प्रति पर नमबरीज करना है। छायाप्रतियों पर नमबरीज नहीं करना है।)	पृष्ठ क्रमांक से तक
5.	अनुप्रमाण फॉर्म-3 मूल प्रति	पृष्ठ क्रमांक से तक
6.	घोषणा पत्र (किसी भी चयन/परीक्षा से विवर्धित (Debar) नहीं होने संबंधी) 01 मूल प्रति	पृष्ठ क्रमांक से तक
7.	हार्दिकसूची की अंकसूची (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
8.	हायर सेकेण्डरी की अंकसूची (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक

9.	स्नातक एवं स्नातकोत्तर की समस्त वर्षों की अंकसूचियाँ एवं उपाधि (स्नातक परीक्षा दिनांक 13.04.2024 के पूर्व उत्तीर्ण होना अनिवार्य है) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
10.	यू.जी.सी. नेट/मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) उत्तीर्ण प्रमाण पत्र (दिनांक 13.04.2024 तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
11.	प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों के लिए निर्धारित प्रारूप में अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र (दिनांक 13.04.2024 तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
12.	मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में म.प्र. राज्य का राजगार कार्यालय का जीवित पंजीन प्रमाण-पत्र (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
13.	मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की प्रति (प्रमाण-पत्र में प्रकरण क्रमांक, गोल सील, जाचक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है।) (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
14.	आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. शासन का जाति प्रमाण पत्र। विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र में जारी करने की दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है। अन्य राज्य के जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।) (म.प्र. शासन की सेवाओं हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।) (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
15.	म.प्र. का मूल निवासी होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीनीलेयर श्रेणी के अंतर्गत न आने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र-01 मूल प्रति	पृष्ठ क्रमांक से तक
16.	महिला अभ्यर्थियों हेतु विवाहोपरांत उन्मान परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की प्रति (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
17.	म.प्र. शासन की सेवा में सेवारत शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापति प्रमाण-पत्र की प्रति अनापति प्रमाण-पत्र न हो तो विभाग को अनापति हेतु प्रस्तुत पत्र की प्रति संलग्न करें। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
18.	मध्य प्रदेश शासन की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र-1 मूल प्रति	पृष्ठ क्रमांक से तक
19.	भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 13.04.2024 के पूर्व भूतपूर्व सैनिक होने संबंधी दस्तावेज की प्रति एवं सेवावधि का विवरण प्रकर की प्रति (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
20.	अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र। (आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र/पत्र कार्ड/फोटोयुक्त बैंक पास बुक की प्रति/शासकीय कार्यालय होने की स्थिति में नियोजित द्वारा जारी परिचय पत्र की प्रति/ड्राइवविंग लायसंस) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
21.	दिव्यांग अभ्यर्थियों होने की स्थिति में दिव्यांगता के प्रमाण पत्र की छायाप्रति (ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 13.04.2024 के पूर्व प्रमाण पत्र जारी होना अनिवार्य है।)	पृष्ठ क्रमांक से तक
22.	यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण/न्यायालयीन प्रकरण दर्ज हो जिसका निराकरण लंबित हो या हो चुका हो तो उससे संबंधित दस्तावेज	पृष्ठ क्रमांक से तक
23.	आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्राथमिक भाग (13 प्रतिशत) के आधार अभ्यर्थी 'अभिवचन पत्र' की पूर्णतः कर आयोग कार्यालय में साक्षात्कार दिवस को अनिवार्यतः प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।	पृष्ठ क्रमांक से तक
24.	अन्य कोई दस्तावेज जो अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहता है।	पृष्ठ क्रमांक से तक
कुल संलग्नक दस्तावेजों की संख्या (अंकों में)		

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर:-

05. साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थी विज्ञापन अनुसार बांझित अपनी अर्हता संबंधी समस्त अभिलेख उपरोक्त परिशिष्ट प्रपत्र-01 अनुसार क्रम में प्रमाण-पत्रों की प्रमाणीत/संश्लेषणित छायाप्रति संलग्न कर अभ्यर्थी अपना नाम, अनुक्रमांक, पृष्ठ क्रमांक एवं संलग्न दस्तावेज के कुल पृष्ठों की संख्या स्पष्टतः अंकित कर दिनांक 20.01.2025 तक आयोग कार्यालय में प्रेषित करें। डाक विभाग या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए अभ्यर्थियों के अभिलेख आयोग कार्यालय में विलंब से प्राप्त होने पर आयोग जिम्मेदार नहीं होगा न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपने अभिलेख आयोग कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। निम्न अभ्यर्थियों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होने उनके विषय में यह माना जाएगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी एवं उनके आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारियों की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जांच करने के उपरांत सही पाए जाने पर ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।

06. आयोग की वेबक दिनांक 19.09.2024 के निर्णय क्रमांक-20 के निर्णयानुसार आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा/लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूर्ण किए जाने वाले समस्त प्रकरणों में लिखित परीक्षा में सफलित होकर साक्षात्कार हेतु अर्ह घोषित किए गए केवल ऐसे आवेदन विनये अभिलेख आयोग कार्यालय में विद्यमान से प्राप्त होते हैं एवं किसी कारणवश नहीं भेजे जाते हैं तो ऐसे आवेदकों से विलम्ब शुल्क के साथ आयोग कार्यालय में अभिलेख जमा करने हेतु निम्नानुसार राशि निर्धारित की गई है :-

(रोक अगले पृष्ठ पर)

कार्यालय, सहायक संचालक उद्यान (प्रमुख उद्यान) मध्यप्रदेश भोपाल

गुलाब उद्यान परिसर, लिंक रोड नं., तुलसीनगर, भोपाल

ई-मेल आई.डी.: pg.bhopal@mp.gov.in, adhpbgp@mp.com

क्रमांक/उद्यान/मण्डल/उद्यान/2024-25 /1290 भोपाल, दिनांक : 30.12.2024

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

संचालनालय उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के लिए राजधानी भोपाल के मुख्य समारोह में मुख्य शीर्षक विषय "विकास से विकास" अर्थात् कार्यालय में उपलब्ध मॉडल/आकल्पन के अनुसार श्राल्की निर्मित करने के लिए अनुमानित संभावित व्यय प्राप्ति रु. 6.50 लाख से कम या अधिक के आधार पर जी.एस.टी. सहित अनुबंधी कालाकारों/श्राल्की निर्माताओं से ई-निविदा के माध्यम से अर्ह आमंत्रित की जाती है।

एम.पी.टेकस्ट्रॉल पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने व अर्ह प्रस्तुत करने का समय ऑनलाइन निविदा जारी दिनांक 01.01.2025 शाम 05.00 बजे से दिनांक 08.01.2025 दोपहर 01.00 बजे तक होगा।

आमंत्रित ई-निविदा दिनांक 09.01.2025 को समय दोपहर 03.00 बजे उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष गठित समिति द्वारा खोली जायेगी निविदा वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर उपलब्ध रहेगी एवं राशि रु. 1000.00 ऑनलाइन जमा कर निविदा से संबंधित समस्त जानकारी वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

सहायक संचालक उद्यान (प्रमुख उद्यान)

जी-21033/50402/2025 भोपाल, मध्यप्रदेश

कार्यालय प्राचार्य शा. परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र उज्जैन (म.प्र.)

दीनदयाल उपाध्याय कॉम्प्लेक्स के पीछे गांधी नगर साँवरे रोड उज्जैन

(दूरभाष क. : 0734-2990029)

म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, एम.एस.सी., रेलवे एवं बैंकिंग चयन मण्डलों एवं अन्य शासकीय सेवा में चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षा हेतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु विज्ञापन

मध्यप्रदेश शासन अनुसूचित जाति विकास विभाग भोपाल द्वारा संचालित शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र उज्जैन (म.प्र.) में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण (कोषिण) दिनांक 15.1.2025 से प्रारंभ होना प्रस्तावित है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 13.1.2025 है। आवेदन-पत्र निम्न शर्तों के अधीन आमंत्रित किये जाते हैं :-

1. आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य एवं म.प्र. का मूल निवासी हो। आवेदक के परिवार की समस्त शोती से वार्षिक आय रुपये 6.00 लाख से अधिक न हो। न्यूनतम आय सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आय सीमा 35 वर्ष हो। आवेदक ने पूर्व में किसी भी शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षण प्राप्त न किया हो।
2. आवेदक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखता हो एवं संस्था में प्रशिक्षण हेतु चयन का आधार शैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम 55 प्रतिशत या अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण हो।
3. प्रशिक्षण केन्द्र में पुरेतालय, कम्यूटर लैब, डिजिटल कक्षा आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं।

उपरोक्तानुसार आवेदक कार्यालय से निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त कर सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की उत्तरीय अंकसूची, पारसपट्टी फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, सभ्य आदि.सी. सभी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति स्वप्रमाणित कर संस्था से निर्धारित आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर कार्यालय प्राचार्य, शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र उज्जैन में डाक या व्यक्तिगत रूप से कार्यालयीन समय एवं दिवसों में कार्यालय में जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिये केन्द्र में कार्यलयीन समय एवं दिवस में संपर्क कर सकते हैं।

जी-21032/50401/2025 उपसंचालक/प्राचार्य शा. परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, उज्जैन (म.प्र.)



अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत

स्नातक एवं तकनीकी (डिप्लोमा)



अप्रेंटिस (एक वर्षीय) के आवेदन हेतु विस्तृत विज्ञापन

मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर द्वारा मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए विन्दिने B.E./B.TECH (ELECTRICAL) एवं Diploma (ELECTRICAL) शासकीय मान्यता प्राप्त कॉलेज से वर्ष 2024 के मध्य उत्तरणी की हो, को अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत स्नातक एवं तकनीकी अप्रेंटिस में एक वर्षीय अप्रेंटिस हेतु आवेदन आमंत्रित करती है। कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 19.01.2025 शाम 5.30 बजे तक है। कुल रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	विषय	शैक्षणिक योग्यता	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	कुल
1.	प्रेनुएट इलेक्ट्रिकल	B.E./B.Tech (Electrical)	5	8	10	8	31
2.	तकनीकी (डिप्लोमा) इलेक्ट्रिकल	Diploma (Electrical)	3	4	5	6	18
कुल			8	12	15	14	49

नोट:- विस्तृत विवरण कंपनी की वेबसाइट www.mpez.co.in पर देख सकते हैं।
R-50404/2025 अति. मुख्य महाप्रबंधक (प्रशिक्षण)



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया, इंदौर (म.प्र.) 452001

विज्ञापन क्रमांक 13342/04/2022/आई.टी. इंदौर, दिनांक : 01.01.2025

विज्ञापित

विषय-विशेषज्ञों हेतु ऑनलाइन पोर्टल के संबंध में सूचना

आयोग द्वारा जारी विज्ञापनों के अनुक्रम में आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए विषय-विशेषज्ञों को गोपनीय कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है। उक्त गोपनीय कार्य करने के रद्दकृत विषय-विशेषज्ञ अपना बायोडाटा, वेबसाइट <https://mppsc.mp.gov.in> पर उपलब्ध लिंक/टैब "विषय-विशेषज्ञ पोर्टल" के माध्यम से आयोग को प्रेषित कर सकते हैं।

जी-21134/50409/2025 परीक्षा निबंधक

एमपी इण्डस्ट्रीयल डेव्लपमेंट कांफोरशन लि.

क्षेत्रीय कार्यालय, टी.व्ही. टावर के पास, उद्योग स्थल, कटंगा, जबलपुर (म.प्र.)

निविदा आमंत्रण सूचना

क्रमांक-एमपी आईडीसी/के.जा.क.ए./2024/4689 जबलपुर, दिनांक 31.12.2024
निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा पोर्टल mptenders.gov.in-MPIDC R Jabalpur के माध्यम से आमंत्रित की जाती है।

कार्य का विवरण	बयाना राशि रु. लाख में	निविदा प्रपत्र शुल्क	कार्य की राशि	कार्याधीन
औद्योगिक क्षेत्र लगाना विला कटनी में उन्नयन कार्य के अंतर्गत 5 कि.मी. नाली निर्माण तथा 02 नग हाईमैटल का काबी	रु. 1.75	रु. 14750.00 जी.एस.टी सहित	रु. 174.71 लाख	06 माह

किसी भी निविदा या समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त/रद्द/कृत करने निविदा की तिथि बढ़ाने का अधिकार निगम के कार्यकारी संचालक के पास सुरक्षित है। टेडर बायपास उपरोक्त ई-प्रोक्विमेंट पोर्टल mptender.gov.in के माध्यम से निर्धारित तिथि तक डाउनलोड व क्रय किया जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/118099/2025 R-50423/2025 कार्यकारी संचालक

(पिछले पृष्ठ का लेख)

आयोग द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम में साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि 20.01.2025 के पश्चात कार्यालयीन दिवस/समय प्रातः 10.00 से सायं 06.00 बजे तक निम्नानुसार विलंब शुल्क की नगद राशि एम.पी.टी.सी. के माध्यम से आयोग की लेखा शाखा में जमा करने के पश्चात अभिलेख जमा किए जा सकेंगे।

01. निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात कार्यालयीन 05 दिवस तक राशि रुपये 3,00,00/- (तीन हजार मात्र) दिनांक 21.01.2025 से 27.01.2025 तक
02. निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात 10 कार्यालयीन दिवस तक (अर्थात् 06 से 10 दिवस तक) राशि रुपये 25,00,00/- (दस हजार मात्र) दिनांक 28.01.2025 से 04.02.2025 तक

उपरोक्तानुसार विलंब शुल्क के साथ निर्धारित तिथियों के पश्चात ह्राद अथवा अन्य किसी माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए आवेदकों के अभिलेख प्राप्त होने पर आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा।

महत्वपूर्ण टी-प

1. सूची में दर्शाए गए परीक्षा परिणाम अधूरे प्रावधिक है। यदि अभ्यर्थी सहायक प्राध्यापक (संस्कृत साहित्य प्राचीन) परीक्षा- 2022 के लिए अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो साक्षात्कार हेतु उद्योग की अर्हता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
2. सहायक प्राध्यापक (संस्कृत साहित्य प्राचीन) परीक्षा - 2022 के साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।
3. न्यायालयीन प्रक्रिया का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
4. ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में चाही गई वॉशिट औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणाम स्वयं चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।

5. साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुख्य त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षा परिणाम की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।
6. सहायक प्राध्यापक परीक्षा - 2022 में उच्च शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के अतिथि विद्वान (रिक्त पदों के विरुद्ध एवं जनभागीदारी) तथा मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों में संविदा आधार पर कार्यरत अतिथि विद्वानों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं का अंतिम चयन परिणाम याचिकाओं के पारित अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
7. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कोई तकनीकी त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो आयोग के पास परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
8. आयोग की बैठक दिनांक 30.10.2023 में लिए गए निर्णय क्रमांक-31 के अनुसार सहायक प्राध्यापक (संस्कृत साहित्य प्राचीन) परीक्षा-2022 की अंतिम उत्तररुकी में विलोपित किए गए प्रश्नों के अथवा परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों को समाप्त रूप से प्रत्यक्ष किए गए हैं अर्थात् दोनों त्रुटि पत्रों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णता की गणना हेतु निर्धारित पूर्णांक बंधावत है।
9. अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अभिलेख दिनांक 01.01.2025 तक निम्न पत्र पर भेजना सुनिश्चित करें :-

प्रति,
सचिव,
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी एरिया, इंदौर
अभ्यर्थी अपने अभिलेख के लिफाफे पर सहायक प्राध्यापक (संस्कृत साहित्य प्राचीन) परीक्षा-2022 के साक्षात्कार हेतु अभिलेख अवश्य लिखें।
जी-21068/50403/2025 उच परीक्षा निबंधक



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2023, परीक्षा दिनांक 11.03.2024 से 16.03.2024 तक

साक्षात्कार हेतु लघुसूचीकृत अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची

विज्ञाप क्र.-13303/13/2024/अनु. 10 इंदौर, दिनांक : 30.12.2024

01. विज्ञाप क्रमांक-31/2023/05.09.2023, ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 21.10.2023

1.	शुद्धि पत्र क्रमांक-01/31/2023-33/2023 दिनांक 10.10.2023, (ऑनलाइन आवेदन अधि में वृद्धि की सूचना संबंधी)	56	100271	134	100701	212	101130	290	101666	368	102345
2.	प्रेस विज्ञापि क्रमांक-12878/16/2023/परीक्षा-8, दिनांक 11.12.2023 (संभागीय पर्यवेक्षकों की व्यवस्था की सूचना के संबंध में)	57	100279	135	100706	213	101132	291	101677	369	102372
3.	विज्ञापि क्रमांक-15279/15/2023/अनु-10 दिनांक 18.01.2024 (राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2023 के परीक्षा परिणाम के संबंध में केविष्ट याफिका दायर किए जाने की सूचना संबंधी)	58	100286	136	100708	214	101135	292	101697	370	102378
4.	विज्ञापि क्रमांक-16044/14-15/2023/अनु-10 (राज्य सेवा/राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2023 के स्कोर कार्ड एवं ओ.एन.आर. शीट डायनलॉड किए जाने की सूचना संबंधी)	59	100292	137	100714	215	101136	293	101701	371	102401
5.	विज्ञापि क्रमांक-01/मुख्य परीक्षा/2023, दिनांक 02.02.2024 (परीक्षा आयोजन की सूचना संबंधी)	60	100306	138	100718	216	101144	294	101710	372	102407
6.	विज्ञापि क्रमांक-3120/पिंड/2024/प.नि., दिनांक 12.02.2024 (परीक्षा आयोजन की सूचना संबंधी)	61	100309	139	100719	217	101147	295	101712	373	102425
7.	विज्ञापि क्रमांक-02/मुख्य परीक्षा/2023, दिनांक 23.02.2024 (ऑनलाइन आवेदन सुविधा पुनः प्रारंभ करने की सूचना संबंधी)	62	100310	140	100727	218	101148	296	101715	374	102446
8.	प्रेस विज्ञापि क्रमांक-18299/04/2024/परीक्षा-8, दिनांक 06.03.2024 (संभागीय पर्यवेक्षकों की व्यवस्था की सूचना के संबंध में)	63	100313	141	100749	219	101154	297	101718	375	102450
9.	शुद्धि पत्र क्रमांक-02/31/2023-33/2023 दिनांक 04.06.2024. (याचिका क्रमांक में त्रुटि संबंधी)	64	100316	142	100750	220	101167	298	101743	376	102455

02. उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2023 जिला मुख्यालय इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, रातमना, समाना, सागर, राहड़लख, बड़बानी एवं बालाघाट के केंद्रों पर दिनांक 11.03.2024 से 16.03.2024 तक आयोजित की गई थी

03. उपरोक्तानुसार जारी विज्ञापन एवं शुद्धि पत्रों के माध्यम से विज्ञापित पदों की कुल संख्या निम्नानुसार है :-

अनाश्रित	कुल विज्ञापित पद	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांगजन
श्रेणी (UR)	72	3	अस्थिबाधित (LD)(OH)-5
अनुसूचित जाति (SC)	36	2	दृष्टिबाधित (VH)-2
अनुसूचित जनजाति (ST)	44	2	श्रवणबाधित (HH)-3
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	55	4	बहुविकलांग (MD)-1
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	22	1	
कुल	229	12	कुल-11

04. अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित लिखित न्यायालयीन प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश के प्रकाश में सामान्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल द्वारा जारी 'पत्र क्रमांक-एफ 07-46/2021/आ.प्र. एक, भोपाल, दिनांक 29 सितंबर, 2022' के अनुक्रम में विज्ञापित विज्ञापन क्रमांक-31/2023/05.09.2023 के अनुसार आयोग द्वारा बैठक दिनांक 10.07.2023 के निर्णय क्र.-55 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुपालन में तथा विद्यमान नियमानुसार उपरोक्त लघुसूचीकृत अर्ह अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गई है :-

अनाश्रित	कुल विज्ञापित पद	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांगजन
04. अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित लिखित न्यायालयीन प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश के प्रकाश में सामान्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल द्वारा जारी 'पत्र क्रमांक-एफ 07-46/2021/आ.प्र. एक, भोपाल, दिनांक 29 सितंबर, 2022' के अनुक्रम में विज्ञापित विज्ञापन क्रमांक-31/2023/05.09.2023 के अनुसार आयोग द्वारा बैठक दिनांक 10.07.2023 के निर्णय क्र.-55 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुपालन में तथा विद्यमान नियमानुसार उपरोक्त लघुसूचीकृत अर्ह अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गई है :-			
1. सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त पदानुसार प्रारंभिक परीक्षा/लिखित परीक्षा में चयनित (शॉर्टलिस्टेड) प्रकाशित अर्ह अभ्यर्थी परीक्षा के अगले प्रत्येक चरण (मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार) में प्राथमिक रूप से ही सम्मिलित होंगे। माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय आने के उपरांत वह अपने संबंधित वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग या अनाश्रित) में रहे गए 13 प्रतिशत पद के विरुद्ध ही चयनित होंगे न कि पूर्व घोषित हो चुके 87 प्रतिशत पद के विरुद्ध			
2. परीक्षा परिणामों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्राथमिक भाग (13 प्रतिशत) अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 13 प्रतिशत अनाश्रित) में अर्ह अभ्यर्थी अपने-अपने भाग में ही चयन होंगे। चयन के किसी भी स्तर पर एक-दूसरे से अंतर परिवर्तन (दोहरा चयन) हेतु दावा नहीं कर सकेंगे। चयन प्रक्रिया के प्रत्येक अगले चयन हेतु इस आशय का अभिवचन पत्र भी अभ्यर्थियों से अनिवार्यतः प्राप्त किया जाए			
सामान्य प्रशासन विभाग के 'पत्र क्रमांक-एफ 07-46/2021/आ.प्र.एक, भोपाल दिनांक 29 सितंबर, 2022' में दिए गए निर्देशों एवं आयोग के निर्णय अनुसार राज्य सेवा परीक्षा-2023 के अंतर्गत विज्ञापित पदों का परीक्षा परिणाम दो भागों में मुख्य भाग एवं प्राथमिक भाग में घोषित किया जाना है। राज्य सेवा परीक्षा-2023 हेतु मुख्य भाग (14 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों) तथा (ब) प्राथमिक भाग 13 प्रतिशत (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 13 प्रतिशत अनाश्रित श्रेणी हेतु) पदों का विवरण विज्ञापित विज्ञापन क्रमांक - 31/ 2023/05.09.2023 में ही प्रकाशित कर दिया गया था। विज्ञापन के अनुसार राज्य सेवा परीक्षा-2023 हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के विज्ञापित पदों का रिक्तिक विवरण निम्नानुसार है :-			

स.क्र.	अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु विज्ञापित कुल पद	मुख्य भाग 87 प्रतिशत (14 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के पद)	प्राथमिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 13 प्रतिशत अनाश्रित श्रेणी हेतु)
01	55	30	25

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2023 में मुख्य भाग- अ के लिए कुल विज्ञापित कुल 204 पदों के 03 गुना-समान अंक प्राप्त साक्षात्कार हेतु लघुसूचीकृत कुल 6509 अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची निम्नानुसार है :-

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION

STATE SERVICE MAIN EXAM 2023 PART A (MAIN)

LIST OF CANDIDATES PROVISIONALLY SHORTLISTED FOR INTERVIEW

Sr. No.	Roll No.	Sr. No.	Roll No.	Sr.No.	Roll No.	Sr.No.	Roll No.	Sr.No.	Roll No.
1	100002	12	100049	23	100107	34	100157	45	100209
2	100005	13	100052	24	100109	35	100163	46	100213
3	100009	14	100056	25	100116	36	100178	47	100224
4	100012	15	100077	26	100125	37	100179	48	100227
5	100013	16	100081	27	100131	38	100180	49	100239
6	100022	17	100082	28	100136	39	100191	50	100253
7	100023	18	100086	29	100141	40	100196	51	100255
8	100024	19	100089	30	100148	41	100200	52	100257
9	100038	20	100094	31	100144	42	100203	53	100261
10	100040	21	100100	32	100148	43	100204	54	100262
11	100041	22	100103	33	100153	44	100208	55	100266
122	100605	200	101059	278	101602	356	102260	434	103170
123	100615	201	101061	279	101609	357	102262	435	103171
124	100621	202	101062	280	101611	358	102269	436	103179
125	100640	203	101072	281	101612	359	102270	437	103220
126	100643	204	101084	282	101613	360	102271	438	103263
127	100644	205	101085	283	101616	361	102278	439	103270
128	100652	206	101086	284	101617	362	102284	440	103272
129	100658	207	101096	285	101629	363	102299	441	103281
130	100659	208	101097	286	101630	364	102306	442	103287
131	100679	209	101109	287	101631	365	102310	443	103311
132	100685	210	101119	288	101634	366	102333	444	103316
133	100690	211	101126	289	101637	367	102341	445	103325

Sr.No.	Roll No.	Sr.No.	Roll No.	Sr.No.	Roll No.	Sr.No.	Roll No.	Sr.No.	Roll No.
446	103332	489	103784	532	104191	575	104880	618	105612
447	103341	490	103795	533	104207	576	104919	619	105630
448	103349	491	103812	534	104217	577	104927	620	105634
449	103359	492	103814	535	104227	578	104928	621	105639
450	103386	493	103815	536	104231	579	104941	622	105663
451	103393	494	103822	537	104248	580	105021	623	105691
452	103414	495	103825	538	104250	581	105027	624	105696
453	103446	496	103827	539	104257	582	105031	625	105761
454	103449	497	103831	540	104279	583	105039	626	105773
455	103454	498	103844	541	104285	584	105049	627	105776
456	103465	499	103868	542	104307	585	105059	628	105786
457	103478	500	103871	543	104315	586	105069	629	105831
458	103480	501	103872	544	104336	587	105145	630	105852
459	103484	502	103878	545	104337	588	105179	631	105856
460	103490	503	103879	546	104356	589	105201	632	105900
461	103495	504	103904	547	104365	590	105213	633	105901
462	103501	505	103911	548	104369	591	105241	634	105915
463	103509	506	103918	549	104392	592	105264	635	105938
464	103524	507	103927	550	104465	593	105290	636	105943
465	103526	508	103935	551	104467	594	105320	637	105952
466	103527	509	103942	552	104471	595	105325	638	105954
467	103529	510	103947	553	104473	596	105326	639	105986
468	103532	511	103949	554	104482	597	105328	640	106003
469	103556	512	103954	555	104484	598	105337	641	106028
470	103571	513	103956	556	104493	599	105347	642	106041
471	103573	514	103958	557	104520	600	105353	643	106088
472	103578	515	103962	558	104524	601	105360	644	106101
473	103584	516	103989	559	104541	602	105376	645	106102
474	103586	517	104009	560	104543	603	105381	646	106112
475	103595	518	104017	561	104554	604	105391	647	106114
476	103599	519	104024	562	104584	605	105405	648	106117
477	103603	520	104036	563	104587	606	105419	649	106149
478	103616	521	104049	564	104602	607	105420	650	106190
479	103620	522	104097	565	104680	608	105421	651	106218
480	103628	523	104103	566	104688	609	105482	652	106228
481	103636	524	104113	567	104694	610	105507	653	106243
482	103649	525	104126	568	104714	611	105512	654	106251
483	103672	526	104134	569	104731	612	105522	655	106265
484	103731	527	104138	570	104778	613	105542	656	106273
485	103732	528	104142	571	104784	614	105565	657	106320
486	103742	529	104143	572	104794	615	105575	658	106335
487	103771	530	104159	573	104811	616	105595	659	106353
488	103772	531	104160	574	104815	617	105601		

प्राथमिक भाग-ब के लिए विज्ञापित कुल 25 पदों के 03 गुण + समान अंक प्राप्त साक्षात्कार हेतु लघुसूचीकृत कुल-141 अभ्यर्थियों की अनुक्रमिकवार सूची निम्नानुसार है :-

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION

STATE SERVICE MAIN EXAM 2023 PART B (MAIN) LIST OF CANDIDATES

PROVISIONALLY SHORT LISTED FOR INTERVIEW

Sr.No.	Roll No.	Sr.No.	Roll No.	Sr.No.	Roll No.	Sr.No.	Roll No.	Sr.No.	Roll No.
1	100017	30	100587	59	101944	88	103029	115	104435
2	100030	31	100677	60	101972	89	103085	116	104478
3	100039	32	100696	61	101996	90	103094	117	104673
4	100069	33	100700	62	102025	91	103117	118	104757
5	100070	34	100918	63	102036	92	103123	119	104903
6	100071	35	100968	64	102047	93	103143	120	104967
7	100122	36	100973	65	102415	94	103216	121	104999
8	100128	37	100990	66	102430	95	103222	122	105004
9	100135	38	100993	67	102433	96	103258	123	105008
10	100140	39	100998	68	102436	97	103269	124	105014
11	100149	40	101047	69	102439	98	103295	125	105206
12	100159	41	101074	70	102477	99	103302	126	105208
13	100161	42	101173	71	102479	100	103380	127	105243
14	100162	43	101229	72	102512	101	103427	128	105343
15	100170	44	101262	73	102518	102	103432	129	105448
16	100202	45	101304	74	102636	103	103525	130	105519
17	100216	46	101373	75	102701	104	103560	131	105597
18	100233	47	101388	76	102725	105	103594	132	105661
19	100265	48	101456	77	102750	106	103806	133	105716
20	100268	49	101457	78	102807	107	103830	134	105857
21	100312	50	101489	79	102840	108	103863	135	105913
22	100440	51	101541	80	102849	109	103994	136	105925
23	100451	52	101575	81	102867	110	104144	137	106022
24	100463	53	101678	82	102893	111	104145	138	106213
25	100474	54	101791	83	102916	112	104187	139	106248
26	100479	55	101799	84	102955	113	104214	140	106283
27	100543	56	101812	85	102991	114	104318	141	106348
28	100557	57	101878	86	103013				
29	100586	58	101896	87	103026				

साक्षात्कार हेतु अभिलेख प्रेषित करने के संबंध में निर्देश :-

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

परिशिष्ट प्रपत्र-01

विज्ञापन क्रमांक : 31/2023/05.09.2023	परीक्षा का नाम : राज्य सेवा परीक्षा-2023		
आवेदक क्रमांक/अनुक्रमांक :-	अभ्यर्थी का नाम :-		
स.क्र.	दस्तावेज का विवरण	संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ क्रमांक	संलग्नक पृष्ठों की कुल संख्या
1.	उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
2.	उपरोक्त परीक्षा के प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र की छायाप्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
3.	उपस्थिति पत्रक-1 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
4.	व्यक्तिगत विवरण पत्रक-1 मूल प्रति एवं 5 छायाप्रतियाँ। (केवल मूल प्रति पर नम्बरिंग अंकित करना है। छायाप्रतियों पर नम्बरिंग नहीं करना है।)	पृष्ठ क्रमांक से तक
5.	अनुप्रमाण फॉर्म-3 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
6.	हार्डकॉपी की अंकसूची। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
7.	हायर सेकेण्डरी की अंकसूची। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
8.	स्नातक/स्नातकोत्तर की समस्त वर्षों की अंकसूचियाँ एवं उपाधि। (मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25.02.2024 तक जारी अंकसूची एवं उपाधि। (छायाप्रति))	पृष्ठ क्रमांक से तक
9.	मध्यप्रदेश शासन की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र-01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
10.	घोषणा पत्र (किसी भी चयन/परीक्षा से विवर्जित (Debar) नहीं होने संबंधी)। 01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
11.	म.प्र. का मूल निवासी होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ज़मीनीलेयर श्रेणी के अंतर्गत न आने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र-01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
12.	मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में म.प्र. राज्य को राज्यांतर कार्यालय का जीवन पंजीयन प्रमाण-पत्र (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र)। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
13.	मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की प्रति (प्रमाण-पत्र में प्रकरण क्रमांक, गोल सील जाबक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है।) (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र)। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
14.	महिला आवेदकों हेतु विवाहोपरांत उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की प्रति। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
15.	आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. शासन का जाति प्रमाण पत्र। (विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र। (जाति प्रमाण पत्र में जारी करने की दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है। अन्य राज्य के जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।) (म.प्र शासन की सेवाओं हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।) (प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 08.11.2023 तक का जारी प्रमाण पत्र)। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
16.	मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में ई-डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए वित्तीय वर्ष 2023-2024 का जारी ई-डब्ल्यू.एस. के वैध प्रमाण पत्र की छायाप्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
17.	म.प्र. शासन की सेवा में सेवारत शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति। अनापत्ति प्रमाण-पत्र न हो तो विभाग को अनापत्ति हेतु प्रस्तुत पत्र की प्रति संलग्न करें। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
18.	भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 08.11.2023 के पूर्व के भूतपूर्व सैनिक होने संबंधी दस्तावेज की प्रति एवं सेवाधि के विवरण पत्रक की छायाप्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
19.	दिव्यंग अभ्यर्थी होने की स्थिति में दिव्यंगता के प्रमाण पत्र की छायाप्रति। (ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 08.11.2023 के पूर्व प्रमाण पत्र जारी होना अनिवार्य है।)	पृष्ठ क्रमांक से तक
20.	अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र (आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र/पैन कार्ड/बैंक पास बुक की प्रति / शासकीय कर्मचारी होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र की प्रति/ड्रायविंग लायसेंस)। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
21.	मुख्य भाग-87 परिशिष्ट एवं प्राथमिक भाग-13 परिशिष्ट के संबंध में अभिवचन पत्र - उपरोक्त अभिवचन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, प्रस्तुत नहीं करने पर उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।	पृष्ठ क्रमांक से तक
22.	यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण/न्यायालयीन प्रकरण दर्ज हो जिसका निराकरण लंबित हो या हो चुका हो तो उससे संबंधित दस्तावेज।	पृष्ठ क्रमांक से तक

“मेरी सड़क” एच डायलॉग कर फीडबैक देकर राष्ट्र के विकास में सहयोग में
MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY
 (An Agency of Panchayat & Rural Development Department, Govt. of M.P.)
 3rd Floor, Vikas Bhawan, Arera Hills, Bhopal (M.P.)
 (GST No. 23AAATM9054A32X)
 No./17650/22/D-12/NIT-Maint./2024
 Bhopal, Dated : 30.12.2024

NOTICE INVITING TENDER NO. 323/MTN/2024

Online Tenders for the following works are invited on the E-Procurement System portal <https://mptenders.gov.in> as detailed below :-

- **SSR Applicable** :- SSR issued by M.P. Rural Road Development Authority effective from 01.01.2024 and amendments upto issue date of NIT.
- **Name of Work** – Repair/Maintenance of the Rural Roads for Five Years constructed under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna. (Post 5 Year)

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (In Rs.)
1.	Ashoknagar	2	3022069.00
2.	Balaghat	1	2310180.00
3.	Betul	1	888598.00
4.	Burhanpur	2	12866568.00
5.	Datla	1	688320.00
6.	Dhar	1	16209912.00
7.	Dindori	3	46311379.00
8.	Guna	1	2028535.00
9.	Harda	1	4183498.00
10.	Jabalpur	6	84368352.00
11.	Katni	3	36291769.00
12.	Morha	1	22922625.00
13.	Narsinghpur	1	29387866.00
14.	Vidisha	1	5638510.00

1. Tender document can be purchased only online from the above website from 02.01.2025 from 17-30 hrs. and last date for online bid submission is 17.01.2025 (17:00 hrs.).
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document on the above-mentioned portal and concerned PIU.

CHIEF GENERAL MANAGER

M.P., Madhyam/118041/2024 R-50413/2025 (TENDER)

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक (विषय, खेल एवं संगीत-गायन वादन), प्राथमिक शिक्षक (खेल, संगीत गायन-वादन एवं नृत्य) तथा म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक (विषय), प्राथमिक शिक्षक (खेल, संगीत गायन-वादन एवं नृत्य) चयन परीक्षा 2024 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं

आवेदन पत्र भरने की तिथि
28.01.2025 से 11.02.2025 तक

ऑनलाइन परीक्षा पद्धति
समय सारणी

आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि
28.01.2025 से 16.02.2025 तक

संभावित परीक्षा दिनांक	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिए एप्लोडिंग समय	उत्तर अंकिता का समय
20 मार्च 2025 से प्रारंभ	प्रथम द्वितीय	प्रातः 07:00 से प्रातः 08:00 बजे तक दोपहर 01:00 से दोपहर 02:00 बजे तक	प्रातः 09:00 से 11:00 बजे तक (02 घंटे) दोपहर 03:00 से 05:00 बजे तक (02 घंटे)

आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया एवं महत्वपूर्ण निर्देश :-

1. परीक्षा के नियम, विभागात्मक पत्र पढ़ी की आरक्षण तालिकाएँ एवं परीक्षा संचालन नियम से संबंधित विस्तृत नियम पुस्तिका मण्डल की वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर उपलब्ध रहेगी, जिसमें उल्लेखित समस्त नियमों/जागरूकता का अध्ययन करके ही आवेदन पत्र भरा जावे।
2. वेबसाइट www.esb.mp.gov.in के माध्यम से आवेदन पत्र भरा जा सकता है।
3. संभावित परीक्षा शहर- बालाघाट, भोपाल, खालियर, इंदौर, जबलपुर, खांडवा, नीचक, तलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी एवं उन्नाव।
4. परीक्षा शुल्क-

अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए	रुपये 500/- प्रति प्रश्न पत्र
केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस. एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए	रुपये 250/- प्रति प्रश्न पत्र
ऑनलाइन आवेदन- क्विडकोक के माध्यम से ऑनलाइन फेड में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलम्ब से आने पर अभ्यर्थियों की प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।	रुपये 600/-
अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन युवा के माध्यम से लॉगिन कर फार्म भरने पर पॉस्टल शुल्क	रुपये 200/-

विशेष निर्देश :-

1. अभ्यर्थी का आधार पंजीवन अनिवार्य है।
2. मण्डल द्वारा आमोचित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यू.आई.डी.ए.आई. (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई-आधार मान्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के आवेदन में परीक्षाओं की परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
3. अभ्यर्थी को विद्यमान पुस्तिका में विनिर्दिष्ट मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड/ई-आधार कार्ड की छायाप्रति/आधार नंबर/आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है।
4. परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। अतः जिन अभ्यर्थियों का आधार नंबर लॉक है वह परीक्षा दिनांक को परीक्षा केंद्र पर उपस्थित के पूर्व आधार अनलॉक करवाना सुनिश्चित करें।
5. परीक्षाओं को परीक्षा में प्रवेश के पश्चात् परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलम्ब से आने पर अभ्यर्थियों की प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
6. परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉग टैब्लेट, डिजिटल घड़ी, नकल पत्राई एवं Sun Glasses (स्पेक का चरम) आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
7. ऑनलाइन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रहे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
8. परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काफ़ी सावधानी के साथ परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मण्डल वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
9. किसी भी परीक्षाओं को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् परीक्षा समाप्त होने तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
10. आवेदन-पत्र भरने समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रकार का परीक्षा मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर निष्पक्ष प्रक्रिया के दौरान सम्बंधित विभाग द्वारा किया जाता है। अतः कम्प्यूटर आधारित (Online) परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता (Eligibility) पूर्णतः प्राथमिक (Provisional) होगी।

नोट :- परीक्षा की विस्तृत जानकारी हेतु मण्डल की वेबसाइट पर परीक्षा की नियम पुस्तिका माह जनवरी 2025 में अपलोड की जावेगी।

विशेष नोट- मण्डल अपनी सुविधाधुनार परीक्षा तिथि/परीक्षा पाली/शहर/केंद्रों एवं अन्य बिन्दुओं में परिवर्तन कर सकता है।

संचालक

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल

‘चयन पत्र’ वेब रोड नं. - 1, चिनार पार्क (हॉट) भोपाल - 462011

Fax : +91-0755-2550498, Website : www.esb.mp.gov.in

विवरण क्र. 46 /2024

R-50416/2025

म.प्र. माध्यम/118052/2024

(पिछले पृष्ठ का शेष)

23. अन्य कोई आवश्यक दस्तावेज की छायाप्रतियाँ जो पृष्ठ क्रमांक से तक अभ्यर्थी स्वीकृत करना चाहता है।
कुल संलग्नक दस्तावेजों की संख्या (अंकों में)	

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर:-

05. उपरोक्त परिशिष्ट प्रश्न-01 अनुसार क्रम में प्रमाण-पत्रों की प्रमाणाति/स्वप्रमाणाति छायाप्रति संलग्न कर अभ्यर्थी अपना नाम, अक्षरानुक्रम, पृष्ठ क्रमांक एवं संलग्नक के कुल पृष्ठों की संख्या स्पष्टतः अंकित कर दिनांक 20.01.2025 तक बिना विफल शुल्क के आयोग कार्यालय में प्रेषित करें। डाक विभाग या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए अभ्यर्थियों के अभिलेख आयोग कार्यालय में विचार से प्राप्त होने पर आयोग जिम्मेदार नहीं होगा न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपने अभिलेख आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।
06. ऐसे आवेदक जिनके अभिलेख आयोग कार्यालय में दिनांक 20.01.2025 तक प्राप्त नहीं होते हैं वे आयोग द्वारा निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ निर्धारित समावधि में अपने अभिलेख आयोग कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर विलंब शुल्क की नगद राशि एम.पी.टी.सी. के माध्यम से आयोग की लेखा शाखा में जमा कर सकते हैं :-

01. निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् प्रथम 05 कार्यालयीन दिवस तक राशि रुपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)	दिनांक 21.01.2025 से 27.01.2025 तक
02. निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् 10 कार्यालयीन दिवस तक (अर्थात् 06 से 10 दिवस तक) राशि रुपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)	दिनांक 28.01.2025 से 03.02.2025 तक

उपरोक्तसार विविध शुल्क के साथ निर्धारित तिथियों के पश्चात् हक अथवा अन्य किसी माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए आवेदकों के अभिलेख प्राप्त होने पर आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा तथा उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारीयों की आयोग कार्यालय द्वारा सूचना जांच करके के उपरान्त सही पाए जाने पर ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार हेतु दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।

महत्वपूर्ण टिप्पणी :-

1. साक्षात्कार हेतु उपरोक्त लघुसूचीकृत सूची पूर्णतः प्रावधिक है। यदि अभ्यर्थी राज्य सेवा परीक्षा-2023 के लिए अर्हतासूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो साक्षात्कार हेतु उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
2. आरक्षित वर्ग के वे अभ्यर्थी जिनके प्राणांक अनारक्षित वर्ग के प्राणांकों के बराबर या अधिक हैं उन्हें नियमानुसार मुख्य तथा प्रावधिक दोनों ही भागों में आरक्षित वर्ग में लघुसूचीकृत किया गया है।
3. आरक्षित वर्ग की वे महिला अभ्यर्थी जिनके प्राणांक अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के प्राणांकों के बराबर या अधिक हैं उन्हें नियमानुसार मुख्य तथा प्रावधिक दोनों ही भागों में अनारक्षित महिला वर्ग में लघुसूचीकृत किया गया है।
4. राज्य सेवा परीक्षा-2023 के साक्षात्कार हेतु दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।

5. न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
6. ऑनलाइन आवेदन पत्र में जुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में चाली गई वास्तविक औपचारिकताएँ पूर्ण न करने के परिणाम स्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
7. साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से लघुसूचीकृत अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।

8. उपरोक्त राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2023 के श्रेणीवार कट ऑफ अंक तथा परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के प्राणांक अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के पश्चात् ही प्रदर्शित किए जाएंगे।
9. उपरोक्तानुसार जारी साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से लघुसूचीकृत सूची के अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित याचिका क्रमांक SLP NO 8764/2023 एवं याचिका क्रमांक - एन.एल.पी. 12398/2023 तथा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक - 5596/2024 2108/2022 एवं समान अन्य याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। उपरोक्त परीक्षा से संबंधित प्रचलित न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
10. राज्य सेवा प्राथमिक परीक्षा-2023 के संबंध में आयोग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, मुख्यपीठ - जबलपुर में दाख अर्पीत याचिका क्रमांक डब्ल्यू.ए.-1232/2024 में प्राप्त स्थगन आदेश दिनांक 24/05/2024 के परिप्रेक्ष्य में राज्य सेवा परीक्षा - 2023 में प्राथमिक परीक्षा से सम्मिलित माननीय उच्च न्यायालय, मुख्यपीठ-जबलपुर से निर्णित याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. - 3141/2024 के अंतिम आदेश दिनांक 07.03.2024 तथा खण्डपीठ इंदौर तथा खालियर के अंतिम आदेशों के द्वारा मुख्य परीक्षा में प्रावधिक रूप से सम्मिलित अभ्यर्थियों को लघुसूचीकरण में सम्मिलित नहीं किया गया है। उपरोक्त राज्य सेवा मुख्य परीक्षा - 2023 के साक्षात्कार हेतु लघुसूचीकृत अभ्यर्थियों की सूची आयोग की अर्पीत याचिका क्रमांक डब्ल्यू.ए.-1232 के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।
11. साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से लघुसूचीकृत अभ्यर्थियों की सूची के प्रकाशन में यदि कोई तकनीकी त्रुटि/लिपिकी त्रुटि संज्ञान में आती है तो आयोग के पास उक्त सूची में संशोधन का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
12. उपरोक्त सूची अभ्यर्थियों द्वारा अपने प्राथमिक तथा मुख्य परीक्षा में उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्रों में प्रदत्त जानकारी (पेना/वर्ग/प्राणां/शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य जानकारी) के आधार पर तैयार की गई है। इसमें किसी भी प्रकार की भिन्नता पाए जाने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार आयोग द्वारा मान्य नहीं किया जाएगा।
13. अभ्यर्थियों को निर्दिष्ट किया जाता है कि वे अपने अभिलेख दिनांक 20.01.2025 तक निम्न पते पर भेजना सुनिश्चित करें :-

प्रति,

सचिव,

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,

सेतोडेंसी एरिया, इंदौर

अभिलेख के लिफाकों पर राज्य सेवा परीक्षा-2023 के साक्षात्कार हेतु अभिलेख अवश्य लिखें।

जी-21107/50408/2025

उप परीक्षा निर्यक्त

स्कूल शिक्षा विभाग में पिछले 3 वर्ष में 35 हजार शिक्षकों की हुई भर्ती

भोपाल, स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये पिछले 3 वर्षों में करीब 35 हजार रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की है। यह कार्यावली नई शिक्षा नीति-2020 का बेहतर क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से की गयी है।

नियुक्त शिक्षकों में उच्च माध्यमिक शिक्षक 15 हजार, माध्यमिक शिक्षक 7726 और प्राथमिक शिक्षक 12 हजार 539 शामिल हैं। इस प्रकार 35 हजार 265 शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है। सरकारी स्कूलों में आवस्यकता अनुसार शिक्षकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिये 20 हजार शिक्षकों को उच्च पद प्रभार और अतिशेष प्रक्रिया के अंतर्गत निरुक्त-युक्तकों में 17 हजार शिक्षकों को परदेशी प्रक्रिया को अमानित हुए अन्वय स्थान पर पदस्था किया गया है।

नई शिक्षा नीति-2020 में विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा दिलाये जाने की भी अनुशासकी

यगी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में सरकारी स्तर पर 2383 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। इनमें 4 लाख विद्यार्थी दर्ज हैं। इनके कोलोन उन्नयन के उद्देश्य से 14 प्रकार के ट्रेड में प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। प्रदेश के 798 हायर सेकेण्डरी स्कूलों में कृषि संकाय और 465 हायर सेकेण्डरी स्कूलों में कृषि ट्रेड संचालित हैं। स्टार प्रोजेक्ट के अंतर्गत 100 स्कूलों में नियमित छात्रों के साथ-साथ डू-प-आउट विद्यार्थियों की भी व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की गयी है।

कक्षा-9 में हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू में से किसी एक भाषा का चयन एवं एक भाषा के स्थान पर तृतीय भाषा के स्थान पर विकल्प तथा कक्षा-11 में किसी भाषा के विकल्प के रूप में व्यावसायिक शिक्षा चयन का प्रावधान भी रखा गया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को आज की व्यावसायिक और वैज्ञानिक की आवश्यकता को देखते हुए किसी न किसी ट्रेड में प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है।

जीआईएस-2025 प्रधानमंत्री श्री मोदी 24 फरवरी को करेंगे जीआईएस-2025 का शुभारंभ - मुख्यमंत्री



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों पर विभागियों व अधिकारियों को जल्दी दिशा निर्देश दिए

भोपाल, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) एक वैश्विक समारोह है। व्यवस्थाओं में कोई भी कमी न रहे वो महोदय से भी कम समय शेष है, समय रहते सभी प्रकार की तैयारियाँ पूरुता तरीके से कर ली जाएँ। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 24 फरवरी को जीआईएस 2025 का विधिवत् शुभारंभ करेंगे। यह बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में जीआईएस-2025 की तैयारियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीआईएस में कोर सेक्टर पर फोकस करते हुए एसी गतिविधियाँ आयोजित करें, जिससे उद्योग परिणाम मिलें। जीआईएस-2025 में देश-विदेश से आने वाले सभी मेहमानों के रहने-खाणे एवं आवासाय के पर्यटन स्थलों पर आने-जाने एवं भ्रमण की समुचित व्यवस्था की जाए। मेहमानों को होम-स्ट्रे के बारे में भी बताया जाए। इस कार्य के लिए संस्कृति, वन, पर्यटन एवं स्थानीय प्रशासन आपसी समन्वय के साथ भोपाल शहर के सीटीवीकरण के कार्यों के लिए भी अभी से

युद्ध स्तर पर तैयारियाँ शुरू कर दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरोधताओं को संजोए हुए जीआईएस-2025 का ऐसा भ्रव्य आयोजन किया जाए कि यह आने वाले प्रतिभागियों के जीवन की बेहतरीन यादों में शामिल हो जाए। प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन श्री रावधर कुमार सिंह ने जीआईएस-2025 की अवतक की तैयारियों एवं भावी रूपरेखा के बारे में पीपीटी प्रदर्शन के ज़ोर पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश का बेहतरीन इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस-2025) भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय परिसर में आयोजित किया जाएगा। इसमें 20 हजार से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने का अनुमान है।

जीआईएस-2025 का विधिवत् शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री मोदी 24 फरवरी को करेंगे। इस दिन आर्टी 24 वेबकांफेस जीआईएस समिट होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव उद्योगपतियों के

साथ वन-टून चर्चा करेंगे। साथ ही एमपी मोबिलिटी एक्सपो, सेंट्रल इंडिया फेड्रिक एवं फैशन एक्सपो, एमपी लिगोसी पब्लिसिटी की गतिविधियाँ, बी-टू-बी मॉडिंस भी समागत चलेंगी।

25 फरवरी को होगा प्रवासी एमपी समिट एवं एमपी मोबिलिटी एक्सपो
जीआईएस-2025 के दूसरे दिन 25 फरवरी को मुख्यमंत्री डॉ. यादव उद्योगपतियों एवं निवेशकों के साथ वन-टून मॉडिंस करेंगे। साथ ही प्रवासी एमपी समिट, इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड अक्स डेवलपमेंट समिट और टूरिज्म समिट, एग्राफूड एण्ड तथा स्टार्ट-अप समिट, माइनिंग समिट, नवकरणीय ऊर्जा समिट भी होंगी।

जीआईएस के दूसरे दिन 25 फरवरी को सुबह 10:30 से शाम 5:30 तक छह थीमेटिक सेशन होंगे। हायर एजुकेशन एवं स्किल डेवलपमेंट, फूड प्रोसेसिंग एवं हार्डटैक्चर, स्मॉल स्कैल एवं कोटिज इंडस्ट्री, टेक्स्टाइल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर सत्र आयोजित किया जाएगा।

योग, तप, साधना और सहचर्य से जीना सिखाती है हमारी संस्कृति

उज्जैन, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में महर्षि श्री बालीनाथ जी बैवा जयंती कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत विभिन्न धर्मों, समाजों, भाषाओं और संस्कृतियों का देश है। सब मिलकर यहां सद्भावपूर्णक रहते हैं। सांस्कृतिक वैविध्य ही हमारी संस्कृति की पहचान है। हमारी आस्था और जीवन मूल्य हमें विकास की इस राह में जोते हैं। योग, तप, साधना और सहचर्य से जीवन का समग्र विकास की शिक्षा सिर्फ भारतीय संस्कृति ही सिखाती है। समाज में जनजागृति लाज

में महर्षियों की बड़ी अहम भूमिका रही है। महर्षि श्री बालीनाथ जी बैवा जन्म में से एक ही परलोक गये। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो असंभव दिखता है, वो केवल सनातन धर्म में ही संभव है। महर्षि बालीनाथ जी ने हमें सही कृतियाँ, रुढ़ियों और नुराधियों को खत्म किया और सबको सद्गम की ओर ले जाने का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बैवा समाज की राज्य स्तरीय पंचाचत का आयोजन करेगी। इसमें देश के विभिन्न अंचलों से बैवा समाजजनों को आमंत्रित करेंगे।

श्रद्धेय कुशाभाऊ की समाज उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे की पुण्य तिथि पर कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय स्तरागत स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्थापित करने, सामान्य व्यक्तियों को सार्वजनिक जीवन में सक्रिय बनाने के लिए प्रेरित करने की सकारात्मक गतिविधियों में श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रदेश की राननीति के साथ समाज और संस्कृति के उत्थान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संगठन को विस्तार देने और राष्ट्रीय विचारों के प्रसार में उनका योगदान अविस्मरणीय है।

युवा सपनों को साकार कर रही है प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना


भोपाल, देश के निर्माण में युवाओं की योगदान, भूमिका सबसे अहम है। इसी सोच को साकार करने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना शुरू की है। यह योजना युवाओं को डिग्री से आगे बढ़कर व्यावसायिक अनुभव और कोशल विकास का अनमोल अवसर देती है, जिससे वे अपने करियर में एक मजबूत कदम रख सकें।
वर्तमान दौर में जहां व्यावहारिक ज्ञान सबसे बड़ी जरूरत बन गया है, यह योजना युवाओं को इंस्ट्रुटी की मांगों के अनुरूप तैयार कर रही है। इसका उद्देश्य है युवाओं को सशक्त बनाना और देश के आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना।

प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना में सतना के आरुष पांडे ने अपने करियर की नई शुरुआत की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र आरुष ने प्रेसिडेंट इंस्ट्रुटी लिमिटेड (नागदा) में इंटरनशिप के दौरान अपने कोशल को निखारते हुए आत्मनिर्भर बनने का आत्मविश्वास पाया।
आरुष पांडे ने अपने मन की बात बताते हुए कहा कि इस योजना ने मेरे करियर को एक नई दिशा दी। इससे मुझे व्यावहारिक ज्ञान और तकनीकी क्षमता को बढ़ाने का सुनहरा अवसर मिला। आरुष की यह प्रेरक यात्रा हर उस युवा के लिए प्रेरणा है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए

मेहनत कर रहा है। प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना का उद्देश्य युवाओं का भविष्य बेहतर बनाना है। यह योजना तकनीकी और व्यावसायिक कोशल को बढ़ावा देती है। रोजगार के बेहतरतरीन विकल्प प्रदान करती है। आत्मनिर्भर बनाने अभियान को मजबूती देती है। यह योजना युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी अहम भूमिका सुनिश्चित करने का एक बड़ा प्रयास है। सतना के आरुष पांडे जैसे युवाओं की सफलता यह साबित करती है कि यह योजना हर युवा के सपनों को पंख देते और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद का पथर साबित हो रही है।

किसानों ने कहा - फसलें लहलहाएंगी, पलायन रुकेगा

भोपाल, देश की पहली अति महत्वाकांक्षी और बहुउद्देशीय केन-बेतवा नदी जोड़ी राष्ट्रीय परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र में फसलें लहलहाएंगी और पलायन रुकेगा। वहां के बहुत से गांवों के निवासियों को, जो पानी की कमी के चलते काम की तलाश में समीपवर्ती राज्यों में पलायन कर जाते थे, अब उन्हें अपना घर - गांव छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। खेतों में पर्याप्त पानी होगा तो वे वर्ष भर फसल ले सकेंगे। इसके लिए वे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का दिल से सन्ध्यावाद एवं आभार प्रकट करेंगे।
सर्दई गांव के किसान मनु असाठी बताते हैं उनका क्षेत्र कम वर्षा के कारण सूखाग्रस्त है और इस कारण वहां के किसान



केन-बेतवा नदी जोड़ी परियोजना पर किसानों की प्रतिक्रिया

मुसकिल से एक फसल ले पाते हैं। समीप के गांव बुंदेलपुर, जो जनजातीय बहुल ग्राम है, के तो 90 प्रतिशत निवासी काम की तलाश में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब चले जाते हैं। गांव में पानी आना सब से बेखेती कर पाएंगे और लोगों को काम भी मिलेगा। ग्राम सिमरा पतिहार के कुचक बल्दू

मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के हितग्राहियों को 14 लाख का बीमा

भोपाल, खाद्य, नगरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपुत ने बताया कि युवा अन्नदूत योजना के अनुसंधित परिवहनकर्ताओं को मात्र 3064 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर 14 लाख रुपये का बीमा करने का निर्णय लिया गया है।
श्री राजपुत ने बताया कि हितग्राहियों के बीमा के लिये 3 बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। इनमें से समुद्रिक बीमा योजना का क्रियान्वयन फरवरी-2025 से होगा। इसका वार्षिक प्रीमियम 2608 रुपये और बीमित राशि 10 लाख रुपये है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का

मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के हितग्राहियों को 14 लाख का बीमा

क्रियान्वयन जून-2025 से होगा। इसका वार्षिक प्रीमियम 436 रुपये और बीमित राशि 2 लाख रुपये है। प्रधानमंत्री सुशा बीमा योजना का क्रियान्वयन जून-2025 से होगा। इसका वार्षिक प्रीमियम 20 रुपये और बीमित राशि 2 लाख रुपये है।
योजना में पॉलिसी जारी होने की दिनांक से हितग्राही की दुर्घटना में मृत्यु होने पर पूरी बीमा राशि मिलेगी। पॉलिसी जारी होने की दिनांक से 30 दिन के बाद हितग्राही की अन्न कारण से (दुर्घटना को छोड़कर) मृत्यु होने पर पूरी बीमा राशि दी जायेगी।

(सौर : साहू एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

पेसा कानून के समस्त दावों का समय सीमा में करें निराकरण - मुख्यमंत्री



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पेसा कानून के क्रियान्वयन के लिए गठित टास्क फोर्स के सदस्यों से चर्चा की

भोपाल, पेसा कानून में प्रस्तुत समस्त दावों का निराकरण समय-सीमा निर्धारित कर प्राथमिकता पर किया जाए, आगामी कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में इसकी समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं में समस्त पात्र भाई-बहनों का शत-प्रतिशत सेवुरोशन सुनिश्चित किया जाए। मध्यप्रदेश तैत्पुने का बड़ा उत्पादक है, लेकिन इसका व्यवसायिक उपयोग अन्य उद्यमों में होता है। तैत्पुना संत्राओं और इससे जुड़े विभिन्न व्यवसायों को प्रोत्साहन ही ही प्रोत्साहित करने एवं जनजातीय भाई-बहनों को इसके लाभ दिलवाने के लिए एजनीय बनाई जाए। ये बातें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में वन अधिकार अधिनियम और पेसा कानून के प्रभावशील क्रियान्वयन के लिए गठित टास्क फोर्स की कार्यकारी समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वन प्रामों

को राजस्व प्रामों में परिवर्तित करने के लिए राज्य शासन द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन अनुसार प्रामवासियों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स शीट प्रदान किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर वन, राजस्व और जनजातीय कार्य विभाग

- धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में हो शत-प्रतिशत सेवुरोशन।
- जनजातीय कार्य विभाग में पेसा लेबल गठित करने पर सहमत।
- तैत्पुना से जुड़े व्यवसायों को प्रोत्साहन दिया जाए।
- सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन में स्थानीय निवासियों और समाजिक संस्थाओं को जोड़ा जाए।

के अधिकारी समन्य से कार्य करें। प्रदेश में विद्यमान 925 वन प्रामों में से 827 को राजस्व प्रामों में परिवर्तित करने का निर्णय

लिया गया है। इनमें से 792 को राजस्व प्रामों में परिवर्तित कर अब तक 790 प्रामों का गजट नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है।

जीवन स्तर में सुधार और वन क्षेत्रों का संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता

हैं, यादव ने कहा कि जनजातीय भाई-बहनों के जीवन स्तर में सुधार और वन क्षेत्रों के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन में स्थानीय निवासियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए, इसके साथ ही सामाजिक संस्थाओं को जोड़ते हुए गतिविधियों का विस्तार किया जाए। बैठक में मध्यप्रदेश वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों और उनके क्रियान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में विधि विशेषज्ञ डॉ. मिलिंद दांडेकर, विषय विशेषज्ञ डॉ. शरद लेले सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सरकार की जन हितैषी योजनाओं का मिले सबको लाभ - मुख्यमंत्री

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समन्वय यवन (मुख्यमंत्री निवास) में खालियर एवं चंबल संगम का समीक्षा बैठक में वरचुअली जुड़े स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विधायक अपनी-अपनी विधानभाषा क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित होकर कार्य करें। जनता के काम समय पर करें, हम सबको इसकी जिंता कानी होगी। इसलिए सभी विधायक अपनी विधानभाषा का अगले 5 साल का विचारण प्लान बनाएं, जिससे क्षेत्र का योजनाबद्ध विकास हो सके।

हमारी सरकार विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए जनता को बेहतर सेवाएं देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसमें किसी प्रकार की उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने दोनों संगमों में चल रहे एवं लंबित विकास कार्यों की पहनता से समीक्षा कर कहा कि निर्माण कार्य तय वक्त पर ही पूरे करें, जिससे आमजनों को समय पर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 11 दिवसकर से 26 जनवरी, 2025 तक जनकल्याण अभियान चलाया जा रहा है। 'आपकी सरकार-आपके द्वार' की भावना को अंगीकृत कर सरकार ने जन-जन तक पहुंचने का अभियान चलाया है। सभी विधायक और अधिकारी सुनिश्चित करें कि सरकार की जन हितैषी योजनाओं का लाभ प्रभावितों तक पहुंचे। इसके लिए सभी विधायक और अधिकारी घर तक जाएं और अभियान की प्रगति का स्वयं अवलोकन

करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने विभागीय मैदानों अमले को सतर्क करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की सेवाओं, सुविधाओं, योजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों का लाभ पाने से वंचित न रहे।

खालियर की जेसी मिल्स के लाजपूर का लंबित भुगतान तुरत करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि खालियर के जेसी मिल्स के मजदूरों का भुगतान लंबित होने की जानकारी मिली है। कलेक्टर खालियर एवं संबंधित राजस्व अधिकारी जल्द से जल्द जरूरी कार्रवाही पूरी कर इन मजदूरों को उनका लंबित भुगतान प्रदान करें। उन्होंने कहा कि जेसी मिल्स का कोई भी मजदूर उसके वाजिब हक या दावा भुगतान पाने से वंचित न रहे।

सभी कलेक्टर सावधानी रखें

लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुना जिले के राधोपड़ में हुई बोरोवेल दुर्घटना पर संज्ञान लेकर कलेक्टर गुना से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बोरोवेल में गिरने से बालक की मृत्यु बेहद दुःखद है। सभी कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाए। सरकार किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने सभी कलेक्टर को निजी परिशर में भी खुले पड़े बोरोवेल को बंद करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अपने मैदानी अंचलों को सुरक्षित और बोरोवेल खुले न छोड़े जाएं। आवश्यकता पड़ने पर लोगों को जागरूक किया जाए।

जनजातीय गौरव भीमा नायक ने भीलों के स्वतंत्रता प्रिय स्वाभिमान को बनाए रखा

बड़वानी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनजातीय गौरव और स्वतंत्रता सेनानी, भीमा नायक के बलिदान दिवस पर सादर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज के अधिकारों और अस्मिता के रक्षाई उनका संघर्ष हमें दश भक्ति की प्रेरणा प्रदान करता है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के गौरव भीमा नायक के 148वें बलिदान दिवस पर, बड़वानी जिले के ग्राम धाबा बावड़ी में हुई श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम के लिए जारी संदेश में कहा कि भीमा नायक प्रदेश के गौरवशाली इतिहास का अभिन्न अंग है। आजादी की लड़ाई में भीमा नायक ने जनजातियों को अग्रेशों के विरुद्ध संगठित किया। सुरसी बाई भील, भीमा नायक की माता जी थीं, उन्होंने ही भीमा नायक और जनजातीय समाज को अग्रेशों के विरुद्ध एकजुट करने की प्रेरणा दी। भीमा नायक का कार्य क्षेत्र बड़वानी

रियासत से महाराष्ट्र के खानदेश तक फैला था। तात्या टोपे के निमाड़ आगमन पर भीमा नायक ने उनसे मुलाकात की थी। अंधापानी युद्ध में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। भीमा नायक ने भीलों के स्वतंत्रता दिवस स्वाभिमान को बनाए रखा, उन्होंने अंतिम क्षणों तक कोई समझौता या समर्पण नहीं किया। सलोदा नामक स्थान पर अग्रेशों से युद्ध के दौरान धाबे से उन्हें बंदी बनाया गया। मंडलेखर किले में बंदी रखने के बाद उन्हें कालापानी कैद में डाल दिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय वर्ग के समग्र विकास और कल्याण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न विभागों की विनियत योजनाओं में शत-प्रतिशत सेवुरोशन के लिए कैबिनेट द्वारा 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' अंजाम करने को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

एम.पी.ऑनलाइन से भी कर सकेंगे नए बिजली कनेक्शन का आवेदन

भोपाल, उर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कंपनी कार्यक्षेत्र के 16 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को नए पर्व एवं हीसगात दी है कि वे अब एम.पी. ऑनलाइन से भी ऑनलाइन आवेदन कर नया बिजली कनेक्शन ले सकेंगे। उपर्युक्त मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने एम.पी.ऑनलाइन से अनुभव किया है। बिजली उपभोक्ताओं को यह सुविधा जनवरी के अंतिम सप्ताह से मिलना शुरू हो जाएगी।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री शिशिर सिंघल एवं निदेशक (वाणिज्य) श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव की

उपस्थिति में मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्य) श्रीमती स्वाति सिंह एवं एम.पी.ऑनलाइन के बिजनेस हेड श्री संदीप रायपाल द्वारा कंपनी मुख्यालय में अनुभव हस्ताक्षरित किया गया।

इसके अनुसार अब एम.पी.ऑनलाइन के माध्यम से भी आवेदन कर नया बिजली कनेक्शन मिलने के साथ ही गैर कृषि उपभोक्ताओं का ईकेवाईसी, पीएच-सीएम किसान सम्मान निधि लाभार्थी का सत्यापन तथा पूर्व से विद्यमान कनेक्शन में भार वृद्धि, नाम परिवर्तन इत्यादि की सुविधा भी इसके माध्यम से मिलने लगेगी।

मध्यप्रदेश के किसानों के परिश्रम और बेहतर व्यवस्थाओं से बड़ा सोयाबीन उत्पादन

भोपाल, मध्यप्रदेश सम्पूर्ण देश में सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। किसानों के परिश्रम और किसानों के हित में शासन द्वारा की गई बेहतर व्यवस्थाओं से मध्यप्रदेश इस उपलब्धि को प्राप्त कर सका है। कृषि उपजव्यवस्था को व्यापक पैदावार से मूल्यपूर्ण योगदान मिलता है। खरीफ की फसलों में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल सोयाबीन है। प्रदेश में सोयाबीन का रकबा और उत्पादन बढ़ रहा है। गत वर्ष की तुलना में प्रदेश के सोयाबीन के रकबे में लगभग 2 प्रतिशत वृद्धि हुई है। वर्तमान

में प्रदेश का सोयाबीन का रकबा 66 लाख हैक्टर से अधिक है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर किसानों से उपजाऊ व्यवस्थाओं के लिए राशि का भुगतान बिना कटौनाई के किया जा रहा है। सोयाबीन के भण्डारण और उपजाऊ सोयाबीन की सुरक्षा के प्रबंध भी किये गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश है कि किसानों को उत्पादन की आधुनिक व्यवस्थाओं का लाभ प्राप्त होना चाहिए। प्रदेश में पहली बार सोयाबीन का समर्पण मूल्य पर उपार्जन किया जा रहा है।

पांच गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से प्रदेश को मिली वैश्विक पहचान

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश सोसायल्टीक अयुध्दय के नए युग में प्रवेश कर रहा है। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के द्वारा स्थानीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का नया इतिहास रचा जा रहा है। सांस्कृतिक संवहन के क्रम में प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह का चर्चन ज्यंती वर्ष और तारसेन समारोह का शताब्दी वर्ष का गौरवशाली आयोजन किया गया। हमारे देश में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परम्परा के गौरव को अक्षुण्ण बनाए रखने की परम्परा निरंतर विद्यमान रही है। सांस्कृतिक आयोजनों और धरोहरों को आज की पीढ़ी से जोड़ते हुए ताल देवार, कथक कुच, उज्जैन डमरू वादन, गीता पाठ और शास्त्रीय बैड में बने पांच गिनीज वर्ल्ड




रिकॉर्डों ने प्रदेश की संस्कृति और कला को वैश्विक पहचान दिलाई है।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि तारसेन समारोह के अन्तर्गत पर भारत के राष्ट्रीय वंदे मातरम की धुन पर खालियर किले की प्राचीन पर 'ताल देवार' में 1282 तबला साधकों ने मध्यप्रदेश के शांखीय संगीत को वैश्विक पहचान दिलाई है। पूरेको

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री मनोज श्रीवास्तव ने किया उपचारण ग्रहण

भोपाल, आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग श्री मनोज श्रीवास्तव ने जनवरी को पहला ग्रहण किया। श्री श्रीवास्तव ने पदभार ग्रहण करने के बाद

अधिकारियों की बैठक लेकर आयोग की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी ली। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री अशोक सिंह ने आयोग द्वारा स्थानीय निर्वाचनों के चुनाव में किये जा रहे नवाचारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान आयोग के उप सचिव श्री मनोज मालवीय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।



द्वार चयनित संगीत नगरी में राष्ट्रीयता का उद्घोष करते हुए कला साधकों ने प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और संगीत की निर्मूर्त को 25 दिसंबर, 2023 को पहली बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि खजुराहो के कंदरीया महादेव मंदिर के विशाल प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह के दौरान 'पाग बसंत' की लय पर 20 फरवरी, 2023 को 1484 कथक नृत्य साधकों के थिरकने के दौरान दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया। कथक कुच में हाथों में दीपक लेकर जब लय और ताल के साथ धुंभक साधकों के कदम मिले तब भारतीय संस्कृति और परंपरा एक साथ मुस्कुरा उठी।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने 'शक्ति दीदी' के रूप में जिला प्रशासन की पहल

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुरूप महिला आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भरता की दिशा में म्यालिपर जिले में 'शक्ति दीदी' के नाम से जिला प्रशासन द्वारा प्रेरणादायी पहल की गई है। जिन महिलाओं को 'शक्ति दीदी' के रूप में फूल बर्कर के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया गया है, वे ऐसी महिलाएँ हैं जो अपनों द्वारा अपेक्षित हैं अथवा जिनके पति का असमय निधन हो चुका है। पेट्रोल पंप संचालकों ने इस सराहनीय पहल में सहयोग करने का प्रयास किया और कहा कि वे अपने पेट्रोल पंपों पर शक्ति दीदी के रूप में अन्य जरूरतमंद महिलाओं को भी रोजगार देंगी। म्यालिपर शहर के पांच व्यस्ततम पेट्रोल पंपों पर नए साल के दूसरे दिन पांच महिलाओं ने 'शक्ति दीदी' के रूप में फूल

दिलेवरी बर्कर का मोर्चा संभाला। म्यालिपर के पड़वा आरओबी के समीप स्थित वैश्य एण्ड मुखर्जी पेट्रोल पंप पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शिवेक कुमार ने श्रीमती जयश्री हालदार को शक्ति दीदी की जिम्मेवारी सौंपी। इसी तरह संस्कृति पेट्रोल पंप न्यू कलेक्टर पर अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू अरुण कुमार ने श्रीमती रानी शाक्य, रश्मि फूल स्टेशन पिंटो पार्क पर अपर कलेक्टर श्री कुमार सत्यम ने श्रीमती प्रीति माड्री एवं साईं राम पेट्रोल पंप चेतकपुर पर एडीएम श्री टी.एन. सिंह ने श्रीमती निशा परिहार का स्वगत कर उन्हें शक्ति दीदी का दायित्व सौंपा। महिला फूल बर्कर के रूप में हैनात शक्ति दीदी की ड्यूटी की अवधि प्रायः 9 बजे से सायंकाल 5 बजे तक रहेगी।

मुख्यमंत्री ने की विक्रमोत्सव-2025 और विक्रम व्यापार मेले के आयोजन की समीक्षा विक्रम व्यापार मेला प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विक्रमोत्सव-2025 और विक्रम व्यापार मेले के आयोजन की समीक्षा बैठक को संबोधित किया

उज्जैन, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में स्मार्ट सिटी कार्यालय के सभा कक्ष में आगामी विक्रमोत्सव-2025 और विक्रम व्यापार मेले के आयोजन की समीक्षा बैठक की।

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में विक्रम व्यापार मेले का आयोजन एक महत्वपूर्ण प्रयास है। सम्राट विक्रमादित्य न्याय, दानशिलता, सुरासन, वीरता की अद्वितीय मिसाल हैं। वे एक महान शासक थे। मुख्यमंत्री ने बैठक में उज्जैन को मूर्तिशिल्प का केन्द्र बनाए जाने के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये।

मध्यप्रदेश सरकार ने सम्राट विक्रमादित्य के विभिन्न आचामों को देश और विदेश के सामने लाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ किया है। सम्राट विक्रमादित्य के विक्रम संवत् के प्रवर्तन के अवसर पर उज्जैन में आने वाले दिनों में भव्य आयोजन किया जाएगा। विक्रमादित्य

- विक्रम व्यापार मेला भव्य स्तर पर आयोजित किया जाएगा।
- सांस्कृतिक गतिविधियों और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विक्रम व्यापार मेले में लगाएँ स्टॉल।

की न्याय परंपरा पर विश्वविद्यालय में सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। विक्रम व्यापार मेले में सरकार द्वारा निवेशकों को मंच प्रदान किए जाएंगे। प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएँ हैं इन्हें और अधिक विकसित किया जाएगा।

इस अवसर पर उस्थित उज्जैन कलेक्टर श्री नीलज कुमार सिंह ने पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन से गत वर्ष आयोजित विक्रम व्यापार मेले के बारे में मूलभूत जानकारी दी। बताया गया कि इस वर्ष विक्रम व्यापार मेले के आयोजन के लिए शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज पीरसर का चयन किया जाना प्रस्तावित है।

आयुष्मान भारत योजना के हिताग्रहियों के लिए आबुधान एवं आवश्यक निर्देश

भोपाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी आयुष्मान भारत योजना डॉ. योगेश्वर भरसठे ने आयुष्मान भारत योजना में हिताग्रहियों को निःशुल्क उपचार प्रदान करने के लिए प्रक्रियाओं और निर्देशों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इन प्रक्रियाओं और निर्देशों का पालन करके हिताग्रही आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपचार का लाभ सज्जता से प्राप्त कर सकते हैं।

कार्ड, एशन कार्ड, सम्प्रदाई, पात्रता पर्ची, संबल कार्ड या BoCW कार्ड को आयुष्मान मित्र को दिखाएँ। पात्रता सत्यापन के दौरान आयुष्मान मित्र आपके आयुष्मान कार्ड और आधार/सम्प्रदाई का मिलान करेगा और उपचार के लिए अस्पताल को दिशाएँ देगा। सत्यापन के बाद, आयुष्मान मित्र आपको निःशुल्क उपचार की प्रक्रिया समझाएगा और चिकित्सीय परामर्श तथा उपचार की प्रक्रिया शुरू होगी।

उपचार के दौरान हिताग्रही को किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।


हिताग्रही अस्पताल पहुँचने के बाद सबसे पहले आयुष्मान योजना के लिए पंजीकृत किराया का पता करें और अपने दस्तावेज, जैसे आयुष्मान कार्ड, आधार

फैक्ट फाइल

नदी जोड़ो परियोजनाओं से मध्यप्रदेश की धरती सुजलाम-सुफलाम होने के साथ सिंचाई के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति होगी देश में पहली बार दो नदी जोड़ो परियोजनाओं को मूर्तरूप देने का प्रयास

मध्यप्रदेश में जल सुरक्षा को लेकर नया इतिहास रचा गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्वप्न को साकार करने की दिशा में पहल की गयी। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रयासों से देश में पहली बार दो नदी जोड़ो परियोजनाओं को साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक परिणाम प्राप्त हुए हैं। नदी जोड़ो परियोजनाओं से प्रदेश की धरती सुजलाम-सुफलाम होने के साथ सिंचाई के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति होगी। उम्मीद है कि कुछ ही वर्षों में प्रदेश की सिंचाई क्षमता 50 हजार से बढ़कर 1 लाख हेक्टेयर हो जायेगी। इस तरह दो नदी जोड़ो महत्वाकांक्षी और बहुउद्देशीय परियोजना से प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदल जायेगी।

- मुख्य बिन्दु**
- पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी का नदी जोड़ो स्वप्न हुआ साकार।
 - 17 दिसम्बर को जयपुर में पार्वती-कालीसिंध, चंबल लिंक परियोजना पर मध्यप्रदेश, राजस्थान और केन्द्र सरकार के बीच अनुबंध समर्पित पत्र पर हस्ताक्षर हुए।
 - 25 दिसम्बर को छतरपुर जिले के खनुराहो में केन-बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास।
 - केन-बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना से मध्यप्रदेश में 8 लाख 11 हजार हेक्टेयर तथा उत्तर प्रदेश में 59 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा।
 - परियोजना से मध्यप्रदेश की 44 लाख और उत्तर प्रदेश की 12 लाख आबादी को पेयजल सुविधा उपलब्ध रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।



केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से लाभ

इस परियोजना से मध्यप्रदेश के 10 जिलों छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, शिवपुरी, दतिया, यशवंत, विदिशा और सागर में 8 लाख 11 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मिलेगी और 44 लाख किसान परिवार लाभान्वित होंगे। फसलों के उत्पादन एवं किसानों की आय में वृद्धि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण से हारित ऊर्जा में 103 मेगावॉट योगदान के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। बेहतर जल प्रबंधन एवं औद्योगिक इकाइयों को पर्याप्त जल आपूर्ति से औद्योगिक विकास होगा और रोजगार को बढ़ावा भी मिलेगा। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश में 59 हजार हेक्टेयर वार्षिक सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी एवं 1.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मौजूदा सिंचाई का किश्तियकरण किया जाएगा, जिससे उत्तर प्रदेश के महोबा, झांसी, ललितपुर एवं बांदा जिलों में सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। परियोजना से मध्यप्रदेश की 44 लाख और उत्तर प्रदेश की 12 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी।

सिंचाई क्षमता का परिणाम है कि किसान पहले दो फसल ले पाते थे, अब तीसरी फसल भी लेने लगे हैं। प्रदेश के सिंचाई रकबे में वृद्धि हुई है।

मध्यप्रदेश के सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि

सरकार के निरंतर प्रयासों से प्रदेश में सिंचाई के रकबे में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वर्ष 2013 में जहां प्रदेश का सिंचाई रकबा लगभग 3 लाख हेक्टेयर था, अब बढ़कर लगभग 50 लाख हेक्टेयर हो गया है। प्रदेश की निर्मित और निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं से प्रदेश में वर्ष 2025-26 तक सिंचाई का रकबा लगभग 65 लाख हेक्टेयर होने की संभावना है। वर्ष 2028-29 तक प्रदेश की सिंचाई क्षमता 1 करोड़ हेक्टेयर तक पहुँचने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी लिंक परियोजना से लाभ

पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी लिंक परियोजना से मालवा और चंबल क्षेत्र में 6 लाख 13 हजार 520 हेक्टेयर में सिंचाई होगी और 40 लाख की आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त लगभग 60 वर्ष पुरानी चंबल दाईं मुख्य नहर एवं वितरण तंत्र प्रणाली के आधुनिकीकरण कार्य से पिंड, मुरीना एवं श्योपुर के 1205 ग्रामों में 03 लाख 62 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में कृषकों की मांग अनुसार पानी उपलब्ध कराया जाएगा। परियोजना से प्रदेश के 13 जिलों गुना, मुना, शिवपुरी, पिंड, श्योपुर, उज्जैन, सीहोर, मंदसौर, इंदौर, पार, आगर मालवा, शाजापुर और राजगढ़ जिलों के 3217 ग्रामों को लाभ मिलेगा।

प्राज्ञाक यमिण पाठे (लेखक, समाजवादी विचारों पर लेखन करते हैं)

चर्चा



पूर्व जज वी. रामासुब्रमण्यन

मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज वी. रामासुब्रमण्यन को एनएचआरसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने यह नियुक्ति की। यह नियुक्ति मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत हुई है। जस्टिस रामासुब्रमण्यन पन्ध्रार ग्रहण करने की तिथि से एनएचआरसी के अध्यक्ष होंगे। केंद्र सरकार द्वारा जारी गजट में यह जानकारी दी गई है। जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन का जन्म 30 जून 1958 को हुआ। उन्होंने केन्याई के रामकृष्ण मिशन विश्वविद्यालय कोलंबो से केमिस्ट्री में ब्रैजुएट किया और मद्रास लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई पूरी की। 16 फरवरी 1983 को वे बार के सदस्य बने और मद्रास हाईकोर्ट में करीब 23 सालों तक वकालत की। 27 अप्रैल, 2016 को उनका सेवानिवृत्त हाईकोर्ट में ट्रांसफर हुआ गया। वे तेलंगाना और आंध्रप्रदेश राज्यों के जज रहे हैं।

रे हिब्सस

60 किलो के डबल को 38 बार स्विंग कर बनाया रिकॉर्ड

अमेरिका के मोंटाना के रहने वाले रे हिब्सस ने एक मिनट में 60 किलो के केटलेबल डबल को 38 बार स्विंग करने के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। हिब्सस ने एक्ससाइज के दौरान कुल 2335 किलो वजन उठाया, ऐसा कर उन्होंने 2184 किलो के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया।

कम्बशन इंजन

6 हजार लीटर प्रति घंटा ईंधन की खपत करेगा

फिनलैंड की इंजन बनाने वाली कंपनी वार्ट्सिला ने कटेनर जहाजों को चलाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कम्बशन इंजन बनाया है। इस इंजन का वजन 23 लाख किलो है। यह प्रति घंटा लगभग 6 हजार लीटर ईंधन की खपत करेगा। ये 80 हजार किलोवॉट तक पावर जेनरेट कर सकता है।

नासा का स्पेसक्रॉफ्ट

सूरज के सबसे करीब पहुंचकर सुरक्षित लौटा

नासा का पार्कर सोलर प्रोब स्पेसक्रॉफ्ट सूरज के पास जाकर सुरक्षित वापस लौटा आया है। नासा ने 2018 में सूरज की सहाय के अध्ययन के लिए यह स्पेसक्रॉफ्ट लॉन्च किया था। सूरज के पास पहुंचने के बाद इससे संपर्क टूट गया था। अगले ही दिन स्पेसक्रॉफ्ट से फिर संपर्क साध लिया गया। यह सूरज के इतना करीब जाने वाला पहला स्पेसक्रॉफ्ट है। इसे बचाने के लिए 4.5 इंच मोटी कार्बन कंपोजिट मैटेरियल की शील्ड बनाई गई थी। नासा के अनुसार स्पेसक्रॉफ्ट ने 980 डिग्री तापमान दर्ज किया।

नेरेंद्र सिंह यादव

अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया

रेवाड़ी जिले के गांव नेहराड़ के पर्वतारोही नेरेंद्र सिंह यादव ने हरियाणा का नाम रोशन किया है। नेरेंद्र ने अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी विन्सन मैसिक को फतह कर तिरंगा फहराया है। नेरेंद्र की इस उपलब्धि पर परिवार ही नहीं समूचा रेवाड़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। नेरेंद्र ने 25 दिसंबर को अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी विन्सन मैसिक पर पहुंचकर जब तिरंगा लाहराया, तब पर्वत का तापमान लगभग -52 डिग्री था। यह अभियान 6 दिनों में पूरा हुआ। इस अभियान में पूर्व डिप्टी से पर्वतारोही शमिल दुबे भी इस अभियान में नेरेंद्र भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

बाल्ड ईंगल

अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी होगा

अमेरिका में 240 से अधिक वर्षों से शक्ति का प्रतीक रहे 'बाल्ड ईंगल' को देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संभव द्वारा उन्हें भेजे गए उस विधिक पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसमें संयुक्त राज्य संहिता में संशोधन करके बाल्ड ईंगल को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में नामित किया गया है। माना जा रहा है कि अमेरिका में इतने दशकों से शक्ति का प्रतीक रहे सफेद सिर, पीली चोंच और भूरे रंग वाले इस पक्षी को वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अपेक्षित सम्मान मिला है।

पांडा 'विशाल' और 'कोशी'

नीदरलैंड्स से दार्जिलिंग पहुंचे

नीदरलैंड्स के रोटरडैम से दो लाल पांडा दार्जिलिंग विधिवत बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया है। 27 दिसंबर की रात के बाद, इन दूनों साल के पिछले में लाया गया। इनका नाम विशाल और कोशी रखा गया है। भारत में रेड पांडा बहुत कम जगहों पर ही दिखाई देते हैं।

संजीव रंजन

आईओआरए के नये महासचिव होंगे

भारतीय विदेश सेवा (आईओएफएस) के 1993 बैच के अधिकारी संजीव रंजन इंडियन ओशन रिम एग्रीसिपरेशन (आईओआरए) के अगले महासचिव होंगे। वह जल्द ही कार्यभार संभालेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि संजीव रंजन हिंद महासागर रिम एग्रीसिपरेशन के अगले महासचिव होंगे। इनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2025 से तीन वर्षों के लिए रहेगी।

मिंगमा जी शेरापा

बिना ऑक्सीजन के 14 चोटियां चढ़कर रचा इतिहास

जाने-माने नेपाली पर्वतारोही मिंगमा जी शेरापा अतिरिक्त ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना 8,000 मीटर से अधिक ऊंची सपी 14 चोटियां पर चढ़ने वाले पहले नेपाली पर्वतारोही बन गए हैं। मिंगमा अक्टूबर में तिब्बत में शीशा पॉन्गमा (8,027 मीटर ऊंची) चोटी पर अपराह्न लगभग 4 बजकर 6 मिनट पर पहुंचे और अतिरिक्त ऑक्सीजन के उपयोग के बिना 8,000 मीटर की 14 चोटियों पर चढ़ने वाले नेपाल के पहले पर्वतारोही बन गए।

एंग्लो-सैक्सन कब्रिस्तान

मिली छठी शताब्दी की तलवार

इंग्लैंड के ग्रामीण इलाके केंट के एंग्लो-सैक्सन कब्रिस्तान की खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को छठी शताब्दी की एक खूबसूरत तलवार मिली है। खास बात है कि इस तलवार को अच्छी तरह संरक्षित कर रखा गया था। इसमें सोने और चांदी के मिश्रण से बना हैंडल लगा हुआ है। इस पर बारीक कारीगरी की गई है। प्रमुख पुरातत्वविद और सेंट्रल लंकाशायर विश्वविद्यालय के पुरातत्व प्रोफेसर डेन सेयर ने बताया कि इस मध्ययुगीन कब्रिस्तान में कई चीजें मिली हैं। इससे पहले यहां एक कब्र से सोने का पेंटेंट भी मिला था। उस पर एक सांग या ड्रैगन जैसा आकार उकेरा हुआ था।

स्टीफन फीनगर्ग

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने उप रक्षा मंत्री चुना

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उप रक्षा मंत्री के पद के लिए अमेरिकी अरुवपति स्ट्रीफन फीनगर्ग की नियुक्ति करने की घोषणा की है। ट्रंप ने अपने दोसरा मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रंप टू द पॉवर' में स्ट्रीफन फीनगर्ग उप रक्षा मंत्री के रूप में काम करेंगे और पेंटागन को फिर से और मजबूत बनाने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि सेनेटर्स कैपिटल मैनेजमेंट के संस्थापक एवं प्रमुख फीनगर्ग ने पहले ट्रंप प्रशासन के दौरान खुशियां सलाहकार समूह का नेतृत्व किया था।

वॉकऑन सूट एफ-1

दिव्यांगों की मदद करेगा 'आयरन मैन' जैसा रोबोट

दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने हॉलीवुड की फिल्म 'आयरन मैन' जैसा रोबोट तैयार किया है। चलने में अक्षम (पैरापैलेजिक) लोग इसे पहनकर चल सकते हैं। रोबोट चलो के शरीर से जुड़ जाता है और चलने में आने वाली बाधाओं को पार करने तथा सड़ियां चढ़ने में मदद करता है। रोबोट का नाम 'वॉकऑन सूट एफ-1' रखा गया है। इसे कोरिया एडवॉन्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (केएआईआईटी) की एक्सोस्केलेटन लैब की टीम ने विकसित किया।

श्रीराम कृष्णन

एआईई पर विरक्त नीति सलाहकार होंगे

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतवंशी पूंजीपति श्रीराम कृष्णन को व्हाइट हाउस में कृत्रिम मेधा (एआई) पर विरक्त नीति सलाहकार नामित किया है। वह डेविड ओ. साक्स के साथ एआईई के क्षेत्र में अमेरिका का सर्वप्रथम सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तमिलनाडु में सेनाएं डे चुके हैं।

सीरिया में

सेंट्रल बैंक को पहली महिला गवर्नर मिली

मायसा सबरीन सीरिया सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर होंगी। इससे पहले वह बैंक में डिप्टी गवर्नर और कंट्रोलिंग विंग की प्रमुख थीं। उनके पास बैंकिंग क्षेत्र में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हैं।

स्मृति शेष

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का निधन

भारत में आर्थिक उदारीकरण की मशाल जलाते जाते पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल सहित कई हस्तियों ने शोक व्यक्त किया। देश में आर्थिक सुधारों के पुरोधा रहे डॉ. सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब के गांव में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है।

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का जॉर्जिया स्थित अपने घर में 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अक्टूबर 1924 को जन्मे कार्टर 1977 से 1981 तक अमेरिका के 39वीं राष्ट्रपति रहे। वे अमेरिकी इतिहास में सबसे ज्यादा जीवित रहने वाले राष्ट्रपति रहे। कार्टर कुछ समय से मेलानोमा बीमारी से पीड़ित थे। यह एक तरह का स्किन कैंसर होता है। यह उनके तिलक और दिमाग तक फैल चुका था।

मशहूर लेखिका बाप्सी सिधवा का निधन

दक्षिण एशियाई साहित्य की अग्रणी लेखिका बाप्सी सिधवा का अमेरिका के ह्युस्टन में निधन हो गया है। बाप्सी सिधवा 86 साल की थीं। बाप्सी सिधवा को उनके प्रतिष्ठित उपनाम 'आइस कैंडी मैन' के लिए जाना जाता है। बाप्सी का अंतिम संस्कार ह्युस्टन में किया गया।

सुजुकी मोटर के पूर्व अध्यक्ष मनमोहन आंसामु सुजुकी का निधन

सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के पूर्व अध्यक्ष और दुनिया में कंपनी के विस्तार के आगूा रहे आंसामु सुजुकी का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कंपनी ने बताया कि उनकी 25 दिसंबर को लिम्फोमा के कारण मृत्यु हो गई। 30 जनवरी, 1930 को जापान के गेगे में जन्मे आंसामु मात्सुवा, सुजुकी के संस्थापक परिवार में विवाह करने के बाद 1958 में कंपनी से जुड़े। उन्होंने सुजुकी मोटर को निधुया भर में छोटी करी और मोटोसाइकिलों में जियानामा नाम बना दिया। उनके नेतृत्व में कई देशों तक काम किया गया।

एचबीओ के संस्थापक चार्ल्स डोलन का निधन

अमेरिका के मैनहट्टन में पहली केबल-टीवी रूँचाइजी और ए टीवी के पायोनिअर चार्ल्स डोलन (98) का निधन हो गया। डॉक्टरों के अनुसार उनका निधन एक संवेधी बीमारी के चलते हुआ। केबल टीवी के जनक डोलन ने होम बॉक्स ऑफिस इनकॉर्पोरेशन (एचबीओ) की स्थापना की थी और केबल विजन सिस्टम्स कंपनी को पांचवीं सबसे बड़ी अमेरिकी केबल कंपनी बनाया।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साधार)



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

सहायक प्राध्यापक (जीव रसायन) परीक्षा-2022, दिनांक 17.11.2024 (रविवार)
परीक्षा परिणाम

विज्ञापि क्र.-13464/53/2024-अनु.-10 इंदौर, दिनांक : 02.01.2025
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक (जीव रसायन) परीक्षा-2022 हेतु विज्ञापन जारी किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. विज्ञापन क्रमांक-16/2022/30.12.2022, ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 14.03.2023 करने के संबंध में सूचना)
2. शुद्धि पत्र क्रमांक-01/16/2022 से 53/2022, दिनांक 10.01.2023 (सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के विभिन्न विज्ञापनों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में संशोधन)
3. शुद्धि पत्र क्रमांक-02/16/2022 से 51/2022, दिनांक 15.03.2023 (अर्हकारी अंकों में 5 प्रतिशत अंकों की कट के संदर्भ में)
4. शुद्धि पत्र क्रमांक- 03/16/2022 से 53/2022, दिनांक 25.07.2023 सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के विभिन्न विज्ञापनों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में संशोधन)
5. शुद्धि पत्र क्रमांक-05/16/2022, दिनांक 18.12.2023 (सहायक प्राध्यापक जीव रसायन हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने संबंधी)
6. शुद्धि पत्र क्रमांक-07/16-53/2022, दिनांक 28.03.2024 (संशोधित तिथि विन्यास) (सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 (समस्त विज्ञापित विषयों हेतु) एवं ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के पदों के लिए अतिथि विद्वानों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की कट प्रदान किए जाने एवं समस्त अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने विषयक)
7. शुद्धि पत्र क्रमांक-08/16-53/2022, दिनांक 12.04.2024 (संशोधित तिथि विन्यास) (सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 (समस्त विज्ञापित विषयों हेतु) एवं ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के पदों के लिए अतिथि विद्वानों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की कट प्रदान किए जाने एवं समस्त अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने विषयक)
8. शुद्धि पत्र क्रमांक-13/16-53/2022, दिनांक 13.09.2024 (सहायक प्राध्यापक जीव रसायन हेतु परीक्षा आयोजन की सूचना संबंधी)
9. शुद्धि पत्र क्रमांक- 11/16/2022, दिनांक- 10.09.2024 सहायक प्राध्यापक जीव रसायन परीक्षा-2022 विज्ञापित पदों हेतु मुख्य भाग एवं प्राथमिक भाग की जानकारी

02. उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक (जीव रसायन) परीक्षा-2022 जिला मुख्यालय इंदौर के केन्द्रों पर दिनांक 17.11.2024 (रविवार) को दो सत्रों प्रथम सत्र पर सामान्य अध्ययन प्रातः 10:00 से 11:00 बजे तक एवं द्वितीय सत्र पर जीव रसायन दोपहर 01:00 से 04:00 बजे तक आयोजित की गई थी।

03. उपरोक्तानुसार जारी विज्ञापन एवं शुद्धि पत्रों के माध्यम से विज्ञापित पदों की कुल संख्या निम्नानुसार है -

श्रेणीवार/वर्गवार कुल विज्ञापित							
क्र.	विवरण	UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL
(अ)	कुल रिक्तियों की संख्या (TOTAL POST)	-	1	-	-	-	1
(ब)	कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (FEMALE)	-	-	-	-	-	-
(स)	कुल रिक्तियों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (ExSer)	-	-	-	-	-	-
(द)	कुल रिक्तियों में से दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद रिक्तियों की संख्या (PH)	(PH-NA)					-

सहायक प्राध्यापक (जीव रसायन) परीक्षा-2022 के परीक्षा परिणाम में साक्षात्कार हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना + समान अंक प्राप्त प्राथमिक रूप से अर्ह कुल 3 अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची निम्नानुसार है :-

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION
ASSISTANT PROFESSOR EXAM 2022 (BIO CHEMISTRY)-PART A (MAIN)
ROLL NUMBER WISE LIST OF SELECTED CANDIDATES

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
1.	300001	2.	300003	3.	300014

साक्षात्कार हेतु अभिलेख प्रेषित करने के संबंध में निर्देश :-

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर		परिशिष्ट प्रपत्र-01
विज्ञापन क्रमांक : 16/2022/30.12.2022	पद/परीक्षा का नाम : सहायक प्राध्यापक (जीव रसायन) परीक्षा- 2022	
अनुक्रमांक:-	अभ्यर्थी का नाम :-	

स.क्र.	दस्तावेज का विवरण	संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ क्रमांक	संलग्नक के पृष्ठों की कुल संख्या
1.	उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति	पृष्ठ क्रमांक से तक
2.	उपरोक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र की छायाप्रति	पृष्ठ क्रमांक से तक
3.	उपस्थिति पत्रक-1 मूल प्रति	पृष्ठ क्रमांक से तक
4.	व्यक्तिगत विवरण पत्रक-1 मूल प्रति एवं 5 छायाप्रतियां (केवल मूल प्रति पर नम्बरींग करना है। छायाप्रतियों पर नम्बरींग नहीं करना है।)	पृष्ठ क्रमांक से तक
5.	अनुप्रमाण फॉर्म-3 मूल प्रति	पृष्ठ क्रमांक से तक
6.	घोषणा पत्र (किसी भी चयन/परीक्षा से विवेकित (Debar) नहीं होने संबंधी) 01 मूल प्रति	पृष्ठ क्रमांक से तक
7.	हार्डकॉपी की अंकसूची (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
8.	हायर सेकेण्डरी की अंकसूची (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक

9.	स्नातक एवं स्नातकोत्तर की समस्त वर्षों की अंकसूची एवं उपाधि (स्नातक परीक्षा दिनांक 13.04.2024 के पूर्व उत्तीर्ण होना अनिवार्य है) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
10.	यू.जी.सी. नेट/मध्यप्रदेश राज्य पाठ्यपत्र परीक्षा (सेट) उत्तीर्ण प्रमाण पत्र (दिनांक 13.04.2024 तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
11.	प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों के लिए निर्धारित प्रारूप में अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र (दिनांक 13.04.2024 तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
12.	मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में म.प्र. राज्य का राजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
13.	मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की प्रति (प्रमाण-पत्र पर प्रकरण क्रमांक, गोल सील, जाचक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है।) (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
14.	आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. शासन का जाति प्रमाण पत्र। विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र में जारी करने की दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है। अन्य राज्य के जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।) (म.प्र. शासन की सेवाओं हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।) (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
15.	म.प्र. का मूल निवासी होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को फ्रीमीलेयर श्रेणी के अंतर्गत न आने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र-01 मूल प्रति	पृष्ठ क्रमांक से तक
16.	महिला अभ्यर्थियों हेतु विवाहोपरांत उमाना परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की प्रति (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
17.	म.प्र. शासन की सेवा में सेवारत शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापति प्रमाण-पत्र की प्रति अनापति प्रमाण-पत्र न हो तो विभाग को अनापति हेतु प्रस्तुत पत्र की प्रति संलग्न करें। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
18.	मध्यप्रदेश शासन की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र-1 मूल प्रति	पृष्ठ क्रमांक से तक
19.	अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र (आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र/पैन कार्ड/फोटोकॉपी बैंक पास बुक की प्रति/शासकीय कर्मचारी होने की स्थिति में नियोजक द्वारा जारी परिचय पत्र की प्रति/ड्रायविंग लायसंस) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
20.	दिव्यांग अभ्यर्थी होने की स्थिति में दिव्यांगता के प्रमाण पत्र की छायाप्रति (ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 13.04.2024 के पूर्व प्रमाण पत्र जारी होना अनिवार्य है)	पृष्ठ क्रमांक से तक
21.	यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई अपराधिक प्रकरण/न्यायालयीन प्रकरण दर्ज हो जिसका निराकरण लंबित हो या हो चुका हो तो उससे संबंधित दस्तावेज	पृष्ठ क्रमांक से तक
22.	आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्राथमिक भाग (13 प्रतिशत) के आधार अभ्यर्थी 'अभिवचन पत्र' की पूर्ण कट आयोग कार्यालय में साक्षात्कार दिवस को अनिवार्यतः प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।	पृष्ठ क्रमांक से तक
23.	अन्य कोई दस्तावेज जो अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहता है।	पृष्ठ क्रमांक से तक
कुल संलग्नक दस्तावेजों की संख्या (अंकों में)			

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर:-
05. साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थी विज्ञापन अनुसार बांछित अपनी अर्हता संबंधी समस्त अभिलेख उपरोक्त परिशिष्ट प्रपत्र-01 अनुसार क्रम में प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित/स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर अभ्यर्थी अपना नाम, अनुक्रमांक, पृष्ठ क्रमांक एवं संलग्न दस्तावेज के कुल पृष्ठों की संख्या स्पष्टतः अंकित कर दिनांक 23.01.2025 तक आयोग कार्यालय में प्रेषित करें। डाक विभाग या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए अभ्यर्थियों के अभिलेख आयोग कार्यालय में विलंब से प्राप्त होने पर आयोग जिम्मेदार नहीं होगा न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपने अभिलेख आयोग कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। जिन अभ्यर्थियों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जाएगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारीयों की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जांच करने के उपरांत सही पाए जाने पर भी अभ्यर्थी को साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।
06. आयोग की बैठक दिनांक 19.09.2024 के निर्णय क्रमांक-20 के निर्णयानुसार आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा/लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूर्ण किए जाने वाले समस्त प्रकरणों में लिखित परीक्षा में सफलित होकर साक्षात्कार हेतु अर्ह घोषित किए गए केवल ऐसे आवेदक जिनके अभिलेख आयोग कार्यालय में विलम्ब से प्राप्त होते हैं एवं किसी कारणवश नहीं भेजे जाते हैं तो ऐसे आवेदकों से विलम्ब शूल्क के साथ आयोग कार्यालय में अभिलेख जमा करने हेतु निम्नानुसार राशि निर्धारित की गई है :-
आयोग द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम में साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि 23.01.2025 के पश्चात् कार्यालयीन दिवस/समय प्रातः 10:00 से सायं 06:00 बजे तक निम्नानुसार विलंब शूल्क की गणना राशि एम.पी.टी.सी. 6 के माध्यम से आयोग की लेखा शाखा में जमा करने के पश्चात् अभिलेख जमा किए जा सकेंगे।



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

सहायक प्राध्यापक (सैन्य विज्ञान) परीक्षा-2022, दिनांक 17.11.2024 (रविवार)
परीक्षा परिणाम

विज्ञापन क्र.-13466/51/2024/अनु.-10

इंदौर, दिनांक : 02.01.2025

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक (सैन्य विज्ञान) परीक्षा-2022 हेतु विज्ञापन जारी किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. विज्ञापन क्रमांक-34/2022/30.12.2022, ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 14.04.2023

- विज्ञापन क्रमांक-12644/2022/अनु.-6, दिनांक 05.01.2023 (विज्ञापन के संबंध में केविएड याचिका दायर करने के संबंध में सूचना)
- शुद्धि पत्र क्रमांक-01/16/2022 से 53/2022, दिनांक 10.01.2023 (सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के विभिन्न विज्ञापनों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में संशोधन)
- शुद्धि पत्र क्रमांक-02/16/2022 से 51/2022, दिनांक 15.03.2023 (अर्हकारी अंकों में 5 प्रतिशत अंकों की छूट के संबंध में)
- शुद्धि पत्र क्रमांक- 03/16/2022 से 53/2022, दिनांक 25.07.2023 सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के विभिन्न विज्ञापनों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में संशोधन)
- शुद्धि पत्र क्रमांक-05/34/2022, दिनांक 18.12.2023 (सहायक प्राध्यापक सैन्य विज्ञान हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने संबंधी)
- शुद्धि पत्र क्रमांक-07/16-53/2022, दिनांक 28.03.2024 (संशोधित तिथि विन्यास) (सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 (समस्त विज्ञापित विषयों हेतु) एवं ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के पदों के लिए अतिथि विद्वानों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने एवं समस्त अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने विषयक)
- शुद्धि पत्र क्रमांक-08/16-53/2022, दिनांक 12.04.2024 (संशोधित तिथि विन्यास) (सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 (समस्त विज्ञापित विषयों हेतु) एवं ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के पदों के लिए अतिथि विद्वानों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने एवं समस्त अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने विषयक)
- शुद्धि पत्र क्रमांक-13/16-53/2022, दिनांक 13.09.2024 (सहायक प्राध्यापक सैन्य विज्ञान हेतु परीक्षा आयोजन की सूचना संबंधी)
- शुद्धि पत्र क्रमांक- 11/34/2022, दिनांक- 10.09.2024 सहायक प्राध्यापक सैन्य विज्ञान परीक्षा-2022 विज्ञापित पदों हेतु सुझाव भाग एवं प्राथमिक भाग की जानकारी

02. उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक (सैन्य विज्ञान) परीक्षा-2022 जिला मुख्यालय इंदौर के केन्द्रों पर दिनांक 17.11.2024 (रविवार) को दो सत्रों प्रथम सत्र पर सामान्य अध्ययन प्रातः 10:00 से 11:00 बजे तक एवं द्वितीय सत्र पर सैन्य विज्ञान दोपहर 01:00 से 04:00 बजे तक आयोजित की गई थी।

03. उपरोक्तानुसार जारी विज्ञापन एवं शुद्धि पत्रों के माध्यम से विज्ञापित पदों की कुल संख्या निम्नानुसार है -

श्रेणीवार/वर्गवार कुल विज्ञापित							
क्र.	विवरण	UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL
(अ)	कुल रिक्तियों की संख्या (TOTAL POST)	2	1	2	-	-	5
(ब)	कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (FEMALE)	1	-	1	-	-	2
(स)	कुल रिक्तियों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (ExSer)	-	-	-	-	-	-
(द)	कुल रिक्तियों में से दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद रिक्तियों की संख्या (PH)				(PH-NA)		-

सहायक प्राध्यापक (सैन्य विज्ञान) परीक्षा-2022 के परीक्षा परिणाम में साक्षात्कार हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना + समान अंक प्राप्त प्राप्त अभ्यर्थियों से अर्ह कुल 14 अभ्यर्थियों की अनुक्रमिकार सूची निम्नानुसार है :-

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION ASSISTANT PROFESSOR EXAM 2022 (MILITARY SCIENCE)-PART A (MAIN) ROLL NUMBER WISE LIST OF SELECTED CANDIDATES							
S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
1.	370004	2.	370006	3.	370009	4.	370014
5.	370026	6.	370057	7.	370065	8.	370070
9.	370089	10.	370110	11.	370112	12.	370126
13.	370131	14.	370132				

(पिछले पृष्ठ का शेष)

- निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् कार्यालयीय 05 दिवस तक राशि रुपये 3,000/- (तीन हजार मात्र) दिनांक 24.01.2025 से 30.01.2025 तक
- निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् 10 कार्यालयीय दिवस तक (अर्थात् 06 से 10 दिवस तक) राशि रुपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र) दिनांक 31.01.2025 से 05.02.2025 तक

उपरोक्तानुसार विलंब शुल्क के साथ निर्धारित तिथियों के पश्चात् डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए आवेदकों के अभिलेख प्राप्त होने पर आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी न ही इस संबंध में कोई फर ब्यवहार मान्य किया जाएगा।

महत्वपूर्ण टीप :-

- सूची में दर्शाए गए परीक्षा परिणाम पूर्णतः प्राथमिक है। यदि अभ्यर्थी सहायक प्राध्यापक (जीव रसायन) परीक्षा- 2022 के लिए अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो साक्षात्कार हेतु उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
- सहायक प्राध्यापक (जीव रसायन) परीक्षा-2022 के साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।
- न्यायालयीन प्रक्रणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र में भ्रूतिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में चाही गई बांछित औपचारिकताएँ पूर्ण न करने के परिणाम स्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

साक्षात्कार हेतु अभिलेख प्रेषित करने के संबंध में निर्देश :-

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

परिशिष्ट प्रपत्र-01

विज्ञापन क्रमांक : 34/2022/30.12.2022	पद/परीक्षा का नाम : सहायक प्राध्यापक (सैन्य विज्ञान) परीक्षा-2022		
अनुक्रमांक:-	अभ्यर्थी का नाम :-		
स.क्र.	दस्तावेज का विवरण	संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ क्रमांक	संलग्नक के पृष्ठों की कुल संख्या
1.	उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
2.	उपरोक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र की छायाप्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
3.	उपस्थिति पत्रक-1 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
4.	व्यक्तिगत विवरण पत्रक-1 मूल प्रति एवं 5 छायाप्रतियाँ। (केवल मूल प्रति पर नम्बरींग करना है। छायाप्रतियों पर नम्बरींग नहीं करना है।)	पृष्ठ क्रमांक से तक
5.	अनुप्रमाणन फॉर्म-3 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
6.	घोषणा पत्र (किसी भी चयन/परीक्षा से विवर्जित (Debar) नहीं होने संबंधी) 01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
7.	हाईस्कूल की अंकसूची। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
8.	हायर सेकेण्डरी की अंकसूची। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
9.	स्नातक एवं स्नातकोत्तर की समस्त वर्षों की अंकसूचियाँ एवं उपाधि। (स्नातक परीक्षा दिनांक 13.04.2024 के पूर्व उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
10.	यू.जी.सी. नेट/मध्यप्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। (दिनांक 13.04.2024 तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
11.	प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों के लिए निर्धारित प्रारूप में अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र (दिनांक 13.04.2024 तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
12.	मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में म.प्र. राज्य का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीजन प्रमाण-पत्र (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
13.	मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की प्रति (प्रमाण-पत्र में प्रकरण क्रमांक, गोल सील, जावक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है।) (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
14.	आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. शासन का जाति प्रमाण पत्र। विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र में जारी करने की दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है। अन्य राज्य के जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।) (म.प्र शासन की सेवाओं हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।) (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
15.	म.प्र. का मूल निवासी होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमिलेयर श्रेणी के अंतर्गत न आने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र-01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
16.	महिला अभ्यर्थियों हेतु विवाहोपरांत उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की प्रति। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
17.	म.प्र. शासन की सेवा में सेवानिवृत्त शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापतित प्रमाण-पत्र की प्रति। अनापतित प्रमाण-पत्र न हो तो विभाग को अनापतित हेतु प्रस्तुत पत्र की प्रति संलग्न करें। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक

(शेष अगले पृष्ठ पर)

- साक्षात्कार हेतु प्राथमिक रूप से अर्ह अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुखन बुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षा परिणाम की सूची ही प्रमाणिक माननी जाएगी।
- सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 में उच्च शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के अतिथि विद्वान (रिक्त पदों के विच्छेद एवं जनभागीदारी) तथा मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों में सविदा आधार पर कार्यरत अतिथि विद्वानों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं का अंतिम चयन परिणाम याचिकाओं के पारित अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
- लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कोई उम्मीदवार की भ्रूति/तिथि/पत्रिका भ्रूति/संज्ञान में आती है तो आयोग के पास परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- अभ्यर्थियों को निर्दिष्ट किया जाता है कि वे अपने अभिलेख दिनांक 23.01.2025 तक निम्न पते पर भेजना सुनिश्चित करें :-

प्रति,

सचिव,

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी एरिया, इंदौर

अभ्यर्थी अपने अभिलेख के लिफाके पर सहायक प्राध्यापक (जीव रसायन) परीक्षा-2022 के साक्षात्कार हेतु अभिलेख अवश्य लिखें।

जी-21154/50426/2025

उप परीक्षा निबन्धक

(पिछले पृष्ठ का शेष)

18.	मध्यप्रदेश शासन की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र-1 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
19.	अभ्यर्थी का स्वयं को पहचान पत्रा (आधार कार्ड), मतदाता परिचय पत्र/पैन कार्ड/फोटोयुक्त बैंक पास बुक की प्रति/ शासकीय कर्मचारी होने की स्थिति में नियोजता द्वारा जारी (छात्राचय पत्र की प्रति/द्वयवर्गि लयसेंस) (छात्राचय)।	पृष्ठ क्रमांक से तक
20.	दिव्यांग अभ्यर्थी होने की स्थिति में दिव्यांगता के प्रमाण पत्र की छायाप्रति। (ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 13.04.2024 के पूर्व प्रमाण पत्र जारी होना अनिवार्य है)।	पृष्ठ क्रमांक से तक
21.	यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण/न्यायालयीन प्रकरण दायं हो जिसका निराकरण लंबित हो या हो चुका हो तो उससे संबंधित दस्तावेज।	पृष्ठ क्रमांक से तक
22.	आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्राथमिक भाग (13 प्रतिशत) के आधार अभ्यर्थी 'अभिवचन पत्र' की पूर्ति कर आयोग कार्यालय में साक्षात्कार दिवस को अनिवार्यतः प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।	पृष्ठ क्रमांक से तक
23.	अन्य कोई दस्तावेज जो अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहता है।	पृष्ठ क्रमांक से तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर:-.....
 05. साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थी विज्ञान अनुसार (वॉकट अनर्ह अर्हता संबंधी समस्त अभिलेख उपरोक्त परिशिष्ट प्रपत्र-01 अनुसार क्रम में प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित/स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर अभ्यर्थी अपना नाम, अनुक्रमांक, पृष्ठ क्रमांक एवं संलग्न दस्तावेज के कुल पृष्ठों की संख्या स्पष्टतः अंकित कर दिनांक 23.01.2025 तक आयोग कार्यालय में प्रेषित करेंगे। डाक विभाग या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए अभ्यर्थियों के अभिलेख आयोग कार्यालय में विलंब से प्राप्त होने पर आयोग विभेदवार नहीं होगा न ही इस संबंध में कोई प्रश्न व्यवहार मान्य किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपने अभिलेख आयोग कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। जिन अभ्यर्थियों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उन अभ्यर्थियों में यह माना जाएगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा निम्नानुसार कार्यावाही की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारीयों की आयोग कार्यालय द्वारा सूख जांच करने के उपरान्त सही पाए जाने पर ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।

06. आयोग की बैठक दिनांक 19.09.2024 के निर्णय क्रमांक-20 के निर्णयानुसार आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा/लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूर्ण किए जाने वाले समस्त प्रकरणों में लिखित परीक्षा में सम्मिलित होकर साक्षात्कार हेतु अर्ह घोषित किए गए केवल ऐसे आवेदक जिन्हें अभिलेख आयोग कार्यालय में विलम्ब से प्राप्त होते हैं एवं किसी कारणवश नहीं भेजे जाते हैं तो ऐसे आवेदकों से विलम्ब शुल्क के साथ आयोग कार्यालय में अभिलेख जमा करने की प्रक्रिया निम्नानुसार राशि निर्धारित की गई है :-

आयोग द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम में साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि 23.01.2025 के पश्चात कार्यालयीन दिवस/समय प्रातः 10:00 से सायं 06:00 बजे तक निम्नानुसार विलंब शुल्क की नगद राशि एम.पी.टी.सी. के माध्यम से आयोग की लेखा शाखा में जमा करने के पश्चात अभिलेख जमा किए जा सकेंगे।

01.	निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात कार्यालयीन 05 दिवस तक राशि रुपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)	दिनांक 24.01.2025 से 30.01.2025 तक
02.	निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात 10 कार्यालयीन दिवस तक (अर्थात् 06 से 10 दिवस तक) राशि रुपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)	दिनांक 31.01.2025 से 05.02.2025 तक

उपरोक्तानुसार विलंब शुल्क के साथ निर्धारित तिथियों के पश्चात डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए आवेदकों के अभिलेख प्राप्त होने पर आयोग की कोई विभेदवारी नहीं होगी न ही इस संबंध में कोई प्रश्न व्यवहार मान्य किया जाएगा।

महत्वपूर्ण टीका :-

- सूची में दर्शाए गए लिख परीक्षा परिणाम पूर्णतः प्राथमिक ही है। यदि अभ्यर्थी सहायक प्राध्यापक (सैन्य विज्ञान) परीक्षा- 2022 के लिए अभिवृत्त निर्माण एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो साक्षात्कार हेतु उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
- सहायक प्राध्यापक (सैन्य विज्ञान) परीक्षा-2022 के साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।
- न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में चाही गई वॉकट औपचारिकतारें पूर्ण न करने के परिणाम स्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
- साक्षात्कार हेतु प्राथमिक रूप से अर्ह अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मद्रुण त्रुटियों के लिए आयोग विभेदवार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षा परिणाम की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।
- सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 में उच्च शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान (रिक्त पदों के विरुद्ध एवं जनभागीदारी) तथा मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों में संविदा आधार पर कार्यरत अतिथि विद्वानों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं का अंतिम चयन परिणाम याचिकाओं के पारित अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
- लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कोई कर्मीकी वृत्ति/लिपिकी वृत्ति संज्ञाम में आती है तो आयोग के पास परीक्षा परिणाम सुधारण का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- आयोग की बैठक दिनांक 30.10.2023 में लिए गए निर्णय क्रमांक-31 के अनुसार सहायक प्राध्यापक (सैन्य विज्ञान) परीक्षा-2022 की अंतिम उत्तरकुंजी में विलोपित किए गए प्रश्नों के अंक परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों को समान रूप से प्रदाय किए गए हैं अर्थात् दोनों प्रश्न पत्रों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णक की गणना हेतु निर्धारित पूर्णांक यथावत है।
- अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अभिलेख दिनांक 23.01.2025 तक निम्न पते पर भेजना सुनिश्चित करें :-

प्रति,
सचिव,
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
फैडोसीरी परिया, इंदौर
 अभ्यर्थी अपने अभिलेख के लिए/कार्य के सहायक प्राध्यापक (सैन्य विज्ञान) परीक्षा-2022 के अधिलेख अथवा लिखें।
 जी-21143/50425/2025 उप परीक्षा नियंत्रक

Maa Narmada Mahavidhyalay (Degree College)
Maa Narmada College of Education (B.Ed. College)

Maheshwar Road, Dhamnod (Dist) (Affiliated to D.A.V.V., Indore)
 Phone No: **99266-36660** E-mail: mncedhamnod03@gmail.com

REQUIRE

Principal: Eligibility Ph.D. - 01 Post (For Open Category)
 Asst. Professor: Computer, Commerce, Management, Biotechnology, Physics, Chemistry, Hindi, English, Maths, Sociology, Seed Tech., Botany, Zoology (For Degree College) Each 02 Post
 Lecturer: Perspective in Education - 03 Post (For B. Ed. College)
 Asst. Professor: Pody Subject (Physics, Chemistry, Maths, Biology, Commerce, Sociology, Economics, Geography, Languages) -08 Post (For B. Ed. College)

* Qualification & Salary as per JSC/NET/University Norms (College Code 28)
 * No salary bar for Clearing Candidates.
 * Apply with all Testimonials & latest Photo within 7 Days. Director

R-50431/2025

आबकारी आरक्षक पदों की सीधी एवं बैकलॉग के पदों हेतु भर्ती परीक्षा 2024 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं

आवेदन पत्र भरने की तिथि 15.02.2025 से 01.03.2025 तक	ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी	आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि 15.02.2025 से 06.03.2025 तक
--	------------------------------------	---

संभावित परीक्षा दिनांक	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय	उत्तर अंकित का समय
05 जुलाई 2025 से प्रारंभ	प्रातः 07:00 से प्रातः 08:00 बजे तक	प्रातः 07:00 से प्रातः 08:00 बजे तक	प्रातः 09:00 से 11:00 बजे तक (02 पंटे)
	द्वितीय	दोपहर 01:00 से दोपहर 02:00 बजे तक	दोपहर 02:30 से 04:30 बजे तक (02 पंटे)

आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया एवं महत्वपूर्ण निदेश :-
 1. परीक्षा के लिये, निर्माणगत रिक्त पदों की आरक्षण तालिकाएँ एवं परीक्षा संचालन नियम से संबंधित विस्तृत नियमपुस्तिका मण्डल की वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर उपलब्ध रहेगी, जिसमें उल्लेखित समस्त नियमों/नियमों का अध्ययन करके ही आवेदन पत्र भरा जाये।
 2. वेबसाइट www.esb.mppolice.gov.in के माध्यम से आवेदन पत्र भरा जा सकता है।
 3. **संभावित परीक्षा शहर**- बालाघाट, भोपाल, खारियस, इंदौर, जबलपुर, छापवा, नीच, लताम, रीवा, रायपुर, बलाना, सीधी एवं उज्जैन।
 4. **परीक्षा शुल्क**
 अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए ₹. 500/-
 केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस. एवं ₹. 250/-
 दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए
 ऑनलाइन आवेदन- निष्कासक के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाने वाले अभ्यर्थियों हेतु एम.पी. ऑनलाइन का पोर्टल ₹. 60/-
 अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन ब्रकर के माध्यम से लॉगिन कर फार्म भरे पर पोर्टल शुल्क ₹. 20/-

विशेष निर्देश
 1. अभ्यर्थी का आधार फोटोचय अनिवार्य है।
 2. मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोचय पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोचय पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यू.आई.डी.ए.आई. (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा। मूल फोटोचय पहचान पत्र के अभाव में परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
 3. अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड/ई-आधार कार्ड की छायाप्रति/आधार नंबर/आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है।
 4. परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। अतः जिन अभ्यर्थियों का आधार नंबर लॉक है, वह परीक्षा दिनांक से परीक्षा केंद्र पर उपस्थित के पूर्व आधार नंबर अनलॉक करवाना सुनिश्चित करें।
 5. परीक्षाओं को परीक्षा से विनिश्चित समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति होगी। एररकेंद्र प्रवेश विलम्ब से आने पर अभ्यर्थियों को परीक्षा की पात्रता नहीं होगी।
 6. परीक्षा कक्ष में सेल्युलर/डिजिटल वॉच या मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉग टैब्लेट, डिजिटल घड़ी, नकल पर्व एवं sun glasses (फा का चरम) आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
 7. ऑनलाइन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संपादन कर लें, जिसकी समस्त विभेदवारी आवेदक की ही होगी।
 8. परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला चाट/पेन/पेन टिप/परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मण्डल वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
 9. किसी भी परीक्षा को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्त तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
 10. आवेदन-पत्र भरने समय उम्मीदवारी के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षा मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान समवर्तिता द्वारा किया जाता है। अतः कम्प्यूटर आधारित (Online) परीक्षा में उम्मीदवारी की पात्रता (Eligibility) पूर्णतः प्राथमिक (Provisional) होगी।
 नोट- परीक्षा की विस्तृत जानकारी हेतु मण्डल की वेबसाइट पर परीक्षा की नियम पुस्तिका माह जनवरी 2025 में अपलोड की जायेगी।

विशेष नोट - मण्डल द्वारा सूचियानुसार परीक्षा तिथि/परीक्षा पाली/शहरों/केंद्रों एवं अन्य विवरणों में परिवर्तन कर सकता है।
 दिनांक क्र. 48/2024

संभारक
मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल
 'चयन चयन' मेन गेट नं. - 1, चित्तार बाग (इंटर) भोपाल - 462011
 Fax : +91-0755-2550498, Website : www.esb.mp.gov.in

R-50418/2025

सेवा, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सरकारी अमला जबरनतमों का संवेक्षण कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक वर्ष में सुशासन के प्रयासों से आमजन को शासन की योजनाओं और सेवाओं की सहज रूप से उपलब्ध करने के लिये निरंतर कार्य किया जा रहा है। राजस्व संबंधी प्रकरणों के निराकरण के लिए राजस्व महाअभियान के तहत चरण चलाये गये, जिसमें अभियान का तीसरा चरण प्रदेश में अभी चल रहा है। इसमें लाखों की संख्या में राजस्व संबंधी लिखित आवेदनों का निराकरण कर आमजन को राहत दी गई।

म.प्र.जी 18054/24



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

राज्य वन सेवा परीक्षा-2023

क्रमांक 13311/57/2024/चयन

इन्दौर, दिनांक : 30.12.2024

चयन-सूची (मुख्य भाग-87 प्रतिशत)

पदनाम - वन क्षेत्रपाल

आयोग के विज्ञापन क्रमांक 33/2023 दिनांक 06.10.2023 एवं समय-समय पर जारी शुद्धिपत्रादि, सूचनाओं आदि के संदर्भ में म.प्र. शासन, वन विभाग के अंतर्गत विज्ञापित पद-वन क्षेत्रपाल के कुल 126 पद (अनारक्षित-निरंक, अ.जा.-54, अ.ज.जा.-72 अ.पि.वर्ग-निरंक, ई.इ.इ.ए.एस.-निरंक) विज्ञापित किए गए हैं। उक्त पदों की पूर्ति के लिए राज्य वन सेवा परीक्षा-2023 अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा के उपरोक्त राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा-2023 दिनांक 30.06.2024 को आयोजित की गई। आयोग द्वारा राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा-2023 का परीक्षा परिणाम दिनांक 02.09.2024 को घोषित किया गया। उक्त परीक्षा में अर्ह आवेदकों के साक्षात्कार दिनांक 21.11.2024 से 20.12.2024 तक आयोजित किए गए हैं।

2. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ. प्र.एक दिनांक 29.09.2022 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन में परीक्षा परिणाम दो भागों में मुख्य भाग एवं प्रावधिक भाग के रूप में घोषित किया जाना प्रावधानित किया गया है। यूनिट उक्त विज्ञापित पदों में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु विज्ञापित पद की संख्या निरंक होने के कारण इस पद हेतु 87 एवं 13 प्रतिशत पदों के विभाजन की आवश्यकता नहीं है। अतएव चयन परिणाम केवल 87 प्रतिशत पदों (मुख्य भाग) का घोषित किए जाने के प्रावधान के तहत मुख्य भाग हेतु विज्ञापित रिक्तियों का विवरण निम्नांकित तालिका में अंकित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों की संख्या निरंक होने के कारण प्रावधिक भाग-13 प्रतिशत हेतु रिक्तियों की संख्या निरंक होने के परिणामस्वरूप पृथक से प्रावधिक भाग का चयन परिणाम जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

3. अतएव, मुख्य परीक्षा-साक्षात्कार में प्राप्त प्राप्तियों के योग के गणानुक्रम के आधार पर निम्नानुसार केवल 87 प्रतिशत पदों (मुख्य भाग) की चयन सूची घोषित की जाती है :-

2. वन क्षेत्रपाल

पद विवरण तालिका (मुख्य भाग 87 प्रतिशत)

अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ई.इ.इ.ए.एस.	योग
कुल पदों की संख्या	0	54	72	0	126

मुख्य सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	Seat	श्रेणी
1	102661	ARVIND AHIRWAR	M	SC	SC
2	101988	PUSHPENDRA SINGH AHIRWAR	M	SC	SC
3	100502	NARENDRA GUNARE	M	SC	SC
4	102517	JEETENDRA KUMAR VERMA	M	SC	SC
5	100057	JAISHRISH BARETHIYA	M	SC	SC
6	100068	BHAVNA SEHARIYA	F	ST	ST
7	102230	PRADEEP AHIRWAR	M	SC	SC
8	102542	ANIL KUMAR GOUR	M	SC	SC
9	100649	AAKASH KUMAR MALVIYA	M	SC	SC
10	100713	LOKESH BEWARIYA	M	SC	SC
11	101687	RAJESH KUMAR JATAV	M	SC	SC
12	102721	VEERENDRA PRAJAPATI	M	SC	SC
13	102704	DINESH KUMAR	M	SC	SC
14	101481	NIRANJAN DEHARIYA	M	SC	SC
15	100828	ABHINAY CHOUHAN	M	SC	SC
16	101423	RAHUL SOLANKI	M	ST	ST
17	101568	NITESH MINOTE	M	SC	SC
18	102005	SHER SINGH AHIRWAR	M	SC	SC
19	100393	PRADEEP JATAV	M	SC	SC
20	101914	SWARN KUMAR BHALADHARE	M	SC	SC
21	101871	AMIT SISODIYA	M	SC	SC
22	100876	ABHISHEK BARODIYA	M	SC	SC
23	100581	HIMANSHU	M	SC	SC
24	101545	GOLU GOYAL	M	SC	SC
25	102823	PAWAN RAJE	M	SC	SC
26	102261	VIVEK KUMAR SURYAWANSHI	M	SC	SC
27	102135	RAVI KUMAR	M	SC	SC
28	100591	KULDEEP SINGH BADERIYA	M	SC	SC
29	102137	RAJESH KUMAR AHIRWAR	M	SC	SC
30	101925	HEMCHAND BOHAT	M	SC	SC
31	101629	ARVIND SINGH KAUSHAL	M	SC	SC
32	101860	NIDHI BHASKAR	F	SC	SC
33	100665	RAKESH MALVIYA	M	SC	SC
34	100842	VISHAL SINGH KARAHALIYA	M	SC	SC
35	100088	VIKESH MACHHAR	M	ST	ST
36	100997	BALENDRA KUMAR	M	ST	ST
37	100113	VINOD KUMAR MAHRA	M	SC	SC
38	100566	NIRMAL CHOUHAN	M	SC	SC
39	102328	TINKU KUMAR BAGRI	M	SC	SC

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	Seat	श्रेणी
40	100201	ANIL KACHHWARE	M	SC	SC
41	102048	ASHUTOSH KAKODIYA	M	ST	ST
42	101410	AMAN VERMA	M	ST	ST
43	102396	PANKAJ SAHARE	M	SC	SC
44	100882	EKTA MEHRA	F	SC	SC
45	101806	PRATEEK SONKAR	M	SC	SC
46	100676	VIKRAM KUMAR BAMNIYA	M	SC	SC
47	101518	KALPANA VERMA	F	SC	SC
48	102732	RAVINDRA TAIGOR	M	SC	SC
49	101185	NIKUNJ MALVIYA	M	SC	SC
50	100056	VISHAL BONDER	M	ST	ST
51	101723	VIJAY KUMAR	M	SC	SC
52	101050	BRAJENDRA KUMAR AHIRWAR	M	SC	SC
53	100716	AMAN GANER	M	SC	SC
54	102764	ROHIT KUMAR RAI	M	SC	SC
55	102753	ANOO P KAUSHAL	M	SC	SC
56	100193	SURAJ AHIRWAR	M	SC	SC
57	101493	JEETENDRA KUMAR VERMA	M	SC	SC
58	100597	RAJNI BAGRI	F	SC	SC
59	101926	VIKASH VASUNIYA	M	ST	ST
60	101457	NITIN KUMAR KAIRANA	M	SC	SC
61	102769	RAJKUMAR PARIHAR	M	SC	SC
62	100695	PAVAN RANE	M	SC	SC
63	100612	DEEPAK BAGHEL	M	ST	ST
64	101018	ABHISHEK SOLANKI	M	ST	ST
65	100217	RUMAL SINGH ALAWE	M	ST	ST
66	100701	ANKIT JAMLE	M	ST	ST
67	101708	PITENDRA KANESH	M	ST	ST
68	101109	NEERAJ BAMANKA	M	ST	ST
69	101968	VINAY KUMAR KUMRE	M	ST	ST
70	100212	VINOD CHOPRA	M	ST	ST
71	100809	GABBU PARMAR	M	प्रवधिक	ST
72	100891	AMIT SOLANKI	M	ST	ST
73	100958	OM PRAKASH NINAMA	M	ST	ST
74	101990	MAHENDRA PRATAP GOUR	M	ST	ST
75	100387	AJEET DAMOR	M	ST	ST
76	101727	MADHVI BHARTI	F	ST	ST
77	100469	ASHISH CHOUHAN	M	ST	ST
78	100802	NILESH TAGORE	M	ST	ST
79	101902	AYUSH	M	ST	ST
80	101009	SHUBHAM PARASTE	M	ST	ST
81	101323	ANKIT DAMOR	M	ST	ST
82	100497	GOPAL PAWAR	M	ST	ST
83	102365	SANDEEP SINGH	M	ST	ST
84	100199	PRAVIN CHOUHAN	M	ST	ST
85	100898	AMIT DUDWE	M	ST	ST
86	101711	GOURAV SASTIYA	M	ST	ST
87	100198	VALSINGH KANESH	M	ST	ST
88	102206	VINEET THAKUR	M	ST	ST
89	101606	BRAJPAL CHOUHAN	M	ST	ST
90	100748	VIJAYSINGH SOLANKI	M	ST	ST
91	102593	PRAKASH MARKAM	M	ST	ST
92	100208	YOGESH DHANDE	M	ST	ST
93	101620	SANJAY SOLANKI	M	ST	ST
94	100412	DURGALAL	M	ST	ST
95	100522	SOURABH WARKADE	M	ST	ST
96	101104	SUDHAKAR PRASAD PANIKA	M	ST	ST
97	100424	JYOTI GADRIYA	F	ST	ST
98	102174	POOJA PARTE	F	ST	ST
99	102424	JITENDRA DHURVE	M	ST	ST
100	101715	HARMENDRA VERMA	M	ST	ST
101	100216	SUDARSHAN SOLANKI	M	ST	ST
102	101640	ROHIT SOLANKI	M	ST	ST
103	101121	SAWAN CHOUHAN	M	ST	ST
104	100194	DEVENDRA DAWAR	M	ST	ST
105	101344	CHANDU ARVE	M	ST	ST
106	101042	VIRENDRA SINGH WASKEL	M	ST	ST

(पिछले पृष्ठ का रोफ)

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	Seat	श्रेणी
107	100163	JATIN KUMAR THAKUR	M	ST	ST
108	100118	ASHISH CHOUHAN	M	ST	ST
109	100259	PRATAP SINGH RAWAT	M	ST	ST
110	102502	SHARAD KANT BHALAVI	M	ST	ST
111	102435	ROHIT UIKEY	M	ST	ST
112	100213	SUMER BARE	M	प्रावधिक	ST
113	100300	AJAY ASHOK SOLANKI	M	ST	ST
114	101412	ANJNA JAMLE	F	ST	ST
115	102423	AMIT KUMAR PANIKA	M	ST	ST
116	101004	RAKESH KUMAR UIKEY	M	ST	ST
117	101418	SURAJ WASKEL	M	ST	ST
118	101544	ELIMAN MEHTA	M	ST	ST
119	100125	OMKARSINGH JAMRE	M	ST	ST
120	101040	RAJKUMARI MERAIVI	F	ST	ST
121	101154	NARSINGH DUDAWE	M	ST	ST
122	100103	AASHISH BRAHMNE	M	ST	ST
123	102531	KIRTI BAIGA	F	ST	ST
124	100663	POOJA NIGWAL	F	ST	ST
125	101227	INDER SINGH RAWAT	M	ST	ST
126	101588	PARVESH KUMAR DHURVE	M	ST	ST

अनुपूरक सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	श्रेणी
1	100742	SURENDRA ANURAGI	M	SC
2	102152	RAMRATAN AHIRWAR	M	SC
3	100003	AAKANSHA DHANOTIYA	F	SC
5	100949	RITU AHIRWAR	M	SC
4	102263	MAHESH LAL GAJBHIYE	M	SC
6	102699	SATISH KUMAR JAYANT	M	SC
7	101407	AMIT KORI	M	SC
8	100389	ROMAN JAGNRYA	M	SC
9	100981	PRIYANSH KHATIK	M	SC
10	100745	SUBHASH KUMAR JHARIYA	M	SC
11	102653	VIKALP PARSENDIYA	M	SC
12	100965	UMESH KUMAR JATAV	M	SC
13	102093	KISHORI LAL AHIRWAR	M	SC
14	100545	TUSHAR NAGLE	M	SC
15	100536	AVINASH RAWAT	M	ST
16	100609	RINA TOMAR	F	ST
17	100575	SHIVSHANKAR SISODIA	M	ST
18	100633	ASHOK DAWAR	M	प्रावधिक
19	100892	RINKESH RAUTEL	M	ST
20	102632	BHUPESH GAJBE	M	ST
21	101327	JASWANT SINGH MARKAM	M	ST
22	102607	SHUBHAM MARSKOLE	M	ST
23	101576	MAMTA CHOUHAN	F	ST
24	101207	DIPRAJ SINGH THAKUR	M	ST
25	100576	ANIL CHOUHAN	M	ST
26	100525	ANURAG DAMOR	M	ST
27	100310	DINDAYAL MORE	M	ST
28	100290	RAVINDRA GIRASE	M	ST
29	102124	VJENDRA SINGH BHASKARE	M	ST
30	101092	RAJESH MOURYA	M	ST
31	100916	RAVI WASKLE	M	ST
32	100800	RAJU JAMOD	M	ST

टीप :-

- न्यायालयीन प्रकरण वाले अभ्यर्थियों के चयन परिणाम रोके जाकर मान. न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहे गए हैं।
- घोषित चयन परिणाम माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक एस.एल.पी. 12398/2023 एवं एस.एल.पी. 8764 / 2023 याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। इसी प्रकार ई.डब्ल्यू. एस. वर्ग के अभ्यर्थियों के चयन की अध्यादेशिका विज्ञापन में वर्णित परिशिष्ट- एक में उल्लेखित याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। साथ ही घोषित चयन परिणाम मान, उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर अपील याचिका डब्ल्यू.ए. 1232/2024 में आयोग को प्राप्त स्थान के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
- चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकरणी त्रुटि आयोग के संज्ञान में आती है तो आयोग के पास चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

Jawaharlal Nehru Charitable Education Trust
Borawan, Block Kasrawad, Dist Khargone, (M.P.) 451228.

Jawaharlal Institute of Technology, Borawan.
(Approved by AICTE and Affiliated to RGPV, Bhopal)

FACULTY REQUIREMENTS

Applications are invited for the following Positions in B.Tech., M.Tech., M.C.A. & Diploma Courses as
Professor, Associate Professor & Assistant Professor in: Agriculture Engineering, Computer Science and Engineering, Information Technology, Artificial Intelligence, Data Science, Cyber Security, Electronics & Communication, Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical & Electronics Engineering and Master of Computer Application, Physics, Chemistry, Mathematics and Communication Skills.

We are also looking for a Librarian, Workshop Superintendent, Placement Officer, Lab Assistants and Accounts Officer.

Qualification and Pay Scale: As per AICTE Norms. Interested Candidates can send their resume by E-mail within 7 days of publication of advertisement:
Email: hr@jittechno.com

R-50428/2025 **Secretary**

समूह-1, उपसमूह-1 एवं समूह-2, उपसमूह-1 हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं

आवेदन पत्र भरने की तिथि 01.03.2025 से 15.03.2025 तक	ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी	आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि 01.03.2025 से 20.03.2025 तक
--	------------------------------------	---

संभावित परीक्षा दिनांक	परीक्षा की पारी	अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय	उत्तर अंकित का समय
25 अप्रैल 2025 से प्रांभ	प्रथम द्वितीय	प्रातः 07:00 से प्रातः 8:00 बजे तक	प्रातः 09:00 से 12:00 बजे तक (03 घंटे)
		दोपहर 01:00 से दोपहर 02:00 बजे तक	दोपहर 02:30 से 05:30 बजे तक (03 घंटे)

आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया एवं महत्वपूर्ण निर्देश :-

- परीक्षा के नियम, विभागवार रिक्त पदों की आरक्षण तालिकाएं एवं परीक्षा संचालन नियम से संबंधित विस्तृत नियमपुस्तिका मण्डल की वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर उपलब्ध रहेगी, जिसमें उल्लेखित समस्त नियमों/आवकाशों का अध्ययन करके ही आवेदन पत्र भरा जावे।
- वेबसाइट www.esb.mp.gov.in के माध्यम से आवेदन पत्र भरा जा सकता है।
- संभावित परीक्षा महार-बालागढ़, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, छापड़ा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी एवं उज्जैन।
- परीक्षा शुल्क**
अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए ₹. 500/-
केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस. एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए ₹. 250/-
ऑनलाइन आवेदन- कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एच.पी. ऑनलाइन का पोस्टल शुल्क ₹. 60/-
अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फार्म भरने पर पोस्टल शुल्क ₹. 20/-

विशेष निर्देश

- अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है।
- मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, वैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यू.आई.डी.ए.आई. (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई-आधार मान्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षाओं को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
- अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिर्दिष्ट मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड/ई-आधार कार्ड की छायाप्रति/आधार नंबर/आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है।
- परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुलरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। अतः चिन अभ्यर्थियों का आधार नंबर लॉक है वर परीक्षा दिनांक को परीक्षा केंद्र पर उपस्थित के पूर्व आधार अनलॉक करवाना सुनिश्चित करें। परीक्षास्थलों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलम्ब से आने पर अभ्यर्थियों की प्रवेश की यात्रता नहीं होगी।
- परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, डिजिटल घड़ी, नकल पत्र एवं sun glasses (एच का चयन) आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
- ऑनलाइन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संपादन कर रहे, जिसकी मासिक रिजिस्ट्रेशन आवेक की होगी।
- परीक्षा केंद्र पर आवेक को काला ब्लाइट पत्र तथा परीक्षा हल में प्रवेश हेतु मण्डल वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- किस्ती भी परीक्षाओं को परीक्षा प्रांभ होने के पश्चात् परीक्षा समाप्त तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
- आवेदन-पत्र भरने समय उम्मीदवारों के किस्ती भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर निवृत्ति प्रक्रिया के दौरान सन्वर्धित विभाग द्वारा किया जाता है। अतः कम्प्यूटर आधारित (Online) परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता (Eligibility) पूर्णतः प्रावधिक (Provisional) होगी।

नोट- परीक्षा की विस्तृत जानकारी हेतु मण्डल की वेबसाइट पर परीक्षा की नियम पुस्तिका माह फरवरी 2025 में उपलब्ध की जायेगी।

विशेष नोट- मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा तिथि/परीक्षा पारी/गहरों/केंद्रों एवं अन्य किताबों में परिवर्तन कर सकता है।

विज्ञापन क्र. 50/2024

ESB संचालक
मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल
"चयन सचर" नर रोड नं.- 1, चितार पार्क (इंटर) भोपाल - 462011
FAX: +91-0755-2550498, website : www.esb.mp.gov.in

R-50419/2025



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

राज्य वन सेवा परीक्षा - 2023

क्रमांक 13309/57/2024/चयन

इन्टी, दिनांक : 30.12.2024

चयन - सूची (सुछ भाग-87 प्रतिशत)

पदनाम सहायक वन संरक्षक

- आयोग के विज्ञापन क्रमांक 33/2023 दिनांक 06.10.2023 एवं समय-समय पर जारी शुद्धिपत्रादि, सूचनाओं आदि के संदर्भ में म.प्र. शासन, वन विभाग के अंतर्गत विज्ञापित पद-सहायक वन संरक्षक के कुल 14 पद (अनारक्षित-04, अ.ज.जा.-02, अ.ज.जा.-02, अ.पि.वर्ग-04, ई.डब्ल्यू.एस.-02) विज्ञापित किए गए हैं। उक्त पदों की पूर्ति के लिए राज्य वन सेवा परीक्षा-2023 अंतर्गत प्राथमिक परीक्षा के उपरांत राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा-2023 दिनांक 30.06.2024 को आयोजित की गई। आयोग द्वारा राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा-2023 का परीक्षा परिणाम दिनांक 02.09.2024 को घोषित किया गया। उक्त परीक्षा में अर्ह आवेदकों के साक्षात्कार दिनांक 21.11.2024 से 20.12.2024 तक आयोजित किए गए हैं।
2. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ. प्र.एक दिनांक 29.09.2022 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन में म.प्र. शासन, वन विभाग से प्राप्त रिक्ति विवरण अनुसार आयोग द्वारा जारी शुद्धिपत्र क्रमांक 02.33.2023 दिनांक 15.01.2024 के बिन्दु क्रमांक 02 में वर्णित तालिका अनुसार उपरोक्त विज्ञापन क्रमांक 33/2023 दिनांक 06.10.2023 के अंतर्गत विज्ञापित कुल पदों का 87 प्रतिशत मुख्य भाग एवं 13 प्रतिशत प्राथमिक भाग की रिक्तियों का पद विभाजन विज्ञापित किया गया है जिसके अनुसार, परीक्षा परिणाम दो भागों में मुख्य भाग एवं प्राथमिक भाग के रूप में घोषित किया जाना प्रावधानित किया गया है। चयन परिणाम केवल 87 प्रतिशत पदों (मुख्य भाग) का घोषित किए जाने के प्रावधान के तहत मुख्य भाग हेतु पुनर्रिक्त रिक्तियों का विवरण निम्नांकित तालिका में अंकित है। उक्त शुद्धि पत्र दिनांक 15.01.2024 में उल्लेखित टाईप के परिप्रेष्य में प्राथमिक भाग का चयन परिणाम अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के संबंध में प्रचलित न्यायालयीन प्रक्रण के अंतिम न्यायिक निर्णय के पश्चात घोषित किया जाएगा।
3. राज्य शासन के उक्त पत्र दिनांक 29.09.2022 के संदर्भ में आयोग द्वारा घोषित मुख्य परीक्षा परिणाम दिनांक 02.09.2024 के पैरा 04 के बिन्दु क्रमांक 02 में उल्लेखित बिन्दु के परिपालन में साक्षात्कार में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए अभिवक्त पत्र के अनुसार मुख्य भाग-87 प्रतिशत एवं प्राथमिक भाग-13 प्रतिशत में अर्ह अभ्यर्थी अपने-अपने भाग में भेजे रहेंगे। चयन के किसी भी स्तर पर ये एक दूसरे से अंतः परिवर्तन (इंटरचेंज) हेतु दाना नहीं कर सकेंगे।
4. अतएव, मुख्य परीक्षा-साक्षात्कार में प्राप्त प्राप्तांकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर निम्नानुसार केवल 87 प्रतिशत पदों (मुख्य भाग) की चयन सूची घोषित की जाती है :-

1. सहायक वन संरक्षक

पद विवरण तालिका (मुख्य भाग - 87 प्रतिशत)

	अनारक्षित	अ.ज.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ई.डब्ल्यू.एस.	योग
कुल पदों की संख्या	4	2	2	2	2	12

मुख्य सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	Seat	श्रेणी
1	102238	SHASHANK JAIN	M	UNR	UNR
2	102736	AKHILESH PRATAP SINGH	M	UNR	UNR
3	101883	JYOTI THAKUR	F	UNR	OBC
4	100944	SHIVAM GAUTAM	M	EWS	EWS
5	102548	NITIN PATEL	M	UNR	OBC
6	101765	RAVI KUMAR	M	SC	SC
7	100861	ANKUR GUPTA	M	EWS	EWS
8	101537	DEPENDRA LODHI	M	OBC	OBC
9	101707	KAPIL CHOUHAN	M	OBC	OBC
10	102535	ALOK KUMAR JHARIYA	M	SC	SC
11	101590	TARUN CHOUHAN	M	ST	ST
12	100855	RAGHVENDRA THAKUR	M	ST	ST

अनुपूरक सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	श्रेणी
1	102679	DIVYA UPADHYAY	F	EWS
2	102772	SAKET KUMAR BAGHEL	M	OBC
3	101547	DASHRATH VISHWAKARMA	M	OBC
4	100739	RAMA KANT GUPTA	M	EWS
5	102179	AMAN YADAV	M	OBC
6	101636	PAWAN SHARMA	M	EWS
7	102517	JEETENDRA KUMAR VERMA	M	SC
8	100649	AAKASH KUMAR MALVIYA	M	SC
9	101423	RAHUL SOLANKI	M	ST
10	100322	RATNARAJ SINGH THAKUR	M	ST

टीप :-

- म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-46/99/आ.प्र./ एक भोपाल दिनांक 07 नवम्बर, 2000 में दिए निर्देशों के तहत अनारक्षित (ओपन) पदों पर चयन हेतु निर्धारित मापदंड के तहत अनारक्षित वर्ग के वे ही आवेदक ऐसे ओपन पदों पर चयनित किए गए हैं जो कि हर प्रकार से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के समान ही बिना किसी रियायत के योग्यता प्राप्त किए हों। किसी प्रकार की रियायत को प्राप्त किए बिना तथा श्रेय में आने पर ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का चयन हेतु गुणानुक्रम के आधार पर अनारक्षित पदों पर किए जाने का प्रावधान प्रावधानित है।
- घोषित चयन परिणाम मानीय उच्चतम न्यायालय में दायर वाचिका क्रमांक ए.एल.पी. की 12398/2023 एवं ए.एल.पी. की 8764/2023 वाचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। इसी प्रकार ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के अभ्यर्थियों के चयन की अन्वयिता विज्ञापन में वर्णित परिशिष्ट-एक में उल्लेखित वाचिका क्रमांक 21/08/2022 के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। साथ ही घोषित चयन परिणाम मान, उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर अपील वाचिका डब्ल्यू.ए. 1232/2022 में आयोग को प्राप्त स्थगन के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
- चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि आयोग के संज्ञान में आती है तो आयोग के पास चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

जी-21091/50406/2025

सचिव

कार्यालय कलेक्टर

(जनजातीय कार्य विभाग) जिला खण्डवा

E-Mail : actw.khd@mp.gov.in

क्र.जनजातीय कार्य/निर्माण/2024-25/5791

खण्डवा, दिनांक : 30.12.2024

ई-निविदा विज्ञापन आमंत्रण

विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना (ऑनलाइन ई-निविदा द्वितीय आमंत्रण)

म.प्र. के राज्यपाल की ओर से मिन लिखित कार्यों हेतु ऑनलाइन मोहबंद प्रतिशत दर निविदाएं, टेण्डर डक्यूमेंट 2.10 पर लोक निर्माण विभाग की केंद्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से भवन कार्य हेतु दिनांक 1.1.2024 से प्रभावशाली दर अनुमूची जो कि परियोजना संसालक पी.डब्ल्यूडी पीआईयू म.प्र. भोपाल द्वारा जारी है पर मिन कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है।

स.क्र. एवं कार्य का विवरण - 1. जनजातीय सौनियर एवं बुनियाद छात्रावासों में लघु निर्माण कार्य, मरम्मत कार्य, परिसम्पत्ति संधारण कार्य एवं निविदा लागत सीमा तक के नवीन निर्माण कार्य।

निविदा क्रमांक	लागत राशि (लाख में)	अमानत राशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	ठेकेदार की श्रेणी	कार्य अवधि
2024_TAD_391769	100.00	1.00	10000.00	लोक निर्माण विभाग की केंद्रीयकृत प्रणाली/सम्तुल्य सक्षम श्रेणी में पंजीकृत	तीन माह

स.क्र. एवं कार्य का विवरण - 2. जनजातीय आश्रमों में लघु निर्माण कार्य, मरम्मत कार्य, परिसम्पत्ति संधारण कार्य, एवं निविदा लागत सीमा तक के नवीन निर्माण कार्य।

निविदा क्रमांक	लागत राशि (लाख में)	अमानत राशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	ठेकेदार की श्रेणी	कार्य अवधि
2024_TAD_391770	100.00	1.00	10000.00	लोक निर्माण विभाग की केंद्रीयकृत प्रणाली/सम्तुल्य सक्षम श्रेणी में पंजीकृत	तीन माह

स.क्र. एवं कार्य का विवरण - 3. जनजातीय विभाग द्वारा संचालित हायर सेकेंडरी, हाई स्कूलों एवं आवासीय विद्यालयों में लघु निर्माण कार्य, मरम्मत कार्य, परिसम्पत्ति संधारण कार्य, एवं निविदा लागत सीमा तक के नवीन निर्माण कार्य।

निविदा क्रमांक	लागत राशि (लाख में)	अमानत राशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	ठेकेदार की श्रेणी	कार्य अवधि
2024_TAD_391772	100.00	1.00	10000.00	लोक निर्माण विभाग की केंद्रीयकृत प्रणाली/सम्तुल्य सक्षम श्रेणी में पंजीकृत	तीन माह

स.क्र. एवं कार्य का विवरण - 4. जनजातीय महाविद्यालयीन छात्रावासों में लघु निर्माण कार्य, मरम्मत कार्य, परिसम्पत्ति संधारण कार्य, एवं निविदा लागत सीमा तक के नवीन निर्माण कार्य।

निविदा क्रमांक	लागत राशि (लाख में)	अमानत राशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	ठेकेदार की श्रेणी	कार्य अवधि
2024_TAD_391773	100.00	1.00	10000.00	लोक निर्माण विभाग की केंद्रीयकृत प्रणाली/सम्तुल्य सक्षम श्रेणी में पंजीकृत	तीन माह

स.क्र. एवं कार्य का विवरण - 5. अनुसूचित जाति महाविद्यालयीन, सौनियर एवं बुनियाद छात्रावासों में लघु निर्माण कार्य, मरम्मत कार्य, परिसम्पत्ति संधारण कार्य, एवं निविदा लागत सीमा तक के नवीन निर्माण कार्य।

निविदा क्रमांक	लागत राशि (लाख में)	अमानत राशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	ठेकेदार की श्रेणी	कार्य अवधि
2024_TAD_391774	100.00	1.00	10000.00	लोक निर्माण विभाग की केंद्रीयकृत प्रणाली/सम्तुल्य सक्षम श्रेणी में पंजीकृत	तीन माह

नोट :- उक्त कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा प्रपत्र (Tender Document) वेबसाइट <http://mptenders.gov.in> के माध्यम से दिनांक 04.01.2025 समय प्रातः 10.00 बजे से 13.01.2025 समय सायं 6.00 बजे तक एक एवं स्वभित्त किए जा सकते हैं।

सहायक आयुक्त
जी-21083/50405/2025 जनजातीय कार्य विभाग, जिला खण्डवा

SAINIK SCHOOL REWA (MP)

(Functioning under Sainik Schools Society, New Delhi)

RECRUITMENT OF STAFF (CONTRACTUAL BASIS)

- Sainik School Rewa is inviting applications for the posts on contractual basis for the period of one year as per following details:-

S No.	Name of Post	Number of Post & Reservation	Essential Qualification	Desirable Qualification	Age	Salary
(a)	PGT English	OBC-NCL 01	M.A. English & B. Ed.	Teaching experience at English medium School	21-40 Yrs.	27500/- Per Month
(b)	PGT Biology	OBC-NCL 01	(a) M.Sc. Ed. in the subject concerned from Regional Institute of Education, NCERT; OR (a) Master's degree in Botany or Zoology with Zoology or Botany/Master's Degree in Zoology with Botany at Graduate level/ M.Sc. in Life Science with Zoology and Botany at Graduate Level; And (b) B.Ed. or equivalent from any recognised institute.	Teaching experience at English medium School	21-40 Yrs.	27500/- Per Month
(c)	Counsellor	UR 01	Graduate/Post Graduate in Psychology with Diploma in counselling	Counselling experience in English Medium Institutions.	21-40 Yrs.	26250/- Per Month

- Structure of Selection Process.** Selection process will consist three steps i.e written examination, Skill Test and interview. A candidate will be required to score minimum 33% marks to qualify for the next step of the selection process. However, the minimum required marks may be increased upto 50% by the Board of Officers to limit the number of candidates for the next step of the selection process. After each phase names of shortlisted candidates selected for the next phase will be intimated to the candidates on the same day.
- How to Apply.** Desirous candidates should apply to the Principal, Sainik School, Rewa (MP) 486001 in prescribed format available on school website www.sainikschoolrewa.ac.in alongwith attested copies of certificates and testimonials. Please mention the name of post applied for at top of the envelope. Applications received late/without deposition of application fee/not in prescribed format will be rejected without any intimation.
- Application Fee.** Application fee (non-refundable) of Rs. 500/- to be paid in the form of Demand Draft in favour of Principal Sainik School Rewa Payable at Rewa (MP) Only Application fees deposited via other means will not be accepted. Application forms received without Demand Draft will be liable for rejection.
- Last Date for submission of Application is 25 Jan 2025.** The school will not be responsible for any postal delay and no further claim will be entertained.
- Days of Examination.** Date of 1st Phase of Examination will be published on School website at least 15 days prior to the examination. TA/DA to candidates is not admissible.
- The school administration reserves the right to increase/decrease/cancel the vacancy due to administrative/policy reasons.

Note :- Visit the School website, to get further details and Application Form.

R-50400/2025

मध्यप्रदेश राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर

मध्यप्रदेश की जनजातियाँ

1. 'कोईतोर' नामक शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस जनजाति से है?

- अ. भील ब. बैगा
स. गोंड द. कोरकू

उत्तर- स. गोंड

2. निम्नलिखित में से कौनसी उपजाति का संबंध बैगा जनजाति से नहीं है?

- अ. मारिया ब. नाहर
स. नरोतिया द. कडमना

उत्तर- अ. मारिया

3. मध्यप्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है?

- अ. अलीराजपुर ब. बैतूल
स. बालाघाट द. श्योपुर

उत्तर- स. बालाघाट

4. निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संबंधी प्रावधान है?

- अ. अनु- 330
ब. अनु- 332
स. अनु- 243 (प)
द. अनु- 371

उत्तर- ब. अनु- 332

व्याख्या- * अनु- 330 लोकसभा में ST/SC समुदायों हेतु सीटों का आरक्षण।

5. निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति एवं समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय व शोषण से सुरक्षा का प्रावधान करता है?

- अ. अनु. 350 ब. अनु. 15 (4)
स. अनु. 29 द. अनु. 46

उत्तर- द. अनु. 46

6. भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में "जनजातीय सलाहकार परिषद्" की व्यवस्था का वर्णन है?

- अ. 8वीं ब. 5वीं
स. 7वीं द. 3री

उत्तर- ब. 5वीं

व्याख्या- * जनजातीय सलाहकार परिषद् पांचवीं अनुसूची में।

* कुल 20 सदस्य, जिसमें से 3/4 सदस्य राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होते हैं।

7. पेसा एक्ट- 1996 किस समिति की सिफारिश से लागू किया गया?

- अ. अग्निहोत्री समिति
ब. भूरिया समिति
स. मल्होत्रा समिति
द. तेंदुलकर समिति

उत्तर- ब. भूरिया समिति

व्याख्या- * पेसा अधिनियम वर्ष 1996 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने हेतु अधिनियमित किया गया।

* भूरिया समिति की सिफारिश के आधार पर यह अधिनियम 1996 में लागू हुआ।

* मध्यप्रदेश में यह अधिनियम 15 नवंबर, 2022 को अधिसूचित किया गया।

* यह अधिनियम ग्राम सभाओं को वन क्षेत्रों में मौजूद सभी प्राकृतिक

संसाधन के संबंध में नियम और कानून बनाने हेतु अधिकार प्रदान करता।

8. निम्नलिखित में से किस स्थान पर बंजारा समुदाय के आराध्य देव 'श्री रूप सिंह महाराज' की मूर्ति का अनावरण किया गया?

- अ. बैतूल ब. सीहोर
स. मंदसौर द. नर्मदापुरम्

उत्तर- स. मंदसौर

9. निम्नलिखित में से किस जनजाति के नृत्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में सम्मिलित किया गया है?

- अ. कंजर ब. बंजारा
स. कालबेलिया द. पारधी

उत्तर- स. कालबेलिया

10. 'नंदा प्रिट' के कपड़ों का संबंध निम्न में से किस जनजाति समुदाय से है?

- अ. भील ब. गोंड
स. बैगा द. सहारिया

उत्तर- अ. भील

11. भील जनजाति के आवास से संबंधित 'पाला' के मुखिया को क्या कहा जाता है?

- अ. गमेती ब. देशमुख
स. गैमी द. मुकदम

उत्तर- अ. गैमी

व्याख्या- * भीलों के निवास स्थल को फाल्ता कहा जाता है, कई सारे 'फाल्ता' को मिलाकर एक गांव बनता है जिसे 'पाला' कहा जाता है।

* 'पाला' का मुखिया गमेती कहलाता है।

12. भील जनजाति में प्रचलित 'हलमा परंपरा' का संबंध किस क्षेत्र से है?

- अ. विवाह के दौरान होने वाली प्रथा
ब. गोदना परंपरा से
स. जल संरक्षण से
द. स्थानांतरित कृषि से

उत्तर- स. जल संरक्षण से

व्याख्या- * आदिवासी जनजाति में हलमा जैसे नामों से परस्पर सामुदायिक सहयोग की भावना की तरह की प्रथा या परम्परा मौजूद है।

* 'हलमा' एक मदन परम्परा है।

* हलमा परम्परा को पुनर्जीवित करने का कार्य महेश शर्मा तथा हर्ष चौहान द्वारा अपनी संस्था के माध्यम से किया है।

13. 'साथीतर अभियान' का संबंध किस प्रथा से है?

- अ. दापा प्रथा ब. सांता प्रथा
स. कड़ा प्रथा द. भरायण प्रथा

उत्तर- अ. दापा प्रथा

व्याख्या- * भील जनजाति में वधू मूल्य अथवा दहेज जो घर से लिया जाता है, को दापा कहा जाता है।

* अक्टूबर, 2016 में 'दापा प्रथा' को समाप्त करने हेतु साथीतर अभियान चलाया गया।

14. बेणेधर मेला का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है?

- अ. दुंगरपुर ब. धार
स. बालपुर द. अलीराजपुर

उत्तर- अ. दुंगरपुर

व्याख्या- * बेणेधर मेला प्रतिवर्ष राजस्थान के दुंगरपुर में आयोजित किया जाता है।

* जनजातियों का कुंभ कहा जाता

है।

* माही, सोम जाखम नदियों के संगम पर आयोजित।

15. गोंड जनजाति में प्रचलित 'खहल पाटा' नामक गान कब गाया जाता है?

- अ. जन्म के समय
ब. अंतिम संस्कार के समय
स. बच्चे के नामकरण में
द. विवाह में बारात आगमन में

उत्तर- ब. अंतिम संस्कार के समय

16. निम्नलिखित में से कौन से कलाकार का संबंध 'डिगना कला' से नहीं है?

- अ. दुर्गाबाई व्याम
ब. जगदह सिंह श्याम
स. अणुन सिंह धुर्वे
द. घनाथया बाई

उत्तर- स. अणुन सिंह धुर्वे

व्याख्या- * अणुन सिंह धुर्वे प्रसिद्ध बैगा नृत्य कलाकार हैं।

* इन्हें वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया।

17. गोंड जनजाति में प्रचलित प्रथा के अनुसार 'लामानाई' किसे कहा जाता है?

- अ. बहुरंगीर करने वाले को
ब. तांत्रिक क्रिया करने वाले को
स. सेवा विवाह करने वाले पुरुष को
द. पंचावली के युद्ध सदस्य को

उत्तर- स. सेवा विवाह करने वाले पुरुष को

व्याख्या- * गोंड जनजाति में जो वर, वधू मूल्य चुकाने की स्थिति में नहीं होता है वह भावी ससुर के यहाँ सेवा करता है। जिससे सुख होकर उसका विवाह कन्या से कवा दिया जाता है, इसे ही सेवा विवाह कहा जाता है।

18. निम्नलिखित में से किस अदिवासी नृत्य को निगिन बुक ऑफ वर्ल्ड रिर्कोर्ड में स्थान दिया गया?

- अ. करमा ब. सैला
स. सुआ द. भडौनी

उत्तर- अ. करमा

19. बैगा जनजाति में दोपहर के समय किए जाने वाले भोजन को क्या कहा जाता है?

- अ. पेज ब. बिबारी
स. पेजे द. बासी

उत्तर- अ. पेजे

व्याख्या- * बैगाओं का मुख्य भोजन पदार्थ 'पेज' है, जो पदार्थ है, यह कोदो-कोदो की औषधिका से बनाया जाता है।

* बैगा जनजाति में समय अनुसार भोजन किया जाता है। सुबह 'बासी' 'दोपहर' में 'पेज', राति में 'बिबारी'।

20. बैगा जनजाति में सामरा प्रथा का संबंध है?

- अ. आत्मा की मुक्ति से
ब. अंतिम संस्कार में नगाड़ा बजाने से
स. नवजात शिशु के बाल पिता द्वारा प्रथम बार कटाने से
द. फसल कटाई के पर्व से

उत्तर- अ. आत्मा की मुक्ति से

21. बैगा जनजाति के गांव को क्या कहा जाता है?

- अ. पूर्व ब. मेरो
स. सार द. कू

उत्तर- अ. पूर्व

व्याख्या- * बैगाओं के गांव गोतारूप में

बसे होते हैं- टोला/पूर्वा

* गांव व घर की खड़ी लकड़ियों की सुरक्षा दीवार- मेरो

* घर के सामने पशुओं को बांधने की जगह- सार/बाड़ा

22. बैगा जनजाति द्वारा मधुमक्खियों की पूजा करके कौन सा पर्व मनाया जाता है?

- अ. रसनवा ब. बिबारी
स. छेला द. जवादा

उत्तर- अ. रसनवा

व्याख्या- * आदि पुरुष नंगा बैगा की स्मृति में रसनवा मनाते हैं।

* बिबारी - अच्छी फसल हेतु बीज बोने से पूर्व का त्यौहार

* छेला- बच्चे सांघु बनकर छेला मंगते हैं।

* ज्वारा- यह देवी पर्व है।

23. निम्नलिखित में से किस वृक्ष को बैगाओं द्वारा पूजनीय माना जाता है?

- अ. बरगद ब. पीपल
स. संल द. मेहलान

उत्तर- स. संल

व्याख्या- * बूढ़ा देव बैगाओं के देवता हैं, इनका मानना है कि बूढ़ा देव संल के वृक्ष पर निवास करते हैं।

24. निम्नलिखित में से कौन सी उपजाति बैगा जनजाति से संबंधित नहीं है?

- अ. बिखवार ब. सीर
स. नरोतिया द. काड़भेना

उत्तर- ब. सीर

25. भूमिया और भुईहर निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजातियाँ हैं?

- अ. गोंड ब. सहारिया
स. भील द. भारिया

उत्तर- द. भारिया

व्याख्या- * भारिया जनजाति के निवास स्थल को क्या कहा जाता है?

- अ. फाल्ता ब. बसाहट
स. ढाना द. सेरा

उत्तर- स. ढाना

27. पोला पड्डुम तथा खरारा झर्राई नामक त्यौहार निम्न में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है?

- अ. परधान ब. संथाल
स. गोंड द. भील

उत्तर- स. गोंड

व्याख्या- * पोलापड्डुम- यह त्यौहार गोंडों में प्रमुख रूप से खेती से जुड़ा हुआ है। पोला शब्द का अर्थ दूध, अर्थात् इस दिन धान की फसल में दूध भरना शुरू होता है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अमवास्या को मनाया जाता है।

* खरारा झर्राई- यह त्यौहार बड़ादेव पूजन का होता है, प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह में।

28. डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना के आर्थिक निम्न में से कौनसा कथन असत्य है?

- अ. योजना का उद्देश्य स्वरोजगार हेतु अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाना।
ब. 10 हजार से 1 लाख तक का ऋण
स. 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्षों तक।
द. आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष

के मध्य हो।

उत्तर- स. 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्षों तक।

व्याख्या- * 7% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्षों तक (मोटेरूपमें अवधि सहित) नियमित रूप से ऋण भुगतान।

29. कोरकू जनजाति में 'धोमका' किस व्यक्ति को कहा जाता है?

- अ. समाज के गणमान्य एवं अनुभवी व्यक्ति को।
ब. जनजाति के पुरोहित को।
स. खेती करने वाले कोरकू को।
द. सौदू आनी का निर्माण देने वाले को।

उत्तर- ब. जनजाति के पुरोहित को।

30. 'चिथोड़ा प्रथा' का संबंध किससे है?

- अ. विवाह से ब. मूल्य से
स. समाज के द. गोदना गुदवाने से

उत्तर- अ. विवाह से

31. निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कबीर पंथी है?

- अ. उरुव ब. कबीर
स. पनिका द. भिताला

उत्तर- स. पनिका

व्याख्या- * पनिका जनजाति स्वयं को 'कबीराहा' या कबीर पंथी मानते हैं।

* यह मध्यप्रदेश में सीधी, शहडोल, अनूपपुर में पाए जाते हैं।

* यह जनजाति मुख्यतः कपड़े बुनने का कार्य करती है।

32. उरुव जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?

- अ. यह जनजाति स्वयं को कुरुक्ष कहती है।
ब. उरुव जनजाति के युवावृह को धूमकोरिया कहा जाता है।
स. इस जनजाति में त्यौहारों व उत्सवों पर चाल से बना हुआ 'हंडिया' नामक पर्व पदार्थ पिघा जाता है।
द. उपरोक्त सभी सत्य हैं।

उत्तर- द. उपरोक्त सभी सत्य हैं।

33. निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति विध्ववासिनी को पुनः 'बाहगाईं बेटकन' को अर्थ प्राप्त पूर्वज मानती है?

- अ. परधान ब. बिखवार
स. विरहोर द. सोर

उत्तर- ब. बिखवार जनजाति

34. 'चीमाता' नामक पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है?

- अ. इंदिरा गांधी जनजातीय विद्यालय द्वारा।
ब. ट्राइफेड द्वारा।
स. सहारिया जनजाति संग्रहालय, श्योपुर द्वारा।
द. जनजातिय लोककला एवं बोली विकास अकादमी, भोपाल द्वारा।

उत्तर- द. जनजातिय लोककला एवं बोली विकास अकादमी, भोपाल द्वारा।

35. निम्नलिखित में से किस वर्ष खानदेश में भीलों का विद्रोह हुआ?

- अ. 1842 ब. 1817
स. 1829 द. 1917

उत्तर- ब. 1817

- कृति का जावरीया (लेखिका, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी विषयों पर लेखन करती हैं)

जॉब अलर्ट



केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

पद का नाम - सुप्रीटेंडेंट, जूनियर असिस्टेंट
पदों की संख्या - 212

योग्यता - सुप्रीटेंडेंट के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री तथा कम्प्यूटर एप्लीकेशन की जानकारी एवं जूनियर असिस्टेंट के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो तथा डाइग्रेस का ज्ञान हो।

अंतिम तिथि - 09 जनवरी, 2025
वेब - <https://www.cbse.gov.in>

राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान

पद का नाम - प्राध्यापक (कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, गणित, शिक्षा प्रौद्योगिकी, मनोविज्ञान), सहप्राध्यापक (इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकेनिकल इंजीनियरिंग), ब्रह्म एवं भंडार अधिकारी, परकथा लेखक, सॉफ्टवेयर डिजाइनर, सीडियो तकनीशियन, अनुसंधान सहायक, फिल्म संपादक, कनिष्ठ आनुवंशिक, इलेक्ट्रिशियन ओवरसीड, मेसन कम प्लम्बर, प्लम्बर और बुक कुशल परिचारक।

पदों की संख्या - 24

योग्यता - पदनुसार

अंतिम तिथि - 12 जनवरी, 2025

वेब - <https://www.nittrbpl.ac.in>

भारतीय नौसेना

पद का नाम - इंडस्ट्रियल मेट

पदों की संख्या - 38

योग्यता - मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण हो तथा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र प्राप्त हो।

अंतिम तिथि - 11 फरवरी, 2025

वेबसाइट - <https://www.joinindiannavy.gov.in>

दिल्ली हाईकोर्ट

पद का नाम - दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस

पदों की संख्या - 16

योग्यता - न्यूनतम 7 वर्षों तक कवालत करने का अनुभव होना आवश्यक।

अंतिम तिथि - 10 जनवरी, 2025

वेब - <https://delhihighcourt.nic.in>

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, विलासपुर

पद का नाम - प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर
पदों की संख्या - 110

योग्यता - पदनुसार

अंतिम तिथि - 15 जनवरी, 2025

वेबसाइट - <https://www.allmsb-laspur.edu.in>

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

पद का नाम - कंपनी सेक्रेटरी

पदों की संख्या - 25

योग्यता - इंटीग्रेटेड ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया (आईसीएआर) में पंजीयन होना तथा किसी भी कंपनी में न्यूनतम एक

वर्ष काम करने का अनुभव हो
अंतिम तिथि - 16 जनवरी, 2025
वेब - <https://www.powergrid.in>

विज्ञान स्टील प्लांट

पद का नाम - ग्रेजुएट ऑपरेंटिस, टेक्नीशियन ऑपरेंटिस

पदों की संख्या - 250

योग्यता - ग्रेजुएट ऑपरेंटिस के लिए इंजीनियरिंग या तकनीकी विषय में स्नातक डिग्री तथा टेक्नीशियन (डिप्लोमा) ऑपरेंटिस के लिए इंजीनियरिंग या तकनीकी विषय में डिप्लोमा।

अंतिम तिथि - 09 जनवरी, 2025

वेब - <https://www.vizagsteel.com>

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

पद का नाम - आईटीआई ट्रेड ऑपरेंटिस, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एवं तकनीशियन ऑपरेंटिस

पदों की संख्या - 85

योग्यता - ग्रेजुएट ऑपरेंटिस के लिए इंजीनियरिंग या तकनीकी विषय में स्नातक डिग्री तथा टेक्नीशियन (डिप्लोमा) ऑपरेंटिस के लिए इंजीनियरिंग या तकनीकी विषय में डिप्लोमा और आईटीआई ट्रेड ऑपरेंटिस के लिए 10वीं उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड में आईटीआई डिप्लोमा।

अंतिम तिथि - 15 जनवरी, 2025

वेबसाइट - <https://thdc.co.in>

राइस लिमिटेड

पद का नाम - असिस्टेंट मैनेजर (सिविल, एंसाईट, इलेक्ट्रिकल)

पदों की संख्या - 15

योग्यता - इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री

अंतिम तिथि - 09 जनवरी, 2025

वेबसाइट - <https://www.rites.com>

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)

पद का नाम - लेबोरेटरी, ऑपरेटर, फिटर, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रुमेंटेशन/इंस्ट्रुमेंट मैकेनिक, जियोलॉजिस्ट, एचबीएमपी ऑपरेटर, माइनिंग, माइनिंग मेट, मोटर मैकेनिक, ड्रेजर कम फर्स्ट एडर, लेबोरेटरी तकनीशियन ग्रेड-III, नर्स ग्रेड-III, फार्मासिस्ट ग्रेड-III।

पदों की संख्या - 518

योग्यता - पदनुसार

अंतिम तिथि - 21 जनवरी, 2025

वेबसाइट - <https://nalcoindia.com>

केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान, किशनगढ़

पद का नाम - सेवान अवकाश, असिस्टेंट, टेकिंगकल असिस्टेंट, अपर डिविजन क्लर्क, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लीजर डिविजन क्लर्क, स्ट्रेकीपर, लेबोरेटरी अटेंडेंट, मल्टी टास्किंग स्टटाफ।

पदों की संख्या - 47

योग्यता - पदनुसार

अंतिम तिथि - 10 जनवरी, 2025

वेब - <https://www.curaj.ac.in>

भारतीय स्टेट बैंक

पद का नाम - परिवर्तीस्थापना अधिकारी

पदों की संख्या - 600

योग्यता - किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण

अंतिम तिथि - 16 जनवरी, 2025

वेबसाइट - <https://sbicoin.in>

एडसिल (इंडिया) लिमिटेड

पद का नाम - पीजीटी शिक्षक (गणित, कम्प्यूटर विज्ञान, रसायनशास्त्र)

पदों की संख्या - 31

योग्यता - किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री साथ ही सेक्टर ऑफ एडुकेशन (वी.एच.टी) की डिग्री होनी आवश्यक।

अंतिम तिथि - 14 जनवरी, 2025

वेब - <https://www.edclindia.co.in>

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित)



मध्यप्रदेश विविधता से समृद्ध है। प्रदेश के हर क्षेत्र की अपनी विशेषता, क्षमता और दक्षता है। यहां का प्रत्येक जिला अपना इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा, उपज और अन्य क्षेत्रीय विशेषताएं लिए हुए है। 'रोज़गार और निर्माण' के 'हमारा जिला' स्तम्भ में हम मध्यप्रदेश के जिले से आपको परिचित कराते हैं। इस अंक में प्रस्तुत है टीकमगढ़ जिले का परिचय-

टीकमगढ़ जिला समर सभाग के अन्तर्गत आता है। जिले का मुख्यालय टीकमगढ़ में है। यह पूर्व और दक्षिण-पूर्व में मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले और उत्तर में निवाड़ी जिले से और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से घिरा हुआ है। टीकमगढ़ जिले का क्षेत्रफल लगभग 5048 वर्ग किलोमीटर है। जिले का नाम इसके मुख्यालय टीकमगढ़ पर रखा गया है। शहर का मूल नाम टिहरी था। 1783 में, ओछा वर्ग विक्रमाजीत (1776-1817) ने अपनी राधाना को ओछा से टिहरी स्थानांतरित कर दिया और इसका नाम बदलकर टीकमगढ़ (टीकम कृष्ण के नामों में से एक) है। रखा।

इस जिले में शामिल क्षेत्र ओछा रियासत का हिस्सा था। ओछा शाही राज्य की स्थापना छतरपुर सिंघे ने 1501 में की थी। वर्ष 1948 में बिलय के बाद, यह विन्ध्य प्रदेश राज्य के आठ जिलों में से एक बन गया। 1 नवंबर 1956 को राज्य के पुनर्गठन के बाद यह नए मध्यप्रदेश का एक जिला बन गया।

जिले की उत्तर-पश्चिमी सीमा के साथ बेतवा नदी बहती है। बडगांव के किनारे इसकी एक सहायक नदी घसान नदी, जिले की पूर्वी सीमा के साथ बहती है। ये दोनों नदियां उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। जिले से बहने वाली बेतवा की सहायक नदियां जामनी, बागड़ी और बरुआ हैं।

टीकमगढ़ जिले को तीन उप-प्रभागों में विभाजित किया गया है, जो आगे छह तहसीलों में विभाजित हैं। टीकमगढ़ उप-मंडल में टीकमगढ़ और बलेदवाड़ तहसील शामिल हैं। जिले में तीन विधानसभा क्षेत्र, टीकमगढ़, जतारा और खरगापुर हैं। ये सभी टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा हैं।

पाइरोफ्लाइट का उत्पादन

टीकमगढ़ में कई पाइरोफ्लाइट खनन स्थल हैं, जहां उच्च गुणवत्ता वाला पाइरोफ्लाइट खनन होता है। टीकमगढ़ से पाइरोफ्लाइट पूरे भारत में निर्यात होता है।

जिले के ऐतिहासिक महत्व वाले स्थान

कुंडेघर- कुंडेघर टीकमगढ़ से 5 किलोमीटर की दूरी पर शहर के दक्षिण में जमदार नदी के किनारे स्थित है। यह

हमारा जिला-टीकमगढ़

लोककला, संस्कृति और वैविध्य कलाओं का केन्द्र टीकमगढ़

स्थान कुंडेघर महादेव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि यहां शिवलिंग



कुंड से निकला है। इसके दक्षिण में सुंदर पिकनिक स्थल है जिसे 'बैरोघर' के नाम से जाना जाता है। यहां 'ऊषा वाटर फॉल' के नाम से एक सुंदर झरना है। इस गांव में एंग्लो-रॉजिकल म्यूजियम और विनोबा संस्थान है। महाराजा बिरसिंह देव ने कुंडेघर साहित्य संस्थान की स्थापना की थी। यह पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी और यस्याल जैन द्वारा संचालित किया गया था।

कुंडेघर में वर्ष में तीन बड़े मेले लगते हैं। संक्रांति के अवसर पर जनवरी में, दूसरा बसंत पंचमी के अवसर पर और तीसरा कार्तिक एकादशी पर अक्टूबर-नवंबर के महीने में आयोजित किया जाता है।

अहार जी- जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर टीकमगढ़-छतरपुर मार्ग के किनारे स्थित है, बलेदवाड़ तहसील का एक गांव अहारा इस स्थान तक पहुंचने के लिए नियमित बसें उपलब्ध हैं। यह जमालपुर अहारा द्वारा बसाया गया एक पुराना गांव है, जो कभी एक जैन सम्रदाय का प्रमुख केंद्र था। यहां कई खंडहर, पुरानी छावनी और मंदिर हैं। गांव में तीन पुराने जैन मंदिर हैं जिनमें से एक मंदिर में शक्तिनाथ का एक छवि है, जिसकी ऊंचाई 20 फीट है। यहां चंदेलकालीन एक टैंक भी है।

बलेदवाड़



बलेदवाड़ जिला टीकमगढ़ की तहसीलों में से एक है। यह टीकमगढ़-छतरपुर रोड पर टीकमगढ़ से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां का प्रमुख आकर्षण है, ब्याल-सागर के ऊपर खड़ा विशाल रॉक किला। इस किले में अभी भी एक पुरानी गन रखी है। यह शहर सुभरी की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां प्रसिद्ध विन्ध्यसिनी देवी का मंदिर है। चैत्र के महीने में यहां सात दिवसीय विन्ध्यवासिनी मेला आयोजित किया जाता है। इसमें लगभग 10,000 लोग शामिल होते हैं।

उत्सव



मोनिया नृत्य- बुदेलखंड में मोनिया नृत्य प्रस्तुति की प्रथा है। यह नृत्य नवंबर माह में प्रकाश पर्व दीपावली के अवसर पर किया जाता है। इस संबंध में कहानी है कि-गोकुल में

मड़खेरा- मड़खेरा जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर टीकमगढ़ शहर के उत्तर-पश्चिम में स्थित एक छोटा सा गांव है। यहां प्रसिद्ध मुंबई मंदिर है। इस मंदिर में पूर्व देव की प्रतिमा स्थापित है। इसका प्रवेश द्वार पूर्व दिशा से है।

पपोरा जी- टीकमगढ़ शहर से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण-पूर्व में स्थित एक पुराना गांव है पपोरा जी। यह प्रसिद्ध जैन



तीर्थस्थल है। गांव में लगभग 80 पुराने जैन मंदिर हैं। कुछ जैन मंदिर निर्माणधीन हैं। चौबीस तीर्थंकरों के प्रसिद्ध जैन मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है। कार्तिक पूर्णिमा पर यहां जैन मेला लगता है। इसमें लगभग 10,000 लोग शामिल होते हैं। इस मेले का प्रबंध ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।

उमरी- उमरी का प्रसिद्ध मंदिर 9वीं शताब्दी में प्रतिहार काल से संबंधित है। यह पूर्व मुख वाला मंदिर है जिसमें गर्भगृह, अंनल और मुखमंडप शामिल हैं। इसकी ऊंचाई पंचधारी योजना अनुरूप है और इसमें प्लिथ, जंघा, वरंडिका और शिखर शामिल हैं। मुख्यमनपा के खंभों को सजाया गया है। यहां भवान सूर्य की एक प्रतिमा को फलक की दीवार पर स्थापित किया गया है।



बलेदवाड़ जिला टीकमगढ़ की तहसीलों में से एक है। यह टीकमगढ़-छतरपुर रोड पर टीकमगढ़ से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां का प्रमुख आकर्षण है, ब्याल-सागर के ऊपर खड़ा विशाल रॉक किला। इस किले में अभी भी एक पुरानी गन रखी है। यह शहर सुभरी की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां प्रसिद्ध विन्ध्यसिनी देवी का मंदिर है। चैत्र के महीने में यहां सात दिवसीय विन्ध्यवासिनी मेला आयोजित किया जाता है। इसमें लगभग 10,000 लोग शामिल होते हैं।

जब भगवान श्रीकृष्ण ने अपने साथियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया, तो उन्होंने सुश्री में नृत्य किया। इस नृत्य में प्रयुक्त मुख्य वाद्ययंत्र हैं: 'दोलक' और 'नगारिया' (दोनों ड्रम का एक रूप हैं)।

नृत्य में लंबी डंडियों वाले नर नर्तक मार्शल आर्ट का कर्तव्य दिखाते हैं। यह नृत्य फसल कटाई के बाद धन्यवाद देने स्वरूप किया जाता है।

समारोह में नर्तक बहु-रंगीन परिधान पहनते हैं और मुख्य नर्तक अपने हाथों में मोर पंख धारण करते हैं तथा बाकी लोग उन पंखों को अपने पास रखते हैं।

-देवेन्द्र गौर, लेखक, सम-सामयिक विषयों पर लेखन करते हैं



खेल चर्चा
सचिन को मिली मेलबर्न क्लब की मानद सदस्यता



सचिन तेंदुलकर को मेलबर्न क्रिकेट क्लब का मानद सदस्यता प्रदान की गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए उन्हें एमसीसी का मानद सदस्य बनाया गया है।

सचिन ने मेलबर्न क्रिकेट क्लब का मानद सदस्य बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। सचिन तेंदुलकर के नाम से मेलबर्न क्रिकेट मैदान पर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है। सचिन ने इस मैदान पर पांच टेस्ट मैचों में 44.90 की औसत से 449 रन बनाए हैं।

नई दिल्ली, खेल मंत्रालय ने वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इस वर्ष चार खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है, इनमें मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, डी. गुकेश और प्रवीण कुमार शामिल हैं। इसी तरह 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

खेल मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष निशानेबाज मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचते हुए दो कांस्य पदक जीते हैं। मनु ने पहले महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसी तरह डी गुकेश ने पिछले महीने चीन के डिंग लियेन को हराकर विश्व शतरंज चैम्पियनशिप का खिताब जीता है। विश्वनाथन आनंद के बाद यह खिताब जीतने वाले गुकेश पहले भारतीय हैं। इस वर्ष खेल रत्न पुरस्कार के लिए चयनित हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक



मध्यप्रदेश के दो खिलाड़ियों को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार

खेल मंत्रालय द्वारा जारी अर्जुन पुरस्कार विजेताओं की सूची में दो खिलाड़ी मध्यप्रदेश के हैं। इनमें पैरा बूटो खिलाड़ी कपिल परमार और पैरा निशानेबाज रुबिना फारिस शामिल हैं। कपिल ने इस वर्ष आयोजित पेरिस पैराएलंपिक खेलों में बूटो की पुरुषों की 60 किलोग्राम वज़ी-1 स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता था। वहीं रुबिना ने पेरिस पैराएलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल एस्प-ए-1 स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया था।

मं कांस्य पदक जीता है। ओलंपिक खेलों में भारत का यह लगातार दूसरा कांस्य पदक है, इसके अलावा हरमनप्रीत सिंह को इस वर्ष एकअडिगल प्लेयर ऑफ द ईयर भी

मध्यप्रदेश की महिला टीम ने जीता राष्ट्रीय खिताब
राजकोट, मध्यप्रदेश की महिला क्रिकेट टीम ने राष्ट्रीय वन-डे क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। राजकोट में खेले गए टूर्नामेंट के फाइनल में मध्यप्रदेश ने बंगाल को 7 विकेट से हराया। फाइनल मैच में बंगाल की टीम पहले बल्लेबाजी करते उठीं, लेकिन मध्यप्रदेश के गेंदाबाजों ने शानदार गेंदाबाजी कर बंगाल की पारी को 136 रनों पर समेट दिया। मध्यप्रदेश के लिए 37 रनों के आसान लक्ष्य का पीछा करते उठी मध्यप्रदेश की टीम ने 34.4 ओवरों में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

वैष्णवी ने जीता पहला आईटीएफ एकल खिताब
अहमदाबाद, भारत की युवा टेनिस खिलाड़ी वैष्णवी अडकर ने अपने टेनिस करियर का पहला आईटीएफ एकल खिताब जीत लिया है। वैष्णवी ने डब्ल्यू 15 महिला टेनिस चैम्पियनशिप के फाइनल में डेनमार्क की एलेना जमरोसी को सीधे सेटों में 6/2, 6-1 से हराया। 20 वर्षीय वैष्णवी ने यह मुकाम एकल चैंड से कम समय में अपने नाम किया। यह वैष्णवी के टेनिस करियर का महत्वपूर्ण जीत है। वह पिछले तीन वर्षों में शेरार महिला फासिल खिताब जीतने वाली पुणे की पहली खिलाड़ी हैं।

द. अफ्रीका ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में बनाई जगह

सेंचुरियन, दक्षिण अफ्रीका ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2023-25 स्वर के फाइनल में जगह बना ली है। दक्षिण अफ्रीका डब्ल्यूटीसी फाइनल में जगह बनाने वाला पहला देश बन गया है। दक्षिण अफ्रीका ने सेंचुरियन में खेले गए पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 2 विकेट से हराकर फाइनल में जगह पकड़ी की। इस जीत के साथ ही डब्ल्यूटीसी अंक तालिका में दक्षिण अफ्रीका के 66.67 अंक हो गए हैं। वहीं 61.46 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर काबिज है वहीं 52.78 अंक लेकर भारतीय टीम तीसरे स्थान पर है। दक्षिण अफ्रीका ने मोजूदा स्तर में 11 मैच खेले हैं, इनमें से 7 मैच जीते हैं, जबकि 3 मैचों में दक्षिण अफ्रीका की हार मिली है।



ऑस्ट्रेलिया ने जीता मेलबर्न टेस्ट मैच
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही बॉर्डर-गास्कर ट्रॉफी का चौथा मैच ऑस्ट्रेलिया ने 184 रन से जीत लिया है। मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉप जोरकर पहले बल्लेबाजी की और पहली पारी में 474 रन बनाए, इसके जवाब में भारतीय टीम ने पहली पारी में 369 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 234 रन बनाए और भारत के सामने 340 रनों का लक्ष्य रखा। मुक़िफल लक्ष्य के सामने यशस्वी जायसफल ने 84 रनों की शानदार पारी खेली। एक समय भारतीय टीम 3 विकेट पर 121 रन बनाकर मजबूत स्थिति में थी और मैच ड्रॉ की ओर बढ़ रहा था, लेकिन भारतीय टीम अगले 34 रन के अंदर 7 विकेट गंवाकर 155 रन बनाकर ऑलआउट हो गया।

लक्ष्य सेन ने किंस कप में जीता कांस्य पदक

शेनझेन, भारत के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने चीन में आयोजित किंस कप इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया है। लक्ष्य ने टूर्नामेंट में तीसरे स्थान के लिए खेले गए मुक़ाबले में फ्रांस के एलेक्स लैनियर को सीधे गेमों में 21-17, 21-11 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। सेन में लक्ष्य ने शुरुआत में दमदार खेल दिखाया और पहले गेम में 6-1 की बढ़त बनाई, इसके बाद लैनियर ने जबदस्तद वापसी की और स्कोर 10-10 कर दिया। लक्ष्य ने एक बार फिर शानदार खेल दिखाया और लगातार अंक अर्जित कर पहला गेम 21-17 से जीता। लक्ष्य ने दूसरे गेम में भी अपनी लय बकावर रखी और लैनियर को वापसी करने का कोई मौक़ा नहीं दिया। दूसरे गेम में लक्ष्य 21-11 से जीत दर्ज करने में सफल हुए। इससे पहले लक्ष्य ने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन सेमीफाइनल में लक्ष्य को चीन के हुआंग जियांग के खिलाफ कड़े मुक़ाबले में 19-21, 19-21 से हार का सामना करना पड़ा था।

विश्व रैपिड शतरंज खिताब कोनेरु हंपी बनीं विश्व चैम्पियन



न्यूयॉर्क, भारत की महिला शतरंज खिलाड़ी कोनेरु हंपी ने विश्व रैपिड शतरंज चैम्पियनशिप का खिताब जीता है। हंपी ने दूसरी बार यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता जीती है। उन्होंने इंडोनेशिया की इरिन सुकरंद को हराकर खिताब अपने नाम किया। भारतीय ग्रैंडमास्टर हंपी ने विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता में 11 में से 8.5 अंक अर्जित किए।

टूर्नामेंट में कोनेरु हंपी की शुरुआत धीमी रही। टूर्नामेंट के पहले राउंड में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चार राउंड के बाद उनके खाते में सिर्फ 2.5 अंक थे, इसके बाद हंपी ने लगातार बाकिर्या जीतीं और फ़िर वे डी हरिका और मोजूदा चैम्पियन जू वेनजुन के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर पहुंच

● कोनेरु हंपी ने इससे पहले वर्ष 2019 में जांजिया में यह प्रतियोगिता जीती थी।
● चीन की जू वेनजुन के बाद एक से अधिक बार यह खिताब जीतने वाली हंपी दूसरी खिलाड़ी हैं।
● हंपी ने वर्ष 2012 में मांको में आयोजित विश्व रैपिड शतरंज में कांस्य पदक जीता था।

गड़ी। इसके बाद हंपी ने हुरनली एंडोमें इरिन सुकरंद को हराकर विश्व रैपिड शतरंज चैम्पियनशिप का खिताब जीता।

शतरंज में भारत के विश्व शानदार रहा वर्ष भारतीय शतरंज के लिए वर्ष 2024 बेहत शानदार रहा है। कोनेरु हंपी की इस उपलब्धि के साथ भारतीय शतरंज के शानदार वर्ष का अंत भी शानदार हुआ। इससे पहले भारत के डी गुकेश सिंगपुर में क्लासिकल शतरंज विश्व चैम्पियनशिप के फाइनल में चीन के डिंग लियेन को हराकर चैम्पियन बन थे। इसके अलावा इस वर्ष भारत ने शतरंज ओलिंपियाड में पहली बार ओपन और महिला वर्ग का स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था।

खो-खो ट्रॉफी के साथ शुभंकर का हुआ अनावरण

नई दिल्ली, देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित होने वाले खो-खो विश्वकप के लिए ट्रॉफी और शुभंकर का अनावरण किया गया। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय खो-खो महासंघ (केकेएफआई) के अध्यक्ष सुभाषू मित्तल की उपस्थिति में शुभंकर तैयार और तारा को लॉन्च किया गया।



महिला और पुरुष टीम को दो अलग-अलग ट्रॉफी दी जाएगी। पुरुष चैंपियन टीम के लिए एक नीले रंग की ट्रॉफी और महिला उर्वेतेन के लिए एक हरे रंग की ट्रॉफी दी जाएगी।

तेजस और तारा हैं शुभंकर
खो-खो फेडरेशन ने टूर्नामेंट के आधिकारिक शुभंकर 'तेजस' और 'तारा' का भी अनावरण किया। तेजस, जो प्रतिभा

मध्यप्रदेश की आशी चौकसे ने राइफल 3पी में जीता स्वर्ण पदक

भोपाल, मध्यप्रदेश की युवा निशानेबाह आशी चौकसे ने निशानेबाजी में पहली बार राष्ट्रीय खिताब जीता है। आशी ने भोपाल में आयोजित 67वां राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में महिलाओं की 50 मीटर राइफल फ्री ग्रीविशन (3पी) स्पर्धा में यह खिताब अपने नाम किया। स्पर्धा के फाइनल में आशी ने पंजाब की दिग्गज निशानेबाज अनुसु सुदील को हराया। फाइनल राउंड में आशी ने 466.7 अंक हासिल किए, जबकि अनुसु सुदील 463.6 अंक ही हासिल कर सकीं। स्पर्धा में महाराष्ट्र की साबी सुनील पडेकर 451.3 अंकों के साथ कांस्य पदक जीतने में सफल रही।

मध्यप्रदेश की आशी चौकसे ने राइफल 3पी में जीता स्वर्ण पदक

भोपाल, मध्यप्रदेश की युवा निशानेबाह आशी चौकसे ने निशानेबाजी में पहली बार राष्ट्रीय खिताब जीता है। आशी ने भोपाल में आयोजित 67वां राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में महिलाओं की 50 मीटर राइफल फ्री ग्रीविशन (3पी) स्पर्धा में यह खिताब अपने नाम किया। स्पर्धा के फाइनल में आशी ने पंजाब की दिग्गज निशानेबाज अनुसु सुदील को हराया। फाइनल राउंड में आशी ने 466.7 अंक हासिल किए, जबकि अनुसु सुदील 463.6 अंक ही हासिल कर सकीं। स्पर्धा में महाराष्ट्र की साबी सुनील पडेकर 451.3 अंकों के साथ कांस्य पदक जीतने में सफल रही।



स्पर्धा के क्वालिफिकेशन राउंड में आशी ने 590 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल कर फाइनल राउंड में जगह बनाई।
(स्रो: संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो: गूगल से साधार)



सामयिकी

सूर्य के बेहद करीब जाएगा धूमकेतु

धूमकेतु एटलस (सी2024) जो सीएमडल का नया मेहमान बनने वाला है। विरोधों को सूर्य के बेहद करीब जाने वाले इस धूमकेतु के अस्तित्व को लेकर संशय है। हालांकि 16 हजार साल पहले यह सीएमडल की तरफ कर चुका है। अब यह सूर्य के त्रिकूटम बिंदु पेरिहेलियम में प्रवेश करेगा। यह घटना 13 जनवरी को होगी। एटलस सूर्य से मात्र 13.5 किलोमीटर दूर होगा। इसी दिन धूमकेतु जीउ घराती से काफी चमकीला दिखाई देगा। इसे 5 अप्रैल 2024 को दुबई में के एस्ट्रोड टैट्टरुयल इन्स्टीट्यूट अल्टी स्टिस्टम (एटलस) में खोजा था।

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के

खिलाफ अरिस्ट वारंट

दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लागने वाले राष्ट्रपति यून सुक योल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रश्नचिह्न की जांच करने वाली एजेंसी ने कहा है कि वह इसकी भी जांच कर रही है। कि क्या उनकी घोषणा विरोध के कारण थी। वहीं विपक्षी दलों ने संसद में महाभियोग प्रस्ताव भी पेश किया है। गीतलाल है कि 14 जनवरी को मार्शल लॉ लागने के बाद विपक्ष द्वारा नियंत्रित नेशनल असेम्बली ने यून सुक योल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया था। देश में संकट लगाए गए मार्शल लॉ के बाद सैकड़ों सैनिक और पुलिस अधिकारी सियाल की सड़कों पर उतर आए थे। यून ने तर्क दिया था कि आदेश पूरी तरह केष था। विपक्षी पार्टियां देसा कमजोर कर रही हैं।

नेपाल में बाल विवाह प्रथा खत्म होगी

नेपाल में बाल विवाह प्रथा खत्म करने के लिए राष्ट्रपती अभियान शुरू हुआ। प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के संकल्प को पूरा करने के लिए नेपाल-भारत के कई संयुक्त अभियानों में शामिल हैं। नेपाल और भारत के बाल अधिकार कार्यकर्ताओं, सचिवों व नागरिक संस्था के सदस्यों सहित 100 से अधिक लोगों ने बाल विवाह मुक्त नेपाल अभियान शुरू किया। नेपाल के महिला, बाल एवं वरिष्ठ नागरिक मंत्री किशोरी साहा सुनुने के नेतृत्व में काठमांडू में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सुनुनी प्रां के पूर्व मुख्यमंत्री रिती बहादुर चौधरी और भारत के बाल अधिकार कार्यकर्ता भुवन बिभू शामिल हुए।

H-1B वीजा

अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वीजा का कया समर्थन

अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा का समर्थन किया है। यह प्रकृति भारतीय, भारतीय कंपनियों के साथ अमेरिकी फर्मों के लिए भी अच्छी खबर है, जो अब वैमानों पर इसका इस्तेमाल करती हैं।

इससे कंपनियों की लागत घटती है तो भारतीयों को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में काम करने का अवसर मिलता है। 2016 में हुए राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान ट्रंप ने H-1B वीजा पर सख्ती की बात की थी, लेकिन दस सप्ताहों के बाद उन्होंने सिर्फ इसकी प्रक्रिया सख्त की। इसलिए उनका इससे सम्बंध में आना बड़ी बात है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में की 45वें प्रगति संवाद बैठक की अध्यक्षता

परियोजनाओं में देरी होने से लागत बढ़ने के साथ ही जनता अपेक्षित लाभ से वंचित हो जाती है - प्रधानमंत्री



प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति संवाद के 45वें संस्करण की बैठक को वरुंचली संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन से संबंधित प्रगति बैठक के 45वें संस्करण की अध्यक्षता की। बैठक में आठ महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनमें शहरी परिवहन की छह मेट्रो परियोजनाएँ और सड़क कनेक्टिविटी तथा धर्मरत पोवर से संबंधित एक-यूक परियोजना शामिल है। विभिन्न राज्यों, केन्द्र-शासित प्रदेशों में संचालित इन परियोजनाओं की संतुल्य लागत लगभग एक लाख करोड़ रुपये से अधिक है।

बैठक को वरुंचली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र और राज्यों दोनों

स्तरों पर सभी सरकारी अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि परियोजनाओं में देरी से न केवल लागत बढ़ती है बल्कि जनता

को भी अपेक्षित लाभ प्राप्त करने में बाधा आती है। उन्होंने बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र से संबंधित लोक शिकायतों की समीक्षा की

जीवन-यापन में आसानी को सुनिश्चित करें

प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों के समय पर पुनर्वास और पुनर्स्थापन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने हाई जाह पर गुणवत्तापूर्ण सुविधाएँ प्रदान करके ऐसे परिवारों के लिए जीवनयापन में आसानी को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने 'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिल्ली योजना' की भी समीक्षा की। उन्होंने एक गुणवत्तापूर्ण विक्रेता ईको-सिस्टम विकसित करके राज्यों, केन्द्र-शासित प्रदेशों में रूफटॉप की स्थापना की क्षमता बढ़ाने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने मांग के सुझान से लेकर रूफटॉप सोलर के संचालन तक की प्रक्रिया में लागने वाले समय को कम करने का भी निर्देश दिया।

भारत-नेपाल की रण्यएं करंगी संयुक्त सैन्य अभ्यास 'सूर्य किरण'

भारतीय सेना के 334 जवानों की टुकड़ी नेपाल खाना रही। भारतीय सेना की यह टुकड़ी नेपाल में बटालियन स्तरीय संयुक्त सैन्य अभ्यास 'सूर्य किरण' में भाग लेगी। दोनों देशों के बीच यह संयुक्त सैन्य अभ्यास का 18वां संस्करण है। यह युद्धाभ्यास 31 दिसंबर, 2024 से 13 जनवरी, 2025 तक नेपाल के सलदंडी में आयोजित किया जा रहा है। सूर्य किरण अभ्यास का उद्देश्य जंगल में युद्ध, पहाड़ों में अंतर्गत विरोधी अभियानों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत मानवीय सहायता और आपदा राहत में अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ाना है।

अभ्यास में परिचालन तैयारियों, विमानन पहलुओं, चिकित्सा प्रशिक्षण और पर्यवरण संरक्षण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इन गतिविधियों के माध्यम से सैनिक अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाएंगे। इसके साथ ही दोनों सेनाओं के जवान अपने युद्ध कौशल को निखारेंगे। इस अभ्यास के माध्यम से भारत और नेपाल के सैन्य कर्मी सूचीतीसपूर्ण परिस्थितियों में एक साथ काम करने के लिए अपने समन्वय को मजबूत करेंगे। यह एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो दोनों देशों में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है।

अफगानिस्तान में तालिबान का नया फरमान जारी

- तालिबान ने अफगानिस्तान में परी की खिड़कियों पर लगाया प्रतिबंध
- महिलाओं को खिड़की से नजर आने को ताताया अश्लीलता बढाने वाला।
- कुओं, आंगन और रसोई नजर आने वाली खिड़कियों पर लगाई रोका



तालिबान के सर्वोच्च नेता ने एक आदेश जारी कर आवासों में बनें में उन खिड़कियों के निर्माण पर रोक लगा दी है, जिनसे ऐसी जगहों को देखा जा सके जहां अफगान महिलाएं आमंत्रित पर काम करती हैं या इकट्ठा होती हैं, जैसे आंगन, रसोई और कुएं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान सरकार के प्रवक्ता की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, नई इमारतों में ऐसी खिड़कियां नहीं होनी चाहिए, जिनसे 'आंगन, रसोई, पड़ोसी का कुआं या आमंत्रित पर महिलाओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अन्य जगहों' को देखा जा सके।


सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए फरमान के अनुसार, 'रसोई, आंगन में काम करने वाली महिलाओं या कुओं से पानी भरने वाली महिलाओं को देखना 'अश्लील कृत्य' को जन्म दे सकता है।'

नगर निगम के अधिकारियों और अन्य संबंधित विभागों को निर्माण स्थलों की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी अपन पर में ऐसी खिड़की न बना सके, जिससे पड़ोसी का घर दिखाई देता हो।

जर्मनी के राष्ट्रपति ने संसद भंग की

जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक-वाल्टर स्टीनमैयर ने चांसलर ओलाफ शोल्ट्ज की गठबंधन सरकार के विश्वासमत हारने के महेश्वर संसद को भंग करने और 23 फरवरी को चुनाव कराने का आदेश दिया। ज्ञात रहे कि शोल्ट्ज 16 दिसंबर को विश्वास मत हार गए थे। उनकी तीन पार्टियों वाली गठबंधन सरकार छह मंत्रों को तब संकट में धिर गई, जब उन्होंने जर्मनी की स्थिर अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के विचार पर अग्रण, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का संविधान 'बुंडेस्टैग' (संसद) को खुद को भंग करने की अनुमति नहीं देता है।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साधार)



- ट्रंप ने H-1B वीजा का समर्थन किया।
- एलन मस्क ने वीजा सुधार पर जोर दिया।
- 2023 में 75 लाख से ज्यादा H-1B वीजा होल्डर थे।

बेहतर करियर की तलाश वाले प्रोफेशनल्स को बढ़ी उम्मीदें

दरअसल बेहतर करियर की तलाश में अमेरिका का रुख करने वालों के लिए H-1B वीजा सबसे बड़ी उम्मीद है। अभी वॉशिंगटन ने इस पर कैपिंग कर रही है। हर साल 65 हजार लोगों को ये वीजा इश्यू किए जाते हैं। 2006 से अतिरिक्त 20 हजार प्रोफेशनल्स को भी यह वीजा दिया जा रहा है। 2023 में 75 लाख से ज्यादा H-1B वीजा होल्डर थे।